मुंबई पत्तन प्राधिकरण

MUMBAI PORT AUTHORITY

वार्षिक लेखा

2022-2023

ANNUAL ACCOUNTS
2022-2023

उसपर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2022-2023 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी आपत्तियों / अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

WITH ACTION TAKEN NOTES ON AUDIT OBJECTIONS / OBSERVATIONS CONTAINED IN THE REPORT FOR THE YEAR 2022-2023

विषय सूची
CONTENTS

31 मार्च 2023 का तुलनपत्र Balance Sheet As At 31st March 2023		1-8
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानी लेखा Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2023.....		9-14
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह Cash Flow For The Year Ended 31st March 2023.....		14A
	31 मार्च 2023 के तुलनपत्र की अनुसूचियॉ Schedules To Balance Sheet As At 31st March 2023	
अनुसुचि I Schedule I	आरक्षित और निधि Reserves and Funds	15-18
अनुसुचि II Schedule II	पूंजी परिसंपत्तियॉ Capital Assets	19-20
अनुसुचि III Schedule III	निवेश सूची List of Investments	21-22
अनुसुचि IV Schedule IV	फूटकर देनदारी Sundry Debtors	23
अनुसुचि V Schedule V	बैकों में शेष और हस्ते नकद Balances at Banks and Cash in Hand	24
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानी की अनुसुचियां Schedule to Profit & Loss Account For The Year Ended 31st March 2023	
अनुसुचि VI Schedule VI	जहाजी माल की सम्हलाई और भंडारण प्रभार Cargo Handling and Storage Charges	25
अनुसुचि VII Schedule VII	नौवहन के लिए पत्तन और गोदी की सुविधांए Port and Dock Facilities for Shipping	26
अनुसुचि VIII Schedule VIII	रेल संचालन Railway workings	27
अनुसुचि IX Schedule IX	किराये योग्य भूमि और इमारते Rentable Lands and Buildings	28
अनुसुचि X Schedule X	प्रवंध और सामान्य प्रशासन Management and General Administration	29
अनुसुचि XI Schedule XI	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए लेखा का प्रकार से प्रचालन व्यय Operating Expenditure by Types for the year ended 31st March 2023	30-31
अनुसुचि XII Schedule XII	वित्त और विविध व्यय Finance and Miscellaneous Expenditure	32
31.03.2023 को समाप्त हुए लेखा पर टिप्पणीयां		33-42
Notes on accounts for the year ended 31st March 2023		43-51
दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लेखा पर कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन		52-63
Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Trust for the year ended 31.3.2023		64-73
दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लेखा पर कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर कि कार्यवाही नोट		74-84
Action Taken Note on the Audit Report on the Accounts of Mumbai Port Trust for the year ended 31.3.2023		85-98
परित्याग -Disclaimer		99

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2023
31.03.2023 का तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. in crores)

As at 31st March 2022			Particulars / ब्योरा	As at 31st March 2023		
			I. SOURCES OF FUNDS / निधियों के स्त्रोत			
Not Applicable / लागू नही			**1. SHAREHOLDERS FUND/ भागधारकों के निधी**	Not Applicable / लागू नही		
			(Applicable for corporatised ports only)			
			(केवल निगमीकृत पोर्ट्स को ही लागू है)			
			2. RESERVES & SURPLUS (Schedule I)			
			आरक्षित और अधिशेष (अनुसूची -I)			
	1592.68		a. Capital Reserve / पूंजी आरक्षित		1671.67	
			b. Revenue Reserves / राजस्व आरक्षित			
41.81			i. General Reserve / सामान्य आरक्षित	41.81		
-350.92			Less: Balance Of Profit & Loss Account	-502.06		
-309.11				-460.25		
			ii. Fire and Motor Insurance Fund /			
140.15			अग्नि और मोटर बीमा निधि	140.15		
0.02			iii. War Memorial Fund / युद्ध संस्मरण निधि	0.02		
0.01			iv. Employees' Welfare Fund / कर्मचारी कल्याण निधि	0.01		
6.00			v. Centenary Commemoration Fund / शताब्दि स्मारक निधि	6.00		
	-162.93				-314.07	
			c. Statutory Reserves / वैधानिक आरक्षित			
888.81			i. Fund for replacement, rehabilitation and modernisation of capital assets /	838.97		
			पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकिकरण के लिए निधि			
12.09			ii. Fund for development, repayment of loans and contingencies /	12.79		
			विकास, ऋणों की अदायगी और अनुशंगिक खर्चों के लिए निधि			
0.00			iii. Fund for Corporate Social Responsibility /	10.94		
			कंपनी (पोर्ट) का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निधि			
	900.90				862.70	
			3. GRANT-IN-AID/ सहायता अनुदान			
			i) Upgradation/modernisation of International Cruise Terminal at Indira Docks			
			अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, इंदिरा डॉक्स का उन्नयन/आधुनिकीकरण			
125.23			a) Grant Received from Ministry of Shipping (Sagarmala)/ जहाज मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (सागरमाला)	125.23		
31.25			b) Grant Received from Ministry of Tourism/ पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	34.34		
3.84			ii) Grant Recd for Construction of Third Chemical Berth/ तीसरे रासायनिक घाट के निर्माण के लिए प्राप्त अनदान	3.84		
40.25			iii) Grant received from Ministry Of Shipping for "Development of Tourism Infra alongside KALH/ कान्होजी आंग्रे लाइट हाउस के पर्यटन सुविधाके विकास के लिए जहाज मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	40.63		
24.00			iv) Grant recd from Ministry of Fisheries for Development of Mallet Bunder Fishing Hourbour, Mazgaon under PMMSY-Scheme Code No.3890/ मैलेट बंदर मत्स्योद्योग के विकास के लिए,PMMSY के तहत, मझगांव-योजना कोड संख्या 3890,मत्स्योदयोग मंत्रालय से	24.40		
	224.57				228.44	
		2555.22	C/F अग्रनीत			2448.74

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2023
31.03.2023 का तुलन पत्र

(₹. करोड मे / ₹. in crores)

As at 31st March 2022			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2023		
		2555.22	B/F आगे लाये गये			2448.74
			Debentures / ऋणपत्र			
			Loans and advances from/ निम्न से ऋण तथा पेशगीयां			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances) पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करें)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
			b. Government Loans / सरकार से ऋन			
			c. Loan from International Aid Agencies / आतंरराष्ट्रीय सहायता एजंसियों से ऋण			
			d. Unsecured Loans / तारणरहित ऋण			
			Fixed Deposits / नियत जमा			
			5. Advances from / निम्न से पेशगीयाँ			
	0.00		i) Advances received from Oil PSUs towards cost sharing of construction of JD-5 project/ तेल पीएसयू से अग्रिम जेडी -5 परियोजना के निर्माण की लागत साझा करना			
	63.53		ii) Upfront fees amortised(CoastGuard)/ परिशोधित अग्रिम फीस (तटरक्षक बल)		60.89	
	22.61		iii) Advance received from MMRDA for Reconstruction of STP sheds/ एसटीपी शेडों के पुनर्निर्माण के लिए एमएमआरडीए से मिला अग्रिम		22.61	
	64.00		iv) Advance Amount Received From MMRDA for reconstruction of Berth/ घाट के पुनर्निर्माण के लिए एमएमआरडीए से मिली अग्रिम राशि		64.00	
	0.18		v) Upfront fees received from Sri Modern Weigh System T. No.MEED 08/ 2021, To Be Amortised for 10 years/ श्री.मॉडर्न वेट सिस्टम टेंडर नंबर MEED.08/2021 से प्राप्त अग्रिम शुल्क 10 वर्षों के लिए परिशोधित किया जाएगा		0.16	
	0.97		vi) Amortised Upfront fees received from Concessionaire in r/o KALH Island/ रियायतग्राही से कान्होजी आंग्रे लाइट हाउसके संबंधमें प्राप्त परिशोधन अग्रिम शुल्क		0.93	
			vii) Upfront fees received from Ballard Pier / रियायतग्राही से कान्होजी आंग्रे लाइट हाउसके संबंधमें प्राप्त परिशोधन अग्रिम शुल्क		7.50	
			viii) Upfront fees amortised(CoastGuard)/ परिशोधित अग्रिम फीस (तटरक्षक बल)- for 13ID Shed		97.38	
			6. Loans and advances from:/ से ऋण और अग्रिम			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances) पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करे)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
			7. Short term loans and advances from:			
			निम्न से अल्पवधी ऋण तथा पेशगीयां			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances) पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करे)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
			8. Other Loans and advances from:			
			निम्न से अन्य ऋण तथा पेशगीयां			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances) पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करे)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
		151.29	**Deferred Tax Liability / आस्थगित आयकर देयताएँ**			253.47
		2706.51	**TOTAL / कुल योग**			**2702.21**

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2023
31.03.2023 का तुलन पत्र

(₹. करोड मे / ₹. in crores)

As at 31st March 2022			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2023		
			II. APPLICATION OF FUNDS निधियों का विनियोग			
			1. FIXED/CAPITAL ASSETS (Schedule-II) नियत / पूंजि परिसंपत्तियां (अनुसूची)			
7.43			(a) Free hold land / पुर्ण स्वामित्त्व भूमी	7.43		
			(b) Lease hold land / पट्टेपर दी गयी भूमी			
227.18			(c) Capital Dredging / पूंजी निर्क्षण	227.18		
			(d) Building Sheds and other structures/			
137.74			ईमारतें, शेड, अन्य संरचनाएं	137.74		
206.40			(e) Wharves, Roads, Boundaries/ घाट, सडके चहारदिवारियाँ	206.40		
106.72			(f) Floatilla and Floating Craft/ फ्लोटिला तथा प्लावी यान	79.19		
47.40			(g) Railway and Rolling Stock/	47.40		
			रेल्वे तथा रेल्वे इंजन, गाडिया, रेल्वे यान आदि			
922.70			(h) Docks,Sea-Walls,Piers and Navigational Aids/	920.67		
			गोदियाँ , समुद्री दीवारें , स्तंभ एवं दिक्चालन साधन			
45.64			(i) Cranes and Vehicles / क्रेन और वाहन	45.28		
66.47			(j) Plant & Machinery / संयंत्र और मशीनें	66.38		
137.85			(k) Installations for Water, Electricity,Telecommunication & Fire Fighting/	137.85		
			जल, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिये संस्थापनाएं			
505.58				505.58		
	2411.11		**जोड (a) से (I) / Total (a) to (I)**		2381.11	
	871.33		Capital Work in Progress / चालू पूँजी कार्य		1028.09	
	1378.58	1903.86	Less : Depreciation / घटाएँ : मूल्य ह्रास		1423.07	1986.13
			2. Investments (Schedule III) /			
			निवेश (अनुसूची - III)			
			Government or Trust securities/ सरकारी अथवा न्यास की प्रतिभुतियाँ			
10.27			Shares, Debentures or bonds/ समभाग, ऋणपत्र अथवा बंधपत्र	0.29		
4.50			Share Capital (IPRCL) / IPRCL में समभाग	4.50		
			Investment properties / निवेश संपत्ति			
1392.31	1407.08		Others / अन्य	1425.27	1430.06	
	1407.08		C/F अग्रनीत		**1430.06**	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2023
31.03.2023 का तुलन पत्र

(₹. करोड मे / ₹. in crores)

As at 31st March 2022			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2023		
	1407.08		B/F आगे लाये गये		**1430.06**	
		1407.08	Quoted Investments as at 31st March 2023 दिनांक ३१ मार्च २०२३ को उद्धत निवेश Face Value / अंकित मुल्य Market Value / बाजार मुल्य Include securities maturing within one year of the date of the Balancesheet तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष मे जिनकी अवधि पूरि होनेवाली है न प्रतिभूत्यों का समावेश करे			1430.06
			3. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण तथा पेशगियाँ			
			a. Current Assets / वर्तमान परिसंपत्तिया			
			(i) Interest accrued on investments / निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज			
	3.76		(a) Other Funds / अन्य निधि		14.64	
	17.22		(b) PF investments / भ.नि.निवेश		32.65	
	4.38		(ii) Inventories/ सपंतिसूची		6.46	
3331.73			(iii) Sundry Debtors (**)(Schedule IV) फुटकर देनदारी (अनुसूची - IV) (a) Government dues / सरकारी देयताएँ (b) Interport dues/ आंतरपत्तन देयताएँ (c) Non government dues / गैर सरकारी देयताएँ	3465.38		
20.26			Less : Provision for Doutful debts.	20.26		
1478.19	1833.28		Less : Provisions for unrecovered Estate Rentals	1478.19	1966.93	
			गैरसरकारी देयताएँ ** Particulars to be given separately of : debts considered good and fully secured debts considered good but not secured and debts considered doubtful or bad निम्न विवरण अलग अलग दिया जाए तारणसहित और प्राप्य माने गए ऋण प्राप्य माने गए लेकिन तारणविरहित ऋण संदिग्ध या अप्राप्य माने गए ऋण			
			(iv) Cash & Bank Balances (Schedule V) **रोकड तथा बैंक शेष (अनुसूची - V)**			
	2.12		Cash balance on hand / हाथ में उपलब्ध रोकड		0.55	
			Bank balances / बैंकों में शेष राशि			
	370.60		With scheduled banks / अनुसूचीत बैंकों में		536.96	
			With others / अन्य बैंकों में		24.58	
	2231.36		C/F अग्रनीत		**2582.77**	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2023
31.03.2023 का तुलन पत्र

(₹. करोड मे / ₹. in crores)

As at 31st March 2022			Particulars / ब्योरा	As at 31st March 2023		
	2231.36		B/F आगे लायेगये		**2582.77**	
			b. Loans & Advances / ऋण तथा पेशगियाँ			
			(i) Advances and loans to subsidiaries/ports कं. अथवा उसकी सहायक कं. भागिदार हो ऐसी भागिदारी फर्म को दि गइ पेशगियाँ तथा ऋण			
			(ii) Bills of Exchange हुंडी विनिमय पत्र			
558.67			(iii) Advances recoverable in cash or in kind or the value to be received रोकड अथवा वस्तूरूपमें वसूली योग्य पेशगी अथवा प्राप्य मूल्य	918.12		
558.67				918.12		
			Less: Advances considered Doubtful Of the above, Loans and Advances घटाएः उपरोक्तमे से संदेहात्मक समझी गयी ऋण तथा पेशगियाँ			
			a. Fully Secured / तारणसहित			
			b. Unsecured, Considered Good / असुरक्षित , अच्छी मानी गयी			
			c. Considered Doubtful / संदेहात्मक मानी गयी			
	558.67				918.12	
	2790.03		C/F अग्रनीत		**3500.89**	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2023
31.03.2023 का तुलन पत्र

(₹. करोड मे / ₹. in crores)

As at 31st March 2022			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2023		
	2790.03		B/F आगे लायेगये		3500.89	
			Less: Current Liabilities & Provisions			
			घटाएः चर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान			
			a. CURRENT LIABILITIES / चर्तमान देयताएँ			
225.54			(i) Pension Fund / निवृत्ति वेतन निधि	231.39		
1043.76			(ii) Provident Fund / भविष्य निधि	874.65		
0.00			(iii) Gratuity Fund/ उपदान निधि	-43.72		
1.67			(iv) National Pension Scheme/ राष्ट्रीय पेंशन योजना	2.08		
			(v) Sundry Creditors / विविध लेनदार			
305.41			Salaries & Wages Payable / देय वेतन और मजदूरी	501.32		
135.20			Liability towards Capital Expenses / पुंजीगत व्यय के लिए दायितायें	55.18		
			Unadjusted Sale proceeds of / अक्षमायोजित विक्री प्राप्तियाँः			
55.22			Unclaimed goods / अदावी माल	55.53		
4.27			Surplus Material / अतिरिक्त सामग्री	1.04		
0.76			Stores / भंडार	4.57		
203.19			Accrued Expenses / प्रोद्भूत व्यय	191.22		
			Miscellaneous creditors and credit balances Other than interest on port specific investments पत्तन के विशिष्ट निवेशोपर का ब्याज छोडकर प्रकिर्ण लेनदार और जमा शेष			
7.09			Demurrage payable to Railways / रेल को देय विलंब शुल्क			
-5.50			Statutory Payments / वैधानिक भुगतान	269.66		
67.33			Others / अन्य			
135.30			Miscellaneous creditors and credit balances Other than interest on port specific investments प्रकिर्ण लेनदार और जमा शेष पत्तन के विशिष्ट निवेशोपर का ब्याज	584.66		
8.20			Centenary Commemoration Fund / शताब्दी संस्मरण निधी	8.78		
1544.84			Advances from Merchants, Contractors & others/व्यापारियों ठेकेदारों तथा अन्यो से अग्रिमप्राप्ती	1705.53		
			Cash / रोकड			
			Securities / बयाणा जमा			
-1.68			Less: Securities at Face Value Held against deposits from Merchants, contractors & others घटाईऐं : व्यापारियों ठेकेदारों तथा अन्यो से प्राप्त जमा के तहत धारण किए प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य			
			(vi) Amounts due to other ports for services सेवा के लिए अन्य पत्तनोंको देय राशि			
			(vii) Other liabilities / अन्य देयताएं			
			(Revenue A/c temporarily overdrawn) राजस्व खाते से कुछ समय के लिए निकाली गयी ज्यादा राशि			
	3730.60		C/F अग्रानीत		4441.89	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2023
31.03.2023 का तुलन पत्र

(₹. करोड मे / ₹. in crores)

As at 31st March 2022			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2023		
	3730.60		B/F आगे लायेगये		**4441.89**	
			b. PROVISIONS / प्रावधान			
			(i) For Contingencies / आकस्मिकता के लिए			
	103.26		(ii) For taxation (net of taxes paid)		103.26	
			करों के लिए (भुगतान किया वास्तविक कर)			
			(iii) Other provisions / अन्य प्रावधान			
			Provisions for unrecovered Estate Rentals			
			वसुल न किए संपदा किराया के लिए प्रावधान			
	3833.86				4545.15	
		-1043.83	**NET CURRENT ASSETS/ कुल वर्तमान परिसंपत्तियां**			**-1044.26**
		432.52	Deferred Tax Asset			323.73
			आस्थागीत कर संपत्ती			
			वास्तविक वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
			Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off)			
			फुटकर खर्च (खट्टे खाते में न डाला हुआ)			
			a) Preliminary expenses / प्रारंभिक खर्च			
			b) Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares or debentures			
			शेअर अथवा ऋणपत्र अंशदान पर दिए कमिशन अथवा ब्रोकरेज पर हुआ खर्च मिलाकर			
			c) Discount allowed on the issue of shares or debentures			
			शेअर अथवा ऋणपत्र जारी करते समय दी गयी छूट			
			d) Interest paid out of capital during construction (also stating the rate of interest)			
			निर्माण के दौरान पूंजी से किया गया ब्याज का भुगतान (ब्याज का दर बताते हुए)			
		-611.31	C/F अग्रनीत			**-720.53**

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2023
31.03.2023 का तुलन पत्र

(₹. करोड मे / ₹. in crores)

As at 31st March 2022			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2023		
		-611.31	B/F आगे लायेगये			-720.53
			e) Development expenditure not adjusted असमायोजित विकास खर्च			
	6.88		f) Other items (Port Property Insurance Premium)/ अन्य मद (पत्तन संपत्ती बीमा किश्त)		6.54	
		6.88				6.54
		2706.51	**Total** कुल			2702.20

तुलनपत्र और इसकी अनुसूचियों पर हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Balance Sheet and Schedules thereto

श्रीमती माधुरी अ. वराडे
वित्तिय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
Madhuri A. Varade
Financial Adviser & Chief Accounts Officer

राजीव जलोटा
अध्यक्ष
Rajiv Jalota
Chairman

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2023

३१.०३.२०२३ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

2021-22		Particulars / ब्यौरा	2022-23	
		OPERATING INCOME परिचालन आय		
		1. Cargo handling and storage charges पोतभार सम्हलाई तथा भंडारण प्रभार		
246.79		Handling and storage charges (excluding container) सम्हलाई तथा भंडारण प्रभार	295.32	
262.30		P.O.L. Handling Charges पी ओ ल सम्हलाई प्रभार	312.69	
11.66		Charges for container handling(including containerised cargo) कंटेनर सम्हलाई के लिए प्रभार (कंटेनर पोतभार सहित)	10.78	
		Storage fees भंडारण प्रभार		
65.34		Stevedoring Charges / जहाजी कुली प्रभार	69.93	
68.54		Demurrage / विलंब शुल्क	49.45	
23.14		Miscellaneous income / फुटकर आय	36.21	
	677.77			774.38
	677.77	C/F अग्रनीत		774.38

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2023

३१.०३.२०२३ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

2021-22		Particulars / ब्यौरा	2022-23	
	677.77	B/F आगे लायेगये		774.38
		2. Port and dock charges पत्तन तथा गोदी प्रभार		
264.06		Fees for pilotage, towage etc. पायलटेज, टोवेज के लिए प्रभार	304.35	
404.14		Berth hire charges, Pier Dues, Anchorage Fees etc. घाट किराया शुल्क	410.30	
161.86		Port dues	177.67	
15.98		Dry docking charges निर्जल गोदी प्रभार	16.46	
73.08		Miscellaneous income / फुटकर आय	113.79	
	919.12			1022.57
		3. Railway earnings रेल आमदनी		
3.95		Freight and haulage भाडा और कर्षण प्रभार	2.54	
0.52		Siding charges साइडिंग प्रभार	0.25	
3.48		Terminal charges टर्मिनल प्रभार	2.26	
1.08		Miscellaneous income / फुटकर आय	4.42	
	9.03			9.47
	1605.92	C/F अग्रनीत		1806.42

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2023

३१.०३.२०२३ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

2021-22		Particulars / ब्यौरा	2022-23	
	1605.92	B/F आगे लायेगये		1806.42
		4. Estate Rentals संपदा किराया		
244.72		Rent from land भूमि से किराया	269.88	
17.10		Rent from building, sheds, and Godowns इमारतें शेड तथा गोदामों से किराया	15.03	
11.16		Recoverable property taxes etc. वसूली योग्य सम्पत्ति कर आदि	7.71	
18.06		Miscellaneous income / फुटकर आय	22.12	
	291.04			314.74
	1896.96	TOTAL OPERATING INCOME (a) / कुल परिचालन आय (अ)		2121.16
		OPERATING EXPENDITURE / प्रचालन व्यय		
	340.11	1. Cargo handling and storage charges (Schedule VI) पोतभार सम्हलाई और भंडारण प्रभार (अनुसूची - VI)		297.45
	264.29	2. Port and dock facilities for shipping(Schedule VII) नौवहन के लिए पत्तन तथा गोदी सुविधाएँ (अनुसूची - VII)		270.65
	15.45	3. Railway workings (Schedule VIII) रेल संचालन (अनुसूची - VIII)		14.12
	92.84	4. Rentable land and building (Schedule IX) किराये योग्य भूमि और इमारते (अनुसूची - IX)		54.62
	397.88	5. Management and General Administrative Expenses(Schedule X) प्रबंध तथा सामान्य प्रशासनिक खर्च (अनुसूची - X)		450.96
	1110.57	(ब)(अनुसूची - XI)		1087.80
	786.39	Operating Profit (a) - (b)/ परिचालन अधिशेष (अ) – (ब)		1033.36

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2023

३१.०३.२०२३ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

2021-22		Particulars / ब्यौरा	2022-23	
	786.39	B/F आगे लायेगये		1033.36
		Add : Finance and Miscellaneous income जोडे : वित्त तथा फुटकर आय		
3.00		Interest on short term deposit/surplus investment/Cash balanaces अल्पावधि जमा / अधिशेष निवेश / नकद शेष पर ब्याज	2.51	
3.99		Interest on investments of Reserves/ भंडार के निवेश पर ब्याज	23.92	
13.46		Interest on delayed payments and other items/ विलंबित भुगतान और अन्य मदों पर ब्याज	31.33	
0.32		Interest chargeable to Leases/ Tenants for delayed payment of GST by them/ प्रभार्य	0.54	
0.28		Interest on staff advances कर्मचारियों को दी गयी पेशगी पर ब्याज	0.17	
7.93		Profit on sale/disposal of capital assets पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री निपटान से लाभ	5.95	
0.00		Profit on sale/Redemption of investment / निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ	0.00	
43.60		Prior period income पिछली अवधि की आय	93.38	
9.83		Sundry receipts / फुटकर प्राप्तियाँ	16.04	
	82.41			173.84
	926.57	Less: Finance and Miscellaneous Expenditure (Schedule XII) घटाइएँ: वित्त तथा फुटकर खर्च (अनुसूची – XII)		1019.70
		Provision for pension/ पेंशन के लिए प्रावधान		200.00
	-57.77	Surplus / अधिशेष		-12.50
	-57.77	Profit Before Tax(C/f) / करपूर्व लाभ (अग्रनीत)		-12.50

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2023

३१.०३.२०२३ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

2021-22		Particulars / ब्यौरा	2022-23	
		B/F आगे लाये गये		
	-57.77	PROFIT BEFORE TAX(b/f)/करपूर्व लाभ (आगे लाया गया)		-12.50
41.00		Add : Provision of Tax for the year 2008-09 written back / जोड़ें: वर्ष 2008-09 के लिए कर का प्रावधान वापस लिखा गया		
0.00		घटाइएँ: कराधान हेतू प्रावधान / Less: Provision for taxation/		
		(i) Current Tax / चालू कर		
		(ii) Deferred Tax / अस्थगित कर	108.79	
		(iii) Fringe benefit Tax / नौकरी सुविधा लाभ कर		
	41.00			108.79
	-16.77	PROFIT AFTER TAX / कर पश्चात लाभ		-121.29
	66.44	Add : Withdrawal from Employees Welfare Fund जोडे : कर्मचारी कल्याण निधिसे निकासी		38.74
	49.67	Total Deficit / Surplus कुल घाटा / अधिशेष		-82.55
		Less : Appropriations घटाइएँ: विनियोग		
7.93		Profit on Disposal of Capital Asset Trfd. Capital Reserve पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री निपटान से लाभ	5.95	
66.44		Employees Welfare Fund / कर्मचारी कल्याण निधि	38.74	
3.29		Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets पूंजीगत परिसंपत्तियो के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकिकरण के लिए निधि	23.21	
0.00		General Reserve / सामान्य आरक्षित	0.00	
0.70		Fund for Development, Repayment of Loan & Contingencies विकास, ऋण प्रतिदान तथा अनुषंगिक खर्चो के लिए निधि	0.69	
		Other funds (port specific) / अन्य निधि (पोर्ट विशिष्ट)		
		Fire & Motor Insurance Fund / अग्नि तथा मोटार विमा निधि		
	78.36			68.59
	-28.69	Net Surplus / Deficit Transferred to Balance Sheet कुल अधिशेष / घाटा तुलन पत्र मे स्थानांतरित किया		-151.14

लाभ और हानी लेख और इसकी अनुसूचियों पर हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Profit & Loss A/c. and Schedules thereto

श्रीमती माधुरी अ. वरडे
वित्तिय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
Smt. Madhuri Varade
Financial Adviser & Chief Accounts Officer

राजीव जलोटा
अध्यक्ष
Rajiv Jalota
Chairman

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2023

३१.०३.२०२३ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

Typewise details of Operating Expenditure

	2022-23	2021-22
(a) Payment to and provision for employees कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		
i) Salaries, wages, bonus etc. वेतन, मजदूरी, बोनस आदि	616.36	645.15
ii) Companies contribution to provident and other funds भविष्य निर्वाह निधि तथा अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान		
iii) Gratuity / उपदान		
iv) Workmen and staff welfare expenses कामगार तथा कर्मचारी कल्याण खर्च	57.49	66.44
(b) Operating expenses / प्रचालत खर्च		
i) Repairs to plant and machinery (showing separately amounts incurred towards vessels/crafts, cranes and general plant and machinery) प्लान्ट और मशीनरी की मरम्मत (जहाज क्राफ्ट्स, क्रेन्स तथा सामान्य प्लान्ट और मशीनरी पर किया खर्च अलग दर्शया जाएं)	0.55	1.10
ii) Repairs to building (including sheds) / इमारतों की मरम्मत (गोदामों सहित)	0.00	16.74
iii) Other repairs / अन्य मरम्मत	60.41	35.97
iv) Stores / प्रयोग में लायी गयी सामग्री	39.22	50.96
v) New minor works / नए छोटे कार्य	1.02	2.51
(c) General Expenses / सामान्य खर्च		
i) Rent, rates and taxes / किराया, दर और कर	3.23	4.18
ii) Audit Fees / लेखा परीक्षा शुल्क	0.60	0.55
iii) Water and electricity charges / जल तथा विद्युत प्रभार	28.19	35.45
iv) Communication expenses (including telephone, telex,fax etc. संचार व्यवस्था पर खर्च (दूरभाष, टेलेक्स, फॅक्स सहित)	0.44	0.52
vi) Other expenses / अन्य खर्च *	280.29	251.00
	1087.80	1110.57

* for details please see Schedule XI / * विवरण के लिए कृपया अनुसूची XI देखें

MUMBAI PORT AUTHORITY

Annual Accounts 2022-23

CASH FLOW STATEMENT

(Rs. In crores)

	PARTICULARS	For the Year ended As on 31.03.2023	For the Year ended As on 31.03.2022
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	NET SURPLUS BEFORE TAX	(12.50)	(57.77)
	ADJUSTMENTS FOR		
	DEPRECIATION INCL. PRIOR PERIOD	44.50	47.43
	PROFIT/LOSS ON SALE OF ASSETS	(5.95)	(7.93)
	PROVISION FOR PENSION	200.00	
	INTEREST/DIVIDEND INCOME	(26.43)	(6.99)
	OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	**199.62**	**(25.26)**
	WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS		
	SUNDRY DEBTORS	(130.25)	145.57
	AMORIZATION OF UPFRONT FEES	(2.70)	(2.65)
	INVENTORIES	(2.08)	(0.16)
	ADVANCES/DEBIT BALANCES	(351.45)	(5.29)
	CREDITORS & PAYABLES	511.29	(159.37)
	PREPAID INSURANCE	0.34	(3.07)
	ACCURED INTEREST	(26.31)	26.45
	TOTAL WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS	**(1.16)**	**1.48**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES - A	**198.46**	**(23.78)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	PROFIT ON SALE OF ASSET	5.95	7.93
	ADDITION TO OF FIXED ASSET	-	(38.77)
	SALE OF FIXED ASSET	30.00	71.56
	ADDITION TO CAPITAL WIP	(156.76)	(211.61)
	CAPITAL WIP ADDED TO ASSETS	-	38.77
	INTEREST/DIVIDEND RECEIVED	26.43	6.99
	DEBENTURES REDEEMED	10.00	-
	CHANGE IN INVESTMENTS	(30.67)	(198.32)
	TOTAL CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES - B	**(115.05)**	**(323.45)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	GRANT FROM CENTRAL GOVERNMENT	3.87	183.62
	UPFRONT FEES RECEIVED	102.18	1.15
	TOTAL CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES - C	**106.05**	**184.77**
D	**INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES(A+B+C)**	**189.37**	**(162.52)**
E	OPENING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs"	372.72	535.24
	CLOSING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs"	562.09	372.72
	INCREASE/(DECREASE)	**189.37**	**(162.52)**

**Change in investments suggests more investments*

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

तुलन पत्र
और
लाभ और हानी लेख
की अनुसूचियाँ

Schedules to the
Balance Sheet
And
Profit & Loss Accounts

आरक्षिता और निधि	पूँजी आरक्षिता	सामान्य आरक्षित निधि
RESERVES AND FUNDS	Capital Reserve	General Reserve Fund
शेष ३१ मार्च २०२२ को		
Balance - 31st March 2022	**1592.68**	**41.81**
जोडियेः राजस्व लेखे से अंशदान --		
Add: Contribution from Revenue Account --		
राजस्व लेखे से अंतरण		
Transfers from Revenue Accounts.....	5.94	---
अन्य आरक्षित और निधियों से अंतरण		
Transfers from Other Reserves & Funds		
पूंजी आरक्षित		
(i) Capital Reserve.....	73.05	---
सामान्य आरक्षित निधि		
(ii) General Reserve Fund.....	---	---
पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिये निधि		
(iii) Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets.....	---	---
विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि		
(iv) Fund for Development, Repayment of Loans & contingencies	---	---
(v) शोधन निधी / Sinking Fund...	---	---
अन्य अंतरण ---		
Other Transfers ---		
कर्मचारी / भूतपूर्व कर्मचारियों से प्राप्त आय		
Repceipts from Employees/Ex-employees.....	---	---
भूतपूर्व कर्मचारियों से बाहय चिकित्सा सुविधा के लिये प्राप्त आय		
Receipts from ex-employees towards Medical treatment	---	---
अन्य Misc./Other	0.00	---
उपभोक्ता सहकारी भंडारो को ऋण		
Loans granted to Consumers' Co-operative Stores		
अर्धवार्षिक किस्तों और बकाया शेषपर ब्याज की वसूली		
Recovery of half-yearly instalments together with	---	---
interest on the outstanding balances.....	---	---
निवेशों पर ब्याज		
Interest on Investments.....	---	---
अग्रेनीत		
Carried forward	1671.67	41.81

ANNUAL ACCOUNTS 2022-23

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2023

SCHEDULE - I

(₹. करोड में) / ₹. in crores

अग्नी और मोटर बीमा निधि	युद्ध स्मारकनिधि	कर्मचारी कल्याण निधि	पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थाप्न और आधुनिकीकरण केलिये निधि	विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता केलिये निधि	शतब्दि स्मारकनिधि	कंपनी (पोर्ट) का सामाजिक उत्तरदायित्व केलिऐ निधि
Fire & Motor Insurance Fund	War Memorial Fund	Employees' Welfare Fund	Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	Centenary Commemoration Fund	Fund for Corporate Social Responsibility /
140.15	**0.02**	**0.01**	**888.81**	**12.09**	**6.00**	**0.00**
---	---	38.74	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	10.93
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	23.20	0.70	---	---
140.15	0.02	38.75	912.01	12.79	6.00	10.93

आरक्षिता और निधि	पूँजी आरक्षिता	सामान्य आरक्षित निधि
RESERVES AND FUNDS	Capital Reserve	General Reserve Fund
Brought forward	1671.67	41.81
घटाईये : (i) को अंतरण —		
(a) Revenue Account.....	---	502.06
(ब) घाटा		
(b) Deficit	---	---
(क) अन्य आरक्षित और निधि		
(c) Other Reserves & Funds (Capital Reservers).....	---	---
(ii) भुगतान		
Payments.....	---	---
(iii) अन्य अंतरण		
Other Transfers.....	---	---
	0.00	502.06
Balance - 31st March 2023 / शेष – ३१ मार्च २०२३	**1671.67**	**-460.25**

ANNUAL ACCOUNTS 2022-23

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2023

SCHEDULE - I

(₹. करोड में) / ₹. in crores

अग्नी और मोटर बीमा निधि	युद्ध स्मारकनिधि	कर्मचारी कल्याण निधि	पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थाप्न और आधुनिकीकरण केलिये निधि	विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता केलिये निधि	शतब्दि स्मारकनिधि	कंपनी (पोर्ट) का सामाजिक उत्तरदायित्व केलिऐ निधि
Fire & Motor Insurance Fund	War Memorial Fund	Employees' Welfare Fund	Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	Centenary Commemoration Fund	Fund for Corporate Social Responsibility /
140.15	0.02	38.75	912.01	12.79	6.00	10.93
---	---	38.74	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	0.00	73.04	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
0.00	0.00	38.74	73.04	0.00	0.00	0.00
140.15	**0.02**	**0.01**	**838.97**	**12.79**	**6.00**	**10.93**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

(₹. करोड में) / ₹. in crores

	पूँजी परीसंपत्तियाँ CAPITAL ASSETS	कुल ब्लॉक GROSS BLOCK				
	परीसंपत्तियो का विवरण Particulars of Assets	१ अप्रैल २०२२ संचय As at 1st April'2022	वर्ष में परिवर्धन Additions during the year	वर्ष में विलोपन Deletions during the year	वर्ष में की गयी समायोजन Adjustment during the year	३१ मार्च २०२३ को कुल As at 31st March'2023
I.	भूमी LAND..... FreeHold Lease Hold	7.43	0.00	0.00	0.00	7.43
II.	पूँजी निकर्षण CAPITAL DREDGING.....	227.17	0.00	0.00	0.00	227.17
III.	ईमारते, शेड अन्य संरचनाएं BUILDINGS, SHEDS, OTHER STRUCTURE	137.74	0.00		0.00	137.74
IV.	घाट, सडके, चहारदिवारियाँ WHARVES, ROADS, BOUNDARIES..	206.40	0.00		0.00	206.40
V.	प्लावी यान FLOATING CRAFTS.....	106.72	0.00	27.54	0.00	79.18
VI.	रेल्वे और चल स्टाक RAILWAY & ROLLING STOCK.....	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40
VII.	गोदियां, समुद्री दीवारें, स्तंभ, दिक्चालन साधन DOCKS, SEA-WALLS, PIERS AND NAVIGATIONAL AIDS.....	922.70	0.00	2.03	0.00	920.67
VIII.	क्रेन और वाहन CRANES AND VEHICLES.....	45.64	0.00	0.36	0.00	45.28
IX.	संयंत्र और मशीने PLANT AND MACHINERY.....	66.47	0.00	0.09	0.00	66.38
X.	जल, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिये संस्थाएं INSTALLATIONS FOR WATER, ELECTRICITY, TELECOMMUNICATION AND FIRE-FIGHTING.....	137.85	0.00		0.00	137.85
XI.	तेल पाईप लाईन संस्थाप्नाएं OIL PIPE LINE INSTALLATIONS.....	505.58	0.00	0.00	0.00	505.58
	जोड I से XI / Total I to XI	**2411.11**	**0.00**	**30.02**	**0.00**	**2381.11**
XII.	चालू पूँजी कार्य **CAPITAL WORKS IN PROGRESS**					
	PLAN WORKS	862.22	157.84			1020.06
	NON-PLAN WORKS	9.11	-1.08			8.03
		871.33	**156.76**	**0.00**	**0.00**	**1028.09**
	कुल जोड Grand Total	**3282.44**	**156.76**	**30.02**	**0.00**	**3409.20**

ANNUAL ACCOUNTS 2022-23

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2023

SCHEDULE - I

(₹. करोड में) / ₹. in crores

मूल्यह्रास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
१ अप्रैल २०२२ संचय Accumulation as at 1st April'2022	वर्ष में की गयी प्रावधान Provision made during the year	वर्ष में विलोपन आदि से समायोजन Adjustment on deletions, etc., during the year	३१ मार्च २०२३ को कुल Total as at 31st March 2023	३१ मार्च २०२३ को As at 31st March 2023	३१ मार्च २०२२ को As at 31st March 2022
0.00			0.00	7.43	7.43
52.93	4.43		57.36	169.81	174.24
101.94	3.48		105.42	32.32	35.80
157.73	13.36		171.09	35.31	48.67
90.09	3.14	27.54	65.69	13.49	16.63
16.74	0.77		17.51	29.89	30.66
408.02	30.75	2.03	436.74	483.93	514.68
33.78	1.74	0.36	35.16	10.12	11.86
44.88	2.46	0.09	47.25	19.13	21.59
108.98	3.07		112.05	25.80	28.87
363.49	11.30		374.79	130.79	142.09
1378.58	**74.50**	**30.02**	**1423.07**	**958.04**	**1032.52**
				1020.06	862.22
				8.03	9.11
				1028.09	**871.33**
1378.58	**74.50**	**30.02**	**1423.07**	**1986.13**	**1903.85**

चालू वर्ष के लिए	74.54
पिछले वर्ष के लिए	0.00
Total	**74.54**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

(₹. करोड में) / ₹. in crores

३१.०३.२०२२ तक कि कुल निवेश Total investment as on 31.03.2022		वित्तिय संस्थाएं Financial Institutions	सामान्य आरक्षित निधि General Reserve Fund		अग्नी और मोटर बीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि Fire & Motor Insurance Fund and War Memorial Fund		पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थाप्न और आधुनिकीकरण के लिये निधि Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value		प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
4.50	4.50	आय पी आर सी एल मे समभाग Share Capital in IPRCL	4.50	4.50				
4.50	**4.50**	(अ) / (a)	**4.50**	**4.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	एम पी ई बी बंधपत्र Bonds of MPEB						
0.00	0.00	यू पी सी एस एम एफ बंधपत्र Bonds of UPCSMF						
0.00	0.00	एम एस आर डी सी बंधपत्र Bonds of MSRDC						
10.00	10.00	एनौर पत्तन बंधपत्र Bond of Ennore Port						
0.00	0.00	के बी जे एन एल बंधपत्र Bond of KBJNL						
0.21	0.21	एस बी आय लाईफ़ SBI Life						
0.00	0.00	पी एस यू के बंधपत्र Bonds of PSUs						
10.21	**10.21**	(ब) / (b)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193.98	1193.98	DEPOSITS - जमा राशि बैंकों में with Banks					565.00	565.00
1193.98	**1193.98**	(क) / (c)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**565.00**	**565.00**
1208.70	**1208.70**	जोड (अ) से (क) Total (a) to (c)	**4.50**	**4.50**	**0.00**	**0.00**	**565.00**	**565.00**
---	---	टिप्पणी / Note : उद्धत निवेश Quoted Investments	---	---	---	---	---	---
1208.70	**1208.70**	अर्नउद्धत निवेश Unquoted Investments	**4.50**	**4.50**	**0.00**	**0.00**	**565.00**	**565.00**

कर्मचारी कल्याण निधि के लिए कोई निवेश नही हैं.
Employees' Welfare Fund has no investments.

ANNUAL ACCOUNTS 2022-23

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2023

SCHEDULE - I \\

(₹. करोड में) / ₹. in crores

विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि **Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies**		शतब्दि स्मारक निधि **Centenary Commemoration Fund**		भविष्य निर्वाह निधि **Provident Fund**		अवक्षय नकदिकरण निधी **Leave Encashment Fund**		३१.०३.२०२३ तक कि कुल निवेश **Total investment as on 31.03.2023**	
प्रत्यक्ष मूल्य **Face Value**	लागत मूल्य **Cost Value**	प्रत्यक्ष मूल्य **Face Value**	लागत मूल्य **Cost Value**	प्रत्यक्ष मूल्य **Face Value**	लागत मूल्य **Cost Value**	प्रत्यक्ष मूल्य **Face Value**	लागत मूल्य **Cost Value**	प्रत्यक्ष मूल्य **Face Value**	लागत मूल्य **Cost Value**
								4.50	**4.50**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.50**	**4.50**
								0.00	**0.00**
								0.00	**0.00**
								0.00	**0.00**
0.00	0.00							**0.00**	**0.00**
								0.00	**0.00**
						0.29	0.29	**0.29**	**0.29**
								0.00	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.29**	**0.29**	**0.29**	**0.29**
		9.00	9.00	851.27	851.27			1425.27	1425.27
0.00	**0.00**	**9.00**	**9.00**	**851.27**	**851.27**	**0.00**	**0.00**	**1425.27**	**1425.27**
0.00	**0.00**	**9.00**	**9.00**	**851.27**	**851.27**	**0.29**	**0.29**	**1430.06**	**1430.06**
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0.00	**0.00**	**9.00**	**9.00**	**851.27**	**851.27**	**0.29**	**0.29**	**1430.06**	**1430.06**

शतब्दि स्मारक निधि की निवेश ₹.६.०० करोड निधि संचय के लिए और ₹.३.०० करोड बैंक शेष के लिए हुई हैं.

Investment of CCF includes ₹.6.00 crore on account of Corpus Fund and ₹.3.00 crore on account of Cash Balance.

कुल निवेश में से ₹526.10 करोड़ अल्पावधि निवेश में रखे गए हैं

Out of the total Investments, ₹.526.10 crore have been held in Short Term Investment

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२२-२३

ANNUAL ACCOUNTS 2022-23

३१ मार्च २०२३ के तुलन पत्र की अनुसूचियां

Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2023

अनुसूची IV

SCHEDULE IV

दी गई सेवाओं के कारण विविध देनदारी की दि. ३१ मार्च २०२३ की स्थिती

Sundry Debtors As On 31st March 2023 For Different Services Rendered

(₹. करोड में / ₹. in crores)

विवरण / Particulars	2022-23	2021-22
Docks	321.78	286.59
Stevedoring	4.86	4.47
Port	151.31	162.55
Bunder	28.64	28.64
Estate & Railway Estate	2561.72	2474.20
Workshops	1.23	1.23
Chief Engineer	3.56	1.45
Pay & Park	4.27	4.83
Rent	0.78	0.74
Chief Mech. Engineering	43.26	28.76
Water Front	-0.02	-0.02
BDLB transferred due to merger	-20.95	2.06
Railway Estate(Operation & Demurrage)	7.43	5.08
Service Tax	161.62	157.27
GST	195.90	173.88
	3465.38	3331.73

* अन्य शेष राशि के संबध मे ₹. 1108.29 करोड डुप्यों की पट्टेदारो/किराएदारों से वसूल किगयी राशि संपदा विभाग के फुटकर जमाखते में पडी है. (31.03.2022 को ₹. 1099.35करोड).

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२२-२३

ANNUAL ACCOUNTS 2022-23

३१ मार्च २०२३ के तुलन पत्र की अनुसूचियां

Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2023

SCHEDULE V / अनुसूची V

बैंकों में शेष और हस्ते नकद

BALANCE AT BANKS AND CASH IN HAND

(₹. करोड में / ₹. in crores)

विवरण / Particulars	2022-23		2021-22	
बैंकों में जमा राशी				
Deposits with Banks.....		165.94		245.05
बैंकों में जमा राशी (व्यापरियों, ठेकेदारों और अन्य की ओरसे)				
Deposits with Banks (on behalf of Merchants, Contractors and Others)		18.27		34.15
बैंकों में शेष (अन्य विभाग)				
Balances with Banks (Other Departments)		-1.71		5.87
चालू खाता / Current Accounts				
पत्तन समुदाय प्रणाली / Port Community System				
स्टेट बैंक आफ इंडिया				
State Bank Of India				
राजस्व खाता / Revenue Account	7.82		20.97	
कंपनी (पोर्ट) के उत्तरदायित्व के लिए खाता				
CorporateSocial Responsibility Account	0.01		0.01	
भविष्य निधि खाता				
Provident Fund Account	111.99		9.81	
निवृत्ति वेतन निधि				
Pension Fund Trust	0.00		0.00	
युनियन बैंक आफ इंडिया / Union Bank of India	294.45		50.81	
इंडियन बैंक खाता / Indian Bank Account	-3.70	410.57	0.01	81.61
स्टेट बैंक आफ इंडिया / STATE BANK OF INDIA				
JD-5 Project Escrow Account	1.92		3.60	
विभिन्न बैंक - पीसीएस खाते / Various Banks-PCS accounts	0.00		0.00	
ईंडियन ओव्हरसिज बैंक / INDIAN OVERSEAS BANK				
वेतन खाता / Salary Account.....	-58.03	-56.11	0.32	3.92
Banks- Sagarmala & Other Grants		24.58		
		561.54		**370.60**
हस्ते नकद				
Cash In Hand				
वित्त विभाग के पास				
With Finance Department.....*		0.00		0.00
अन्य विभागों के पास				
With Other Departments		0.55		2.12
		0.55		**2.12**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२२-२३

Annual Accounts 2022-23

३१ मार्च २०२३ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2023

अनुसूची 6 / Schedule VI

जहाजी माल की सम्हलाई और भंडारण / Cargo Handling And Storage

(₹. करोड में / ₹. in crores)

	2022-23	2021-22
शेडों और घाटों में सामान्य जहाजी मालकी सम्हलाई और भंडारण Handling & Storage of General Cargo at Sheds and Wharves...	176.54	201.25
माल को गोदाम में रखना Warehousing.....	0.05	1.46
कंटेनर निपटानेवाली क्रेने और अन्य क्रेनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of Container Handling Cranes and other cranes...	3.56	15.05
पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक सम्हलाई Handling of Petroleum, Oil and Lubricants.....	33.80	24.98
गोदियों और बंदरगाहों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय Expenditure on general facilities at Docks & Bunders.....	4.12	14.54
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	47.12	34.84
मूल्यह्रास Depreciation.....	32.26	48.00
कुल / Total	**297.45**	**340.11**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

अनुसूची 7 / Schedule VII
नौवहन के लिये पत्तन और गोदी की सुविधाएं / Port And Dock Facilities For Shipping

(₹. करोड में / ₹. in crores)

	2022-23	2021-22
नौकर्षण, घाट व लंगर		
Towing berthing and Mooring.....	82.62	121.07
प्रदुषण नियंत्रण		
Pollution Control.....	6.57	1.55
पायलट कार्य		
Pilotage.....	17.02	13.22
शुष्क गोदी व्यय		
Water Supply to Shipping.....	11.85	0.95
अग्निशमन		
Fire Fighting.....	18.42	17.88
निकर्षण और समुद्री सर्वेक्षण		
Dredging and Marine Survey.....	32.00	58.43
बंदरगाह गश्त		
Harbour Patrol.....	2.73	2.53
दिक्चालन साधनों का परिचालन और अनुरक्षण		
Operation and maintainance of navigational aids.....	0.70	0.78
उबार कार्य और जलगत मरम्मत		
Salvage and underwater repairs.....	1.11	1.40
गोदियो और बंदरगाहों की दिवारों, समुद्र संरचनाओं आदि का अनुरक्षण		
Maintanace of dock and harbour walls & marine structure, etc.	5.50	1.89
प्रशासन और सामान्य व्यय		
Administration and General Expenses.....	56.82	21.23
मूल्यह्रास		
Depreciation.....	35.08	22.58
कुल / Total	**270.65**	**264.29**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२२-२३
Annual Accounts 2022-23

३१ मार्च २०२३ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2023

अनुसूची 8 / Schedule VIII
रेल्वे संचालन / Railway Working

(₹. करोड में / ₹. in crores)

	2022-23	2021-22
रेल्वे माल डिब्बों आदि का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of locomotives,wagons,etc.....	10.03	3.82
रेल्वेपथ, सिग्नल और अन्तःपशन का अनुरक्षण Maintainance of permanent way and signal and interlocking....	0.00	1.37
स्टेशन यार्डो और साईडिंग परिचालन, अनुरक्षण ओर प्राशासनिक व्यय Operation,maintainance and administration expenses of stations yards and sidings....	0.00	6.52
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration & General Expenses.....	3.24	2.89
मूल्य ह्रास Depreciation.....	0.85	0.85
कुल / Total	**14.12**	**15.45**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

३१ मार्च २०२३ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2023

अनुसूची 9 / Schedule IX

किराये योग्य भुमि एवं इमारतें /Rentable Lands And Buildings

(₹. करोड में / ₹. in crores)

	2022-23	2021-22
आस्ति अनुरक्षण Estate Maintenance		
कर्मचारी निवास Staff Quarters.....	21.98	54.10
सामान्य सुविधाएं इमारते शेड और गोदाम General Facilities including maintenance of roads & other Buildings, Sheds & Godowns	14.53	20.54
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	16.59	16.55
मूल्य ह्रास Depreciation.....	1.52	1.66
कुल / Total	**54.62**	**92.84**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२२-२३
Annual Accounts 2022-23

३१ मार्च २०२३ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2023

अनुसूची 10 / Schedule X

प्रबंध और सामान्य प्रशासन / Management and General Administration

(₹. करोड में / ₹. in crores)

	2022-23	2021-22
प्रबधकीय और सचिविक व्यय Management and Secretarial expenses.....	127.30	93.00
लेख विधि और लेखा परीक्षा Accounting and Auditing.....	43.98	34.61
कानूनी व्यय Legal expenses.....	10.60	6.50
श्रम और कल्याण व्यय Labour and Welfare expenses.....		95.78
चिकित्सा व्यय Medical expenses.....	118.11	56.68
भंडार रक्षण Store-keeping.....	16.37	14.26
प्रधान कार्यालय की इमारत पर व्यय Expenditure on Head Office building.....	0.81	1.82
टेलिफ्रेन Telephone.....		0.50
इंजिनियरी और कारखना प्रशासन और उपरी खर्च Engineering and Workshop administration and overheads	129.00	89.59
मूल्य ह्रास Depreciation.....	4.79	5.14
कुल / Total	**450.96**	**397.88**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

३१ मार्च २०२३ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2023

अनुसूची 11 / Schedule XI

प्रचालन व्यय प्रकार / Operating Expenditure By Type

(₹. करोड में / ₹. in crores)

	2022-23	2021-22
वेतन और मजदूरी / Salaries and Wages		
सामान्य / General	384.06	510.35
वेतन और मजदुरी (परिचालन) / Salaries & Wages (Operational)	39.09	42.45
वेतन और मजदूरी (मरम्मत और रखरखाव) /Salaries & Wages (Repairs & Maintenance)	40.60	54.16
वेतन और मजदुरी (चिकित्सा) /Salaries & Wages (Medical)	43.78	
वेतन और मजदुरी (सुरक्षा) /Salaries & Wages (Security)	8.93	
पीस रेट प्रीमियम / Piece Rate Premium	18.12	0.45
पीस रेट भुगतान / Piece Rate Payment	0.16	
ओवरटाईम / Overtime	24.93	29.99
पी.एल.आर / Productivity Linked Reward	6.00	7.00
छुट्टी की यात्र रिआयते / Leave Travel Concessions	0.29	0.29
कर्मचारी सुविधाएं और कल्याण उपाय /Staff Amenities & Welfare Measures	0.41	0.34
अवक्रश नक्दीकरण (सेवारत कर्मचारी) /Leave Encashment (in-service employees)	4.27	
अप्रयुक्त छुट्टी का नक्दीकरण (सेवानिवृत) / Encahsment of unutilised Leave (Retired)	31.34	
हमालेज लेबर /Hamallage Labour	10.70	
मानदेय / Honorarium	0.10	0.12
प्रशिक्षुओं को स्टाईपेंड /Stipend to Apprentices	1.74	
नाइट वेटेज / Night Weightage	1.77	
कोविड प्रोत्साहन राशि/ Covid Incentives	0.07	
	616.36	**645.15**
भंडार / Stores		
सामान्य / General	0.30	1.02
संयत्र परिचालन, आदि / Operation of Plant, etc.(fuel expenditure)	38.85	32.79
मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs & Maintenance	0.07	1.17
	39.22	**34.97**
कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय / Office and Administrative Expenses		
पोस्टेज,तर फैक्स और कुरिअर / Postage, Telegraphs, Fax & Courier etc	0.02	0.18
यात्रा व्यय / Travelling Expenses	0.46	0.21
स्टोर्स स्टेशनरी / Stores Stationery	0.53	0.83
मुद्रण और प्रक्रशन / Printing & publishing	0.02	0.01
प्रचार और विज्ञापन / Advertisement & publicity	0.50	0.32
कानुनी तथा व्यवसायिकप्रभार / Legal & Professional Charges	3.80	5.01
किराया दर और कर / Rent, Rates & Taxes	3.23	4.18
लेख परिक्षा और लेखा विधि शुल्क / Audit fees & Accountancy	0.60	0.55
कामगार क्षतिपुर्ती अधिनियम केअनुसार अदायगी / Payments under Workmen's Compensation Act	0.55	2.29
किताबें तथा नियतकालिक/ Books & Periodicals	0.00	0.01
प्रशिक्षण और सेमिनार शुल्क / Training and seminars subscriptions	1.54	0.16
गॅस / Gas	0.19	0.33
फर्निचर और कार्यालयीन सामग्री / Furniture & Office Equipment	0.02	0.24
छोटे निमाण कार्य / Minor works	1.02	2.51
लाइसेन्स शुल्कऔर रॉयल्टी / License fees & Royalty		0.04
खाद्य पदार्थ की खरीदी / Purchase of Food stuff	1.06	1.01
परिचालन की सहमती केलिए / fees for consent to operate	0.00	0.00
कार्यालयीन मशीन किराया शुल्क / Office machine hire charges	0.27	0.20
संयत्र और गिअर किराया / Hire of plant & gear	0.90	2.60
व्यवसाय शुल्क / Profession Fees	0.83	
अन्य व्यय / Misc.Expenses	1.03	0.83
विश्वस्त के शुल्क/ Trustee fees		0.01
टेलिफोन / Telephone Charges	0.44	0.52
स्पोर्टस् क्लब वगैरा को अनुदान / Grants to Sports clubs etc.	1.75	0.40
मध्यस्थता शुल्क / Arbitration Fees		0.41
अपात्र आई.टी.सी / Ineligible ITC	4.24	3.83
	23.00	**26.68**
Carried forward	**678.58**	**706.80**

वार्षिक लेखा २०२२-२३

Annual Accounts 2022-23

३१ मार्च २०२३ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2023

अनुसूची 11 (समाप्त) / Schedule XI (concld.)

(₹. करोड़ मे) / ₹. in crores

	2022-23	2021-22
आगे लाया गये / Brought forward	**678.58**	**706.80**
प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय / Operation and Maintenance Expenses		
गाडीयों का किराया शुल्क/ Hire charges of vehicle	6.94	9.10
बोट और लॉचेस का किराया / Hire of Boats, Tugs and Launches	6.74	44.40
टोवेज के लिए टग्स का किराया / Hire of Tugs for towage	36.59	0.00
पानी प्रभार / Water charges	28.19	17.01
बिमा / Insurance	0.01	0.02
विद्युत शक्ती / Electricity Power	18.92	18.44
ठेके के व्दारा निकर्षण / Maintenance dredging through contract	36.77	57.34
जहाज मालिकें और मजदूरों के ठेकेदारों को भुगतन /Payments to Shippers & Contractors for labour	13.94	11.74
मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance- Normal repairs	60.96	35.98
विशेष मरम्मत और अनुरक्षण आर एण्ड आर / Special Repairs and Maintenance- R & R works	14.27	17.69
उपकर अधिनियम के तहत उपकर का भुगतान /Payment of cess under cess Act,1977		
आई एस ओ प्रमाणन के लिए खर्च / Expenditure incurred on ISO certification		0.13
चल स्टाक को हानी देय / Payments for damage to rolling stock & trunk		
सर्वेक्षण शुल्क-स्टीवडोरिंग / Survey Fees-Stevedoring		
ड्राई डॉकिंग चार्ज बीपीटी वेसल / Dry Docking Charges BPT Vessel	0.52	0.33
परियोजना व्यय / Project Expenses	1.15	0.33
	225.00	**212.51**
सुरक्षा व्यय / **Security Expenses**		
केंद्रिय औदयोगिक सुरक्षा बल का खर्च / Expenditure of CISF	44.81	40.22
अन्य सुरक्षा संस्था / Other security agencies	7.28	5.71
गश्त के लिए नावों का किराया / Hire of Boats for Patrolling	0.14	
	52.23	**45.93**
वैदयकिय व्यय / **Medical Expenses**		
वैदयकिय भंडार / Stores- Medical	12.90	15.16
बाहरी अस्पतालों को शुल्क देय / Charges paid to outside Hospitals (Employees)	9.19	7.07
बाहरी अस्पतालों को शुल्क देय / Charges paid to outside Hospitals (Pensioner)	31.10	
वैदयकिय खर्चे की देयपूर्ती / Reimbursement of medical expenditure	0.23	2.68
स्टाइपेंड / Stipend	0.56	0.87
नविनीकरण शुल्क / Renewal charges for accrediation	0.06	0.00
अन्य व्यय- चिकित्सा भत्ता / Other expenses- medical allowance to pensioners residing outside port city limit	2.61	2.74
निवृत्त कर्मचारीयों को वैदयकिय सेवा / Medical treatment given to retired employees	0.07	38.92
Dialysis Expenses	0.70	
Provision for Medical	0.07	
निवृत्त कर्मचारीयों को वैदयकिय सेवा / Medical treatment given to retired employees		0.00
	57.49	**67.44**
मूल्य ह्रास / **Depreciation**		
मूल्य ह्रास / Depreciation	74.50	78.22
कुल / Total	**1087.80**	**1110.90**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२२-२३
Annual Accounts 2022-23
३१ मार्च २०२३ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2023

अनुसूची 12
SCHEDULE XII
वित्त और विविध व्यय
FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(₹. करोड मे) / ₹. in crores

	2022-23	2021-22
सेवा निवृति उपदान, सानुग्रह भुगतान और अन्य लाभ Retirement gratuities, ex-gratia payments and other benefits		
अनुमानित प्रोद्भूत दायिता केआधार पर पेशन निधि मे अशदान Contribution to Pension Fund	1025.00	598.00
पेंशन और मृत्यू एवं सेवा निवृत्ति उपदान Contribution to Group Gratuity Fund	129.00	117.25
पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री / निपटान से लाभ Profit on disposal of capital asset trfd. To Capital Reserve		
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के लिए निधि में योगदान Contribution to fund for Corporate Social Responsibility (CSR)	0.00	2.86
ऐच्छिक सेवानिवृत्ती केअंतर्गत प्रातिपूर्ती Compensation payment under Special Voluntary Retirement Scheme		
बैंक कमिशन और प्रभार Bank Commission & Charges.....	0.00	0.05
अन्य (पोर्ट संपत्ति बीमा प्रीमियम) Others (Port Property Insurance Premium).....	14.33	10.57
पूंजीपरिसंपतियों केनिपटान से हुआ नुक्सान Loss on Disposal of Capital Assets/Sale redemtion of Investment	0.00	0.07
पिछले वर्ष से संबंधित मद Items relating to previous years -		
मूल्य ह्रास Depreciation.....	0.00	0.00
प्रविष्टियों का सुधार / Rectification of Entries	45.00	0.00
राजस्व में से वापसी Refund out of Revenue	0.21	0.30
वेतन और मजदूरी Salaries and Wages (includes Arrears on account of Wage Revision)	4.21	4.88
अन्य Others.....	1.95	192.59
कुल / Total	**1219.70**	**926.57**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणियाँ।

I	केंद्र सरकार ने महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अधिनियमन ने महापत्तनों को अधिक स्वायत्तता, लचीलापन प्रदान करने और उनके प्रशासन को व्यवसायिक बनाने हेतु महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को प्रतिस्थापित कर दिया है। तदनुसार, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने दिनांक 31.01.2022 से अपना नाम बदलकर "मुंबई पत्तन प्राधिकरण" कर लिया है। संख्या जीएडी/जी/एमपीए/1204 दिनांक 25.03.2022 द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। (दिनांक 15.02.2022 की न्यासी संकल्प संख्या 2)

II	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**	
	1.	लेखांकन प्रणाली को पत्तन की प्रमुख गतिविधियों के संदर्भ में, वित्तीय खातों की प्रस्तुति को सक्षम करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।
	2.	वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत और लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं।
	3.	एमबीपीए भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के लिए सकल वहन राशि निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक लागत मॉडल का पालन कर रहा है। बड़ी परियोजनाओं के विभिन्न घटकों को पूरी परियोजना के पूरा होने के बाद ही उपयोग में लाया जाना माना जाएगा और उपयोग में लाने की तारीख परियोजना के सभी घटकों के लिए एक समान होगी। पूंजीगत परिसंपत्तियों को लागत से संचित मूल्यह्रास घटाकर बताया गया है। लागत में माल ढुलाई, शुल्क, कर और अधिग्रहण/निर्माण के समय होने वाले प्रासंगिक खर्च शामिल हैं।
	4.	वस्तु सूचि में कोई मूल्यह्रास और कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। पुस्तकों में लागत के आधार पर वस्तु-सूची का मूल्यांकन किया जाता है।
	5.	आईपीआरसीएल शेयरों को छोड़कर एमबीपीए का निवेश एफडीआरों के रूप में है, पोर्ट इन एफडीआरों या बांडो के संचालन में शामिल नहीं है, इसलिए, निवेश का मूल्य लागत पर लगाया जाता है।
	6.	मूल्यह्रास की गणना स्ट्रेट लाइन पद्धति से की जाती है। परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया गया है।
	7.	**राजस्व मान्यता:** ए) राजस्व का हिसाब लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है। कार्गो गतिविधियों से उत्पन्न आय का हिसाब पूर्ण सेवा होने के आधार पर किया जाता है। बी) चल और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के मामले में, बिक्री मूल्य की प्राप्ति पर आय का हिसाब लगाया जाता है। सी) अदावी माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री पर माल की निकासी के बाद हिसाब में लिया जाता है, केवल ₹.5 करोड़ से अधिक की लागत वाली प्रमुख वस्तुओं को छोड़कर, बिक्री आय की सुनिश्चिति होने पर आय के रूप में हिसाब लगाया जाता है।

		डी) मूल राशि की अंतिम प्राप्ति में शामिल अनिश्चितता को देखते हुए, विलंबित भुगतान और विवादित दावों पर ब्याज का हिसाब मूल राशि की प्राप्ति पर किया जाता है। ई) भूमि भूखंडों के पट्टे पर प्राप्त अग्रिम भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जा रहा है। भूमि के पट्टे पर प्राप्त एकमुश्त प्रीमियम को राजस्व खाते में लिया जाएगा।
	8.	भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगियों या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो एसओआर के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते है, द्वारा अधिसूचित भुगतान की तिथि पर बाजार खरीद दर पर डॉलर में निर्धारित शुल्क को उसके समकक्ष भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के बाद सभी डॉलर मूल्यवर्ग टैरिफ भारतीय रुपये में वसूल किए जाते हैं।
	9.	सीएफएफआर में दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, पोर्ट ने वित्तीय विवरणों में सरकारी अनुदान की प्रस्तुति की निम्नलिखित पद्धति अपनाई है: "विशिष्ट नियत परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को उसके बुक वैल्यू पर आँकने में संबंधित परिसंपत्ति के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दिखाया जा सकता है।" वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त अनुदान का विवरण खातों पर टिप्पणियाँ में क्र.सं.12 पर दिया गया है।

III	**खातों के लिए टिप्पणियाँ**	
	1.	न्या.सं.सं. संख्या 18/06.04.2021 के पैरा (iii) के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि- यह न्यासी संकल्प में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार संपदा किरायों के संपदा मामले में किया जाएगा। “वित्त वर्ष 2021-22 और भविष्य के वर्षों के लिए: कर चालान- केवल राजस्व की मान्यता की सीमा तक उठाए जा सकते हैं और तदनुसार जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं और कर के अनंतिम मूल्यांकन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन कर सकते हैं और निचले स्तर पर अनंतिम कर का भुगतान कर सकते हैं और कानूनी सलाह के अनुसार उल्लिखित चालान की शर्तों का पालन करें।
	2.	ओसीटी परियोजना के पुनर्गठन के बारे में अंतिम निर्णय होने तक कार वाहकों की हैंडलिंग के लिए (दि. 30.03.2015 के न्या.सं.सं. 26 के तहत अनुमति) ओसीटी के वैकल्पिक उपयोग को जारी रखने के लिए दि. 28.09.2016 के न्या.सं.सं. 59 के माध्यम से अनुमति दी गई है। ऐसे समय तक बोर्ड द्वारा दि. 28.10.2015 की न्या.सं.सं. 104 द्वारा अनुमोदित राजस्व हिस्सेदारी के साथ मौजूदा व्यवस्था जारी है, यानी मुं.प.प्रा. को 72% और लाइसेंसधारी को 28%, यदि आईसीटीपीएल, मुं.प.प्रा. एसओआर की दर से टैरिफ लगाता है और यदि आईसीटीपीएल 130% की दर से टैरिफ लगाता है, मुं.प.प्रा. का टैरिफ, राजस्व हिस्सेदारी 55:45 होगी यानी मुं.प.प्रा. को 55% और आईसीटीपीएल को 45%। यद्यपि आईसीटीपीएल, मुं.प.प्रा. एसओआर के 130% की दर से बर्थ किराया शुल्क और मुं.प.प्रा. एसओआर के 100% की दर से व्हार्फेज शुल्क लगा रहा है, दोनों परिदृश्यों के तहत उनके द्वारा भुगतान किया गया राजस्व हिस्सा 55% है। ₹.72.52 करोड़ की राशि राजस्व

		हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त की गई है और इसे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कार्गो से संबंधित आय में शामिल किया गया है।
	3.	भारत सरकार द्वारा मुं.प.प्रा. संपत्तियों के मूल्यांकन योग्य मूल्य का निर्धारण वर्ष 1964-1969 से लंबित है। मुं.प.प्रा. ने दर योग्य मुं.प.प्रा. संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए जनवरी 2008 और अप्रैल 2016 में मंत्रालय से अनुरोध किया था। इसे अक्टूबर 2018 में याद दिलाया गया था, हालाँकि यह मुद्दा अभी भी मंत्रालय के पास लंबित है। सरकार द्वारा निर्धारित दर योग्य मूल्यों के आधार पर मुं.प.प्रा. की संपत्ति पर संपत्ति कर के बदले में एमसीजीएम सामान्य कर वसूलता है। एमसीजीएम 4.87 करोड़ की दर से प्रति वर्ष मुं.प.प्रा. से संपत्ति कर वसुलती है और मुं.प.प्रा. एमसीजीएम को अपनी संपत्तियों के लिए प्रति वर्ष 1.46 करोड़ की दर से रखरखाव लागत प्रभारित करता है । मुं.प.प्रा. ने रखरखाव लागत ₹.1.46 करोड़ की दर से कटौती के बाद ₹.3.91 करोड़ संपत्ति कर का वार्षिक भुगतान किया है। वर्ष1995-96 में एमसीजीएम ने मुं.प.प्रा. से उन्हें देय संपत्ति कर से रखरखाव लागत में कटौती को अलग करने का अनुरोध किया, जिसे एमबीपीए ने स्वीकार कर लिया। हालाँकि, तब उनके द्वारा एमसीजीएम से संपत्ति कर वसूलने का कोई विकल्प नहीं सुझाया गया था। एमसीजीएम के साथ मामले को आगे बढ़ाने पर यह बताया गया कि संपत्ति कर से रखरखाव लागत की वसूली/समायोजन के लिए कोई दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं और एमबीपीए को वसूली के लिए एमसीजीएम के संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। अप्रैल 2019 तक, एमबीपीए द्वारा देय संपत्ति कर ₹.30.89 करोड़ है और अप्रैल 2019 तक रखरखाव लागत के लिए एमबीपीए का दावा ₹.41.39 करोड़ था। अंतिम रूप दिए जाने तक, एमसीजीएम के ₹.34.26 करोड़ के दावे और रखरखाव लागत के विरुद्ध ₹.39.93 करोड़ के एमबीपीए के दावे का लेखा-जोखा नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एमसीजीएम को देय संपत्ति कर के बदले सेवा शुल्क (₹.2.48 करोड़) प्रोद्भूत है।
	4.	वर्ष की शुरुआत में और वर्ष 2022-23 के अंत में नियत परिसंपत्तियों का सकल और शुद्ध ब्लॉक, जिसमें परिवर्धन, विलोपन, निपटान, समायोजन आदि को दर्शाया गया है, को दि.31.03.2023 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची II में लेखांकन मानक 10 के अनुसार प्रकट किया गया है। । वर्ष के दौरान, किसी भी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।
	5.	निवेश से संबंधित जानकारी जैसे उद्धृत और गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि का खुलासा दि.31.03.2023 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची III में किया गया है।
	6.	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ के बराबर राशि विनियोजन के माध्यम से पूंजीगत रिजर्व में अंतरित कर दी गई है।

	7.	जैसा कि लेखापरीक्षा में बताया गया है कि विशिष्ट निधियों के विरुद्ध निवेश के संबंध में यह कहा गया है कि निवेश योग्य अधिशेष की उपलब्धता पर इसे विशिष्ट निधियों में अंतरित कर दिया जाएगा। निधियों और निवेशों में कमी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है: (₹ करोड़ में)

विवरण	निर्धारित निधियों का शेष	उससे किया गया निवेश	कमी
सामान्य आरक्षित निधि	41.81	4.50	37.31
अग्नि एवं मोटर बीमा निधि	140.01	0.00	140.15
युद्ध स्मारक निधि	0.20	0.00	0.02
पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण हेतु निधि	838.97	565.00	273.97
विकास, ऋणों की अदायगी तथा आकस्मिकताओं हेतु निधि	12.79	0.00	12.79
शताब्दी संस्मरण निधि (सीसीएफ)	6.00	6.00	0.00
अवकाश नकदीकरण निधि	0.00	0.29	-0.29
सीएसआर निधि	10.94	0.00	10.94
कर्मचारी कल्याण निधि	0.01	0.00	0.01
कुल	**1050.73**	**575.79**	**474.94**

	8.	दिनांक 23.04.2018 की महाराष्ट्र सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या टीपीबी-4317/492/सीआर-289/2017/यूडी-11 के अनुसार अधिसूचित किया गया है कि मुंबई पत्तन प्राधिकरण की भूमि का स्वामित्व 930.90 हेक्टेयर है। 930.90 हेक्टेयर में से, 726.72 हेक्टेयर तक के संपत्ति कार्ड पहले से ही मुंबई पत्तन प्राधिकरण के नाम पर पंजीकृत हैं। शेष भूमि के संबंध में प्राधिकरण मुं.प.प्रा. के नाम पर संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए जिलाधिकारी, मुंबई शहर के साथ बातचीत जारी है।
	9.	**परियोजना का वित्तपोषण:** क) विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त पूंजीगत अनुदान नीचे सारणीबद्ध हैं:

परियोजना	से प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान (रु. करोड़ में)
मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का आधुनिकीकरण	पर्यटन मंत्रालय	3.09
तृतीय रसायन पोतघाट	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	0.38*
	कुल	**3.47**

*0.38 करोड़ रुपये ब्याज प्राप्त हुआ।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई राशियाँ एक अलग बैंक खाते में जमा की जाती है।

	10.	सभी छोटे अग्रदाय का एसबीआई ईजेड कार्ड के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, दि.31.3.2023 तक संबंधित विभागों के कर्मचारियों को उनके दैनिक लेनदेन करने के लिए 29 एसबीआई-ईजेड कार्ड जारी किए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, सामग्री प्रबंधक और मुख्य यांत्रिक अभियंता द्वारा ईंधन और उपभोग की अन्य वस्तुओं की तत्काल खरीद की व्यवस्था के उद्देश्य से एसबीआई, मझगांव शाखा में तीन अग्रदाय खाते हैं।
	11.	भूमि मुद्रीकरण के बाद प्राप्त पर्याप्त धनराशि की प्राप्ति के बाद पेंशन निधि न्यास (पीएफटी) और ग्रुप-उपदान निधि न्यास (जीजीएफटी) की देनदारियों को पूरी तरह से चुकाया जाएगा।
	12.	**आकस्मिक देयताएं-** (ए) एमबीपीए के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न विषयों पर ₹.52.87 करोड़ की राशि के कानूनी मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। (बी) हालांकि पोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को बकाया 65.83 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए प्रोद्भूत देनदारी का प्रावधान किया है, महाराष्ट्र पुलिस ने ₹.129.58 करोड़ रुपये का दावा किया है। हालाँकि, सटीक दायित्व अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। मामला पत्राचार अधीन है। • महाराष्ट्र पुलिस ने जनवरी 1996 से अप्रैल 2010 की अवधि के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए ₹.129.58 करोड़ का दावा किया था और पोर्ट को ₹.57.08 करोड़ का दायित्व मिला है, जिसमें से ₹.32 करोड़ का भुगतान उन्होंने पहले ही कर दिया था। • पोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से संपत्ति किराये के संबंध में अप्रैल 2021 में ₹.67.91 करोड़ का दावा किया। • वसूली की कार्यवाही जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, मुंबई शहर के समक्ष लंबित है। (सी) एमसीजीएम द्वारा उठाए गए जल प्रभार के संबंध में ₹.14.40 करोड़ की राशि के 17 बिल सीवरेज शुल्क शामिल करने के कारण एमबीपीए द्वारा विवादित हैं। एमसीजीएम से संशोधित बिल जारी करने का अनुरोध किया गया है। **(डी) सेवा कर** 1. चुंगी वसूली के लिए एमसीजीएम से वसूले गए कमीशन पर सेवा कर के लिए सहायक आयुक्त, एसटी-1 मुंबई द्वारा अक्टूबर 2007 से जनवरी 2013 की अवधि के लिए ₹ 21.19 करोड़ और उस पर जुर्माने की मांग लंबित थी। इस सेवा कर मांग के खिलाफ एमबीपीए द्वारा दि.19.06.2015 को एक अपील दायर की गई थी। मामला सुनवाई के लिए आया था. इसके अलावा, इसे एमसीजीएम की जमा राशि से सेवा कर अधिकारियों को ₹.7,33,29,267/- का भुगतान करके "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान योजना") के लिए जमा किया गया था। सबका विश्वास के तहत मामले का समाधान होने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने दि.23.7.2020 को एमबीपीए/एमसीजीएम के पक्ष में एक आदेश पारित किया है। मामले में भुगतान किए गए सेवा कर के रिफंड का दावा करने/कैविएट दाखिल करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुधारात्मक उपाय के तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है. 2. अतिरिक्त आयुक्त, सेवा कर, मुंबई से प्राप्त संपदा किरायों पर सेवा कर के लिए ₹.31.88 लाख और ₹.31.88 लाख अधिक जुर्माने की मांग लंबित है। अपील दायर की गई और सुनवाई के लिए आई। अपील को अपील आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इस अपील आदेश के

		विरुद्ध सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के समक्ष अपील दायर की गई है। मामला सुनवाई के लिए नहीं आया है। 3. सेवा कर के लिए आयुक्त (अपील)-I, मुंबई से प्राप्त टर्मिनल प्रभारों पर सेवा कर के लिए ₹.41.08 लाख और ₹.1.05 लाख की मांग लंबित है। 4. ₹.1.23 करोड़ के समुद्री विभाग के आवेदन को अस्विकृत किया गया है। इस मामले में जीएसटी अपील दायर की जाएगी। **(ई) एफकॉन्स मामले:** यह अधिनियम की धारा 34 के स्तर पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील का मामला है और एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी। **<u>वर्तमान स्थिति</u>** मामला अंतिम बहस के चरण में है. बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर कोई अगली तारीख नहीं दिखाई गई है। **(एफ) एमजीटी मामले:** एमजीटी की प्राप्ति न होने पर वसूली योग्य प्रभारों के मुद्दे पर विवाद। **<u>वर्तमान स्थिति:</u>** मंत्रालय की दिनांक 09.12.2020 की मंजूरी के मद्देनजर सॉलिसिटरों से एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, केमिकल टर्मिनल ट्रॉम्बे लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही वापस लेने का अनुरोध किया गया। बीपीसीएल के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) के समक्ष निवारण के लिए। **(जी) आईसीटीपीएल और एमबीपीए के बीच मध्यस्थता:** यह विवाद (i) बैलार्ड पियर स्टेशन के प्रबंधन और संचालन और (ii) विकास, निर्माण, संचालन और ऑफशोर कंटेनर टर्मिनल का रखरखाव से संबंधित परियोजना के लिए दावेदार आई.सी.टी.पी.एल. [ICTPL] और प्रतिवादी मुं.पो.ट्र. [MbPT] के बीच दिनांक 03.12.2007 को निष्पादित लाइसेंस समझौते के संबंध में उत्पन्न हुआ है। दावेदार ने विभिन्न दावे और राहतें उठाई हैं और आरोप लगाया है कि प्रतिवादी लाइसेंस समझौते की आवश्यकताओं का पालन करने और उसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दावेदार को नुकसान हुआ है। मुं.पो.ट्र. ने भी प्रतिदावा किया है। **<u>वर्तमान स्थिति</u>** दिनांक 19.04.2023 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार न्यायाधिकरण ने दि.27.07.2023 तक विस्तार दिया है। मामले में आगे की प्रगति जानने के लिए विवाचन न्यायाधिकरण ने निर्देश के लिए दि. 27.07.2023 की तारीख तय की है। **(एच) आरकेईसी और एमबीपीए के बीच मध्यस्थता** यह मामला पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक सहित तरल रासायनिक कार्गो को संभालने के लिए एक विशेष बर्थ के निर्माण के लिए दावेदार और प्रतिवादी के बीच हुए एक अनुबंध से उत्पन्न हुआ है। दूसरे केमिकल बर्थ (एससीबी) के निर्माण का टेंडर आरकेईसी को दिया गया था, क्योंकि यह एल1 था और इसने अन्य बोलीदाताओं की तुलना में बहुत कम कीमत बोली थी।

		विभिन्न परिस्थितियों के कारण कार्य का दायरा बढ़ाया गया और विवाद कार्य के बढ़े हुए दायरे के लिए किए गए भुगतान को लेकर है। आरकेईसी का दावा है कि अतिरिक्त काम के लिए मुं.पो.ट्र. द्वारा किया गया भुगतान कम है और इसलिए दावा किया गया है। **<u>वर्तमान स्थिति</u>** मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने दि. 6 अगस्त, 2022 को अपना फैसला सुनाया। मुं.पो.ट्र. ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में मध्यस्थता याचिका (एल) संख्या 3434/2023 भरकर 6 अगस्त, 2022 के फैसले को चुनौती दी है। मौजूदा याचिका फिलहाल लंबित है. **(आई) एमबीपीए और सोंगा टोपाज के बीच मध्यस्थता :** मामला मुं.पो.ट्र. को हुए व्यावसायिक नुकसान के लिए एमटी सोंगा टोपाज के जहाज मालिक के खिलाफ मुं.पो.ट्र. द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित मध्यस्थता से संबंधित है। वर्ष 2013 के दौरान, उक्त जहाज पीर-पाउ में निर्माणाधीन दूसरे केमिकल बर्थ से टकरा गया। उक्त टक्कर से जेटी को संरचनात्मक क्षति हुई और उसे टक्कर क्षेत्र में पुनर्निर्माण करना पड़ा। इस पुनर्निर्माण के कारण, जेट्टी के चालू होने में देरी हुई और मुं.पो.ट्र. को व्यापार का नुकसान हुआ। यह मुं.पो.ट्र. द्वारा किए गए वास्तविक व्यवसाय के आधार पर दावा किया गया है और इसलिए मुं.पो.ट्र. ने जहाज मालिक और बीमा एजेंसी के एजेंटों को मुं.पो.ट्र. को ₹15 करोड़ की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह बैंक गारंटी बीमा एजेंट यानी मेसर्स गार्ड मरीन एंड एनर्जी, नॉर्वे द्वारा मुं.पो.ट्र. के पक्ष में जारी की गई है। **<u>वर्तमान स्थिति</u>** इस मामले में विवाचन न्यायाधिकरण ने दि. 17 अप्रैल 2023 को अपना फैसला सुनाया है. **(जे) उच्च न्यायालय मामला - धारा 34 - यूनाइटेड शिपर्स बनाम एमबीपीए वर्ष 2019 की - कॉम. आर्बी. याचिका संख्या 946 :** यह याचिका यूनाइटेड शिपर्स द्वारा मुं.पो.ट्र. के पक्ष में पारित एकमात्र मध्यस्थ के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। मामला मुंबई पोर्ट की जल सीमा में पोर्ट लाइटरेज एरिया (पीएलए) में स्वामित्व वाली/किराए की फ्लोटिंग क्रेन की तैनाती के लिए निविदा का और याचिकाकर्ता की इसे तैनात करने में असमर्थता के संबंध में है। **<u>वर्तमान स्थिति</u>** मामले को आखिरी बार दि. 25 फरवरी, 2020 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि, चूंकि अदालत विभिन्न मामलों में व्यस्त थी, इसलिए मामले को 12 मार्च, 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मामला तब से सूचीबद्ध नहीं हुआ है और अंतिम तिथि (सीएमआईएस) है 9 जुलाई, 2020 के रूप में दिखाया गया है। कोई अगली तारीख नहीं दिखाई गई है।
	13.	**कर निर्धारण:** **(ए) वस्तु एवं सेवा कर** (i) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने नियत तिथि के भीतर अपने सभी वैधानिक बकायों और शुल्को को जमा कर दिया है। (ii) उन पट्टेदारों/किरायेदारों के लिए संपत्ति किराये पर जीएसटी रिफंड दाखिल किया गया है, जिनका बिल वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टीआर-127 के अनुसार किया गया है और बिलिंग के अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) सितंबर 2021 के महीने में संपत्ति किराये के संदर्भ में ₹.87.92 करोड़ की राशि के क्रेडिट नोट प्रस्तुत किये गए हैं।

बी) आयकर:

पोर्ट ने पिछली अवधि के लिए भारी घाटे की सूचना दी है, इस साल आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(i) वर्ष 2008-09 में आयकर देनदारी के लिए ₹.41.00 करोड़. का प्रावधान किया गया था। इसे उलट दिया गया है क्योंकि वर्ष 2008-09 के लिए कर देयता का मूल्यांकन ₹.शून्य के रूप में किया गया था।

(ii) वित्त वर्ष 2018-19 से 'आस्थागित कर प्रावधान' के लिए लेखांकन नीति में बदलाव हुआ है। मुं.पो.ट्र. द्वारा किए गए लगातार घाटे को देखते हुए उठाए गए लेखा परीक्षा आपत्ति के जवाब में आस्थागित कर का लेखांकन बंद कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान चूंकि लाभ को संचित घाटे के साथ समायोजित किया जाएगा, वही नीति जारी रही।

(iii) आयकर अधिनियम के तहत आकलनों की स्थिति।

(iv) वित्त अधिनियम, 2002 में धारा 10(20) में संशोधन के साथ पोर्टो को 'स्थानीय प्राधिकरण' के रूप में दी गई आयकर छूट को वापस ले लिया गया और पोर्ट वित्तीय वर्ष 2002-03 से आयकर अधिनियम, 1961 के दायरे में आ गए। इस प्रकार आयकर अधिनियम के प्रावधान जैसे कि अग्रिम कर का भुगतान, टैक्स ऑडिट, टीडीएस आदि करके आय का रिटर्न दाखिल करना मुं.पो.ट्र. पर लागू हो गया और समय-समय पर इसका विधिवत अनुपालन किया गया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए(1)(बी) (आई) के तहत जारी दिनांक 08/09/2009 को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अनुसरण में मुं.पो.ट्र. को दि.1/04/2002 से एक 'धर्मार्थ संस्थान' के रूप में दर्जा मिला। हालाँकि, आयकर निदेशक (छुट) ने अपने आदेश दिनांक 22/12/2011 द्वारा उक्त पंजीकरण को कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से वापस ले लिया था। आदेश के खिलाफ आईटीएटी में दायर अपील के जवाब में, आयकर अपिलिय अधिकरण (आईटीएटी) ने दि.8/9/2009 को दिए गए पंजीकरण को बहाल करने का आदेश जारी किया है। आयकर अधिनियम की धारा 12एबी के संशोधित प्रावधानों के आलोक में, एमबीपीए को 'धर्मार्थ संस्थान' के रूप में पुन: पंजीकरण के लिए दि.13.09.2021 को आयकर विभाग के साथ एक आवेदन किया गया है। एमबीपीए को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए(1)(एसी)(आई) के तहत 'धर्मार्थ संस्थान' के रूप में दिनांक 01.10.2021 को निर्धारण वर्ष 2022-23 से निर्धारण वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए अनंतिम पंजीकरण मिला।

वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, निर्धारण वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) तक के आकलन पूरे हो चुके हैं। हालाँकि निर्धारण वर्ष 2017-18 तक (निर्णय वर्ष 2008-09 को छोड़कर) के सभी मामले विभिन्न अपीलीय मंचों पर हैं।

(v) वित्तीय वर्ष के लिए 2022-23, एमबीपीए को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जो पोर्ट उपयोगकर्ताओं, पट्टों और किरायेदारों और बैंकों/वित्तीय संस्थानों को दि. 23 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू 0.35% की दर से कर कटौती के लिए अधिकृत करता है।

<u>आस्थगित कर:</u>

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹.108.79 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

14. **सेवानिवृत्ति लाभ:**

(ए) पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड और अवकाश नकदीकरण फंड के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दि. 31.03.2023 को प्रोद्भूत देयता इस प्रकार थी:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को बिमांकिक मूल्यांकन	**31.03.2023 को निवेश**	**शेष (लघु-वित्तपोषण)**
पेंशन फंड	11410.42	9301.85	2108.57
उपदान फंड	481.56	94.42	387.14
अवकाश नकदीकरण फंड	230.28	0.29	229.99
कुल	**12122.26**	**9396.56**	**2725.70**

लेखांकन मानक 15 के अनुसार और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सेवानिवृत्ति लाभ वित्तीय विवरणों में अलग से दिखाए जाते हैं।

ए. दि. 14.01.2004 को एक अपरिवर्तनीय पेंशन फंड ट्रस्ट बनाया गया है और इसे आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है। दि.31.3.2023 को पेंशन फंड निवेश में शेष राशि ₹.9301.85 करोड़ थी, जबकि बीमांकिक मूल्यांकन ₹.11410.42 करोड़ था। लेन-देन के लिए खातों की पुस्तकें रखी जाती हैं और अलग से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं।

बी. उपदान देयताओ को प्रबंधित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट बनाया गया है और दि.31.3.2023 को फंड निवेश शेष ₹.94.42 करोड़ था। एलआईसी के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, दि.31.03.2023 तक कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड की आवश्यकता ₹.481.56 करोड़ है। लेन-देन के लिए खातों की पुस्तकें रखी जाती हैं और अलग से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं।

सी. दि.01.01.2004 से पहले बनाए गए कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि का प्रबंधन पोर्ट द्वारा किया जाता है और दि.31.03.2023 तक फंड शेष ₹.810.79 करोड़ था।

डी. एसबीआई लाइफ द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अवकाश नकदीकरण निधि की देयता ₹.230.28 करोड़ है। अवकाश नकदीकरण निधि का पूरा उपयोग किया जा चुका है और निधि के निवेश में ₹.28.82 लाख शेष है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फंड में कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी गई है और अवकाश नकदीकरण निधि पर व्यय एमबीपीए के राजस्व खाते से पूरा किया जाता है।

15. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:**

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई, यह उन कर्मचारियों पर लागू किया गया है जिनकी भर्ती दि. 01.01.2004 को या उसके बाद हुई है। दि.13.09.2012 के न्या.सं.सं. 88 द्वारा बोर्ड ने एमबीपीए कर्मचारियों के अंशदान के बराबर योगदान में एनपीएस के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी और नियोक्ताओं का अंशदान वर्ष 2022-23 के दौरान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को भेज दिया गया।

16. पोर्ट ने वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹.16.48 करोड़ (जीएसटी सहित) के बीमा प्रीमियम के लिए दि.12.10.2022 से दि.11.10.2023 तक द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ पोर्ट संपत्तियों की अपनी बीमा पॉलिसी को नवीनीकृत किया है। जीएसटी पर उचित आईटीसी (₹.2.51 करोड़) का दावा किया गया है। दि.01.04.2023 से दि.11.10.2023 तक की अवधि के

		लिए भुगतान किए गए ₹.6.54 करोड़ के आनुपातिक बीमा प्रीमियम की राशि को पूर्व-भुगतान किए गए खर्चों में प्रभारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पोर्ट को बीमा दावों के निपटान के लिए ₹22.30 लाख की राशि प्राप्त हुई है।
	17.	एमबीपीए द्वारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के पक्ष में ₹3.50 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की गई है।
	18.	**<u>सक्रिय उपयोग से अलग की गई परिसंपत्तियाँ</u>-** दिनांक 15.03.2022 के प्रबंधन की पत्र संख्या पीडी(एस)/सीएCA.II/अकाउंट्स एमबीपीए / 2020-21 /346 के पैरा सी (ii) के अनुसार सक्रिय उपयोग से हटा दी गई और निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम बताया जाना है। निम्नलिखित परिसंपत्तियों को सक्रिय उपयोग से अलग किया गया है और उनके निपटान के लिए कार्रवाई की जा रही है।

अ.क्र.	**परिसंपत्ति का नाम**	अधिग्रहण लागत **(रु.)**
1	तेल पाइप कनेक्शन पर हिंडेल हैमर ब्लाइंड वाल्व, शिवडी-वडाला (778/161/45)	1.00
2	खारे पानी की अग्निशमन पाइपलाइन 10" व्यास - डॉक मास्टर के कार्यालय के सामने की ओर एफओबी खारे पानी का पंप हाउस (774/161/2)	1.00
3	योकोहामा न्यूमेटिक रबर फ़ेंडर नंबर 18 (744/235/23)	1.00
4	एम.एल. 'सफल' और एम.एल. 'सहायक' (731/221/35)	1.00
5	कलर डॉपलर के साथ अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी मशीन, मॉडल फिलिप्स एचडीआई-5000	1.00

	19.	**वडाला-कुर्ला समर्पित माल लाइन परियोजना-** एमबीपीए ने पोर्ट के कार्गो की शीघ्र निकासी के लिए वडाला और कुर्ला के बीच एक समर्पित रेलवे लाइन बिछाने के लिए मध्य रेलवे को ₹77.38 करोड़ की राशि का भुगतान किया है। एमओयू के खंड-1(I) में कहा गया है कि मध्य रेलवे उक्त समर्पित लाइन के उपयोग के लिए एमबीपीए के यातायात को प्राथमिकता देगा। चूंकि पिछले कुछ वर्षों में कार्गो यातायात में कमी आई है, इसलिए परियोजना को स्थगित रखा गया है। हालाँकि, परियोजना को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। कार्गो यातायात बढ़ने पर परियोजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। पोर्ट ने विषय-कार्य की स्थिति को सीडब्ल्यूआईपी के रूप में बरकरार रखा है।
	20.	अनुसूचियाँ तुलन पत्र और राजस्व खाते का एक अभिन्न अंग हैं।
		हस्ता./- (श्रीमती माधुरी वराडे) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी _____मई 2023

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2023.

I	The Central Govt. vide enactment of the Major Port Authorities Act, 2021 has replaced the Major Port Trusts Act, 1963 to provide greater autonomy, flexibility to the major ports and to professionalize their governance. Accordingly, the Mumbai Port Trust has changed its name to "MUMBAI PORT AUTHORITY" w.e.f 31.01.2022. A gazette notification has been issued vide No. GAD/G/MPA/1204 dated 25.03.2022. (TR No.2 of 15.02.2022)

II	**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**	
	1.	The accounting system has been devised with a view to enabling presentation of financial accounts, in terms of the principal activities of the Port.
	2.	The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the accrual basis of accounting.
	3.	MbPA is following historical cost model for determining the gross carrying amount for each class of asset except land. The different components of the big projects are deemed to be put in use only after the completion of the entire project and date of put to use will be uniform for all the components of the project. Capital Assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost is inclusive of freight, duties, taxes and incidental expenses incurred at the time of acquisition/construction.
	4.	No depreciation and no revaluation is done on inventory. The inventory is valued at cost in the books.
	5.	Investments of MbPA except IPRCL shares are in the form of FDRs Port is not involved in treading of these FDRs or bonds, hence, investments are valued at cost.
	6.	Depreciation is calculated on straight-line method. The useful lives of the assets have been fixed in terms of guidelines issued by Government from time to time.
	7.	Revenue recognition: a) Revenue is accounted by following accrual basis of accounting. Income arising from Cargo activities is accounted on completed service basis. b) In case of sale of movable and immoveable Assets, the income is accounted on receipt of sale price. c) Revenue from sale of unclaimed goods is accounted after clearance of goods on sale except major items costing above ₹.5 crore is accounted as income on attaining certainty of realization of sale proceeds. d) In view of the uncertainty involved in ultimate realization of principle amount, interest on delayed payment and disputed claims are accounted for on receipt of principle amount. *e)* Upfront payment received on leasing of land plots are being amortized over the lease period. One time premium if any received on leasing of land will be taken to revenue account.

	8.	All Dollar denominated tariff is recovered in Indian Rupees after conversion of charges prescribed in dollar into its equivalent Indian Rupees at the market buying rate on the date of payment notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its associates or any other Public Sector banks as may be specified from time to time as per provisions of SOR.
	9.	Based on the guidelines given in the CFFR, Port has adopted the following method of presentation of government grants in the financial statements: "Grants related to specific fixed assets, may be shown as a deduction from the gross value of the asset concerned in arriving at its book value." Details of the grants received during the year 2022-23 are disclosed at sr. No.12 in Notes to Accounts.
III	**NOTES TO ACCOUNTS**	
	1	As per para (iii) of TR No.18/06.04.2021, it was decided that- This will be done in case of Estate case of Estate Rentals as per the criteria specified in TR. *"For FY 2021-22 and for future years: the tax invoices- may be raised only to the extent of the recognition of the revenue and pay GST accordingly and to apply to concerned authorities for provisional assessment of tax and pay provisional tax at the lower rental amount and follow the conditions of invoicing mentioned as per legal advice."*
	2.	Permission is granted vide TR No.59 of 28.09.2016 for continuing alternate use of the OCT for handling of Car Carriers (allowed vide TR 26 of 30.03.2015) till final decision is taken about re-structuring of OCT Project. Till such time existing arrangement with revenue share as approved by the Board by TR 104 of 28.10.2015 is continuing i.e. 72% to MbPA and 28% to the Licensee, if ICTPL levies tariff @ MbPA SOR and if ICTPL levies tariff @ 130% of tariff of MbPA, revenue share would be 55:45 i.e. 55% to MbPA and 45% to ICTPL. Though ICTPL is levying Berth Hire charges @ 130% of MbPA SOR and Wharfage @100% of MbPA SOR, the revenue share paid by them under both the scenario is 55%. An amount of ₹.72.52 crore is realized as revenue share and has been accounted for in cargo related income during the year F.Y.2022-23.
	3.	The fixation of rateable value of MbPA properties by Govt. of India is pending since 1964-1969. MbPA requested Ministry in January 2008 and April 2016 for valuation of rateable MbPA properties. The same was reminded in October 2018, however the issue is still pending with Ministry. MCGM charge General Tax in lieu of Property Tax on the Assets of MbPA based on its rateable values determined by Government. MCGM charges property tax @4.87 cr. per annum to MbPA and MbPA charges @1.46 Cr. per annum maintenance cost for its properties to MCGM. MbPA has effected annual payments of ₹.3.91 cr of property tax after deducting maintenance cost @₹.1.46 cr. In 1995-96 MCGM requested MbPA to delink reduction of Maintenance cost from the Property tax payable to them which was accepted by MbPA. However, alternative to

recover the property tax from MCGM was not suggested then by them. On pursuing the matter with MCGM it was conveyed that there exists no guidelines for recovering/ adjustment of maintenance cost from property tax and MbPA has to approach concern department of MCGM for recovery. As on April 2019, Property tax payable by MbPA is ₹.30.89 cr. and MbPA's claim towards maintenance cost as on April 2019 was ₹.41.39 Cr.

Pending finalization, the claim of MCGM for ₹.34.26 crore and the claim of MBPA of ₹.39.93 crore against maintenance cost is not accounted in the books.

Service charges (₹.2.48 crore) in lieu of property Tax payable to MCGM for F.Y.2022-23 have been accrued.

4. Gross and net block of fixed assets at the beginning of the year and at the end of the year 2022-23 showing additions, deletions, disposals, adjustments etc. have been disclosed in the Schedule II to Balance Sheet as on 31.03.2023 in terms of Accounting Standard 10. During the year, no asset was revalued.

5. Information relating to investments viz. aggregate amount of quoted and non-quoted investment has been disclosed in the Schedule III to Balance Sheet as on 31.03.2023.

6. Amount equivalent to profit on disposal of Capital Assets has been transferred to Capital Reserve through appropriation.

7. As pointed out in audit as regards the investments against the specific funds it is stated that on availability of investible surplus it will be transferred to the specific funds. There is shortfall in fund and investments as detailed below:

(₹. in crore)

Particulars	**Balance of the earmarked funds**	**Investment made thereof**	**Shortfall**
General Reserve Fund	41.81	4.50	37.31
Fire & Motor Insurance Fund	140.01	0.00	140.01
War Memorial Fund	0.20	0.00	0.20
Fund for RRM of Capital Assets	838.97	565.00	273.97
Fund for DRLC	12.79	0.00	12.79
Centenary Commemoration Fund (CCF)	6.00	6.00	0.00
Leave Encashment Fund	0.00	0.29	-0.29
CSR Fund	10.94	0.00	10.94
Employees Welfare Fund	0.01	0.00	0.01
Total	**1050.73**	**575.79**	**474.94**

8. As per the Government of Maharashtra's Gazette Notification No.TPB-4317/492/CR-289/2017/UD-11 dated 23.04.2018 has notified that the ownership of Mumbai Port Authority land is to the tune of 930.90 Hectors. Out of the 930.90 Hectors, Property Cards are already registered in the name of Mumbai Port Authority to extent of 726.72 Hectors. As regards the balance land the authority is following with the Collector Mumbai City to issue Property Card in the name of MbPA.

9. Project Financing:

a) Capital Grants received during 2022-23 towards various projects are tabulated below:

Project	Grant Received from	Grant Received (₹. in Cr.)
Modernization of Mumbai International Cruise Terminal	Ministry of Tourism	3.09
Third Chemical Berth	Sagarmala (Ministry of Shipping)	0.38*
	TOTAL	**3.47**

*Rs.0.38 crores interest received.

As per new guidelines, amounts received as grants are parked in a separate Bank account.

10. All petty Imprest are managed through SBI EZ Cards 29 SBI-EZ Cards have been issued to the concerned department's staff to carry out their day to day transactions as on 31.3.2023. In addition to above, there are three imprest accounts with SBI, Mazgaon Branch for the purpose of urgent purchase of fuel and other items of consumption managed by the Materials Manager and the Chief Mechanical Engineer.

11. The liabilities of PFT and GGFT will be discharged fully after receipt of sufficient funds realised after land monetization**.**

12. Contingent liabilities

(a) Law suits amounting to ₹.52.87 crore on various subject matters for and against MbPA are pending in various courts.

(b) Though the Port has provided for the accrued liability of ₹. 65.83 crore towards payment due to Maharashtra Police, the Maharashtra Police has raised the claim for Rs.129.58 crore. However, the exact liability is not yet crystalized. The matter is under correspondence.

- Maharashtra Police claimed ₹.129.58 crores for deployment of Police personnel for the period from January 1996 to April 2010 and the Port had arrived the liability for ₹.57.08 crore of which ₹.32 crore already settled by them.
- Port further claimed April 2021 ₹.67.91 crore in respect of Estate Rental from Maharashtra Police.
- Recovery proceedings is pending before Collector and District Magistrate, Mumbai City.

(c) 17 Bills amounting to ₹.14.40 crores towards water charges raised by MCGM are disputed by MbPA due to inclusion of sewerage charges. MCGM has been requested to issue revised bills.

(d) Service Tax

1. A Demand of ₹.21.19 crore plus penalty thereon for the period from Oct 2007 to Jan 2013 raised by Asstt Commissioner, ST-1 Mumbai for service tax on commission recovered from MCGM for collection of octroi was pending.

An appeal was filed by MbPA against this Service Tax demand on 19.06.2015.

The matter had come up for hearing. Further, the same had been submitted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution Scheme") by making a payment of ₹.7,33,29,267/- to Service Tax Authorities from deposits retained of MCGM. After resolution of matter under Sabka Vishwas,

The Appellate Tribunal has passed an order in favour of MbPA/MCGM on 23.7.2020. Further action for claiming refund for Service tax paid/ caveat filing in the matter is being taken.

As a corrective measure caveat has been filed in High Court and Supreme Court.

2. A demand of ₹.31.88 lakh plus penalty of ₹.31.88 lakh for Service Tax on Estate rentals received from Addl. Commissioner, Service Tax, Mumbai is pending. Appeal is filed and came up for hearing. The appeal was rejected by an order-in-appeal. Appeal has been filed before CESTAT against this order-in-appeal. The matter has not come up for hearing.
3. Demand of ₹.41.08 lakhs and ₹.1.05 lakhs for service tax on Terminal charges received from Commissioner (Appeals)-I for service tax, Mumbai are pending.
4. Rejection of S.T. application of Marine Department of ₹.1.23 crores. GST appeal will be filed in this case.

(e) AFCONS matters:

This is an appeal matter filed against order of the High Court at the stage of Section 34 of the Act and the order of single judge was challenged.

Present Status

The matter is at the stage of final argument. No next date is shown on the Bombay High Court website.

(f) MGT matters

Dispute on the issue of charges recoverable on account of non-achievement of MGT.

Present status:

Requested the solicitors to withdraw arbitration proceedings against Aegis Logistics Ltd., Chemical Terminal Trombay Ltd., Tata Power Co. Ltd. and Hindustan Petrolium Corporation Ltd. in view of approval of Ministry dated 09.12.2020.

Against BPCL for redressal before the Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD) set up by Central Government.

(g) Arbitration between ICTPL and MbPA

The dispute arises in connection with the License Agreement dated 03.12.2007 executed between the Claimant [ICTPL] and the Respondent [MbPT] for the project related to (i) Management and operation of Ballard Pier Station and (ii) Development, construction, operation and maintenance of the Offshore Container Terminal. The Claimant has raised various claims and reliefs alleging that the Respondent has failed to comply with the requirements of the License Agreement and to perform its obligations thereunder, which consequently caused losses to the Claimant.

MbPT has also raised a counter claim.

Present Status

As per the Minutes of the Meeting dated 19.04.2023 the Tribunal has granted extension till 27.07.2023. Arbitral Tribunal has fixed 27.07.2023 for direction, to know the further progress in the matter.

(h) Arbitration between RKEC and MbPA

The matter arises out of a contract entered into between the Claimant and Respondent for the construction of a specialized berth for handling liquid chemical cargo including petroleum, oil, and lubricants. The Tender for the construction of the Second Chemical Berth (SCB) was awarded to RKEC, as it was L1 and had quoted a much lower price than other bidders.

The scope of the work was increased due to various circumstances and the dispute is regarding the payment made for the increased scope of work. RKEC claims that the payment made by MbPT for the extra work is less and therefore the claim.

Present Status

The Arbitral Tribunal passed its Award on August 6, 2022. MbPT has challenged the Award dated August 6, 2022 by filling Arbitration Petition (L) No. 3434 of 2023 in the Hon'ble Bombay High Court. The present Petition is pending at present.

(i) Arbitration between MbPA and Songa Topaz

The case relates to a proposed arbitration to be initiated by MbPT against the vessel owner of MT Songa Topaz for business loss caused to MbPT. During 2013, the said vessel collided with under-construction Second Chemical Berth at Pir-Pau. The said collision caused structural damages to the jetty and the same had to be reconstructed at the collision area. Due to this reconstruction, the commissioning of the jetty was delayed and MbPT suffered loss of business. This is claimed on the basis of the actual business done by MbPT and therefore MbPT directed the agents of the vessel owner and the insurance agency to furnish MbPT a bank guarantee of ₹. 15 crores. This bank guarantee is issued in favour of MbPT by the insurance agent i.e. M/s. GARD Marine and Energy, Norway

Present Status

In this matter the Arbitral Tribunal has passed its Award on April 17, 2023.

(j) High Court matter – Section 34 – United Shippers v MbPA – Comm. Arb. Petition No. 946 of 2019

This Petition was filed by United Shippers against the order of the Sole Arbitrator passed in favour of MbPT. The matter is regarding the Tender for deployment of Owned/ Hired Floating Cranes at Port Lighterage Area (PLA) in Mumbai Port water limits and the inability of the Petitioner to deploy the same.

Present Status

The matter was last listed on February 25, 2020 for final hearing, however, since the Court was occupied with different matters, the matter was adjourned to March 12, 2020.The matter has not listed since then and the last date (CMIS) is shown as July 9, 2020. No next date is shown.

	13.	**Taxation:** (a) **Goods and Services Tax** (i) Mumbai Port Trust has remitted all its statutory dues and duties within due date (ii) GST Refund has been filed on Estate Rentals for those lessees/tenants who are billed as per TR-127 for F.Y. 2019-20 and payment is not received as per billing. (iii) Credit notes amounting to ₹.87.92 crore w.r.t Estate Rentals has been raised in the month of September 2021
		(b) **Income Tax:** The Port has reported huge losses for the previous period, no provision has been made for Income Tax this year. (i) A provision of ₹. 41.00 Cr. was made in 2008-09 towards Income Tax liability. The same has been reversed as the tax liability for 2008-09 was assessed as ₹. Nil. (ii) Since FY 2018-19 there was change in accounting policy for 'Provision for Deferred Tax'. The accounting of deferred tax has been discontinued in response to the Audit objection raised considering the continuous losses incurred by MbPT. During the current year since the profit will be set off with the accumulated losses, the same policy continued. (iii) Status of Assessments under the Income Tax Act. (iv) With amendment in section 10(20) in Finance Act,2002 exemption of Income Tax allowed to Ports as 'Local Authority' was withdrawn and Ports came under the purview of Income Tax Act,1961 from the financial year 2002-03. As such the provisions of Income Tax Act viz. payment of Advance Tax, filing of return of Income by conducting Tax Audit, TDS, etc. became applicable to MbPT and duly complied with from time to time. Pursuant to obtaining the registration certificate dated 08/09/2009 issued u/s 12AA (1)(b) (i) of I.T. Act, 1961, MbPT got the status as a 'Charitable Institution' w.e.f. 1/04/2002. However, the Director of Income Tax (Exemp) by his order dated 22/12/2011 had withdrawn the said registration w.e.f. A.Y.2009-10. In response to the appeal filed with ITAT against the order, ITAT has issued an order restoring the registration granted on 8/9/2009. In light of amended provisions of section 12AB of Income Tax Act, an application has been made with Income Tax Department on 13.09.2021 for re-registration MbPA as 'Charitable Institution'. MbPA got the provisional registration as a 'Charitable Institution' u/s 12A (1)(ac)(i) of I.T. Act, 1961 on 01.10.2021 for the period AY 2022-23 to AY 2026-27. Till F.Y.2022-23, the assessments upto AY 2021-22 (F.Y 2020-21) have been completed. However, all the cases upto AY 2017-18 (except A.Y.2008-09) are at the various appellate forums. (v) For the F.Y. 2022-23, MbPA has received certificates u/s 197 of Income-Tax Act, 1961 authorising the Port users, leases and tenants and Banks/ Financial Institutes to deduce Tax @0.35% applicable w.e.f 23rd August 2022 to 31st March 2023.

Deferred Tax:

Deferred Tax Asset of ₹.108.79 has been written off during FY 2022-23.

14. Retirement Benefits:

(a) Based on actuarial valuation of Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund, the accrued liability as on 31.03.2023 stood as follows:

(₹ In Crores)

	Actuarial Valuation as on 31.3.2023	Investment as on 31.3.2023	Balance (Short –Funding)
Pension Fund	11410.42	9301.85	2108.57
Gratuity Fund	481.56	94.42	387.14
Leave Encashment	230.28	0.29	229.99
Total	**12122.26**	**9396.56**	**2725.70**

In accordance with Accounting Standard 15 and complying with the provisions of Income Tax Act the retirement benefits are separately shown in the financial statements.

a. An irrevocable Pension Fund Trust has been created on 14.1.2004 and is approved by the Income Tax Commissioner. The balance in Pension Fund Investment as on 31.3.2023 stood at ₹.9301.85 Crore as against the actuarial valuation of ₹.11410.42 Crore. Books of accounts are maintained for the transactions and separate final accounts are prepared.

b. An irrevocable Gratuity Fund Trust has been created to manage the gratuity liability and the fund Investment balance as on 31.3.2023 stood at ₹.94.42 Crore. As per actuarial valuation from LIC, the requirement of Employees Group Gratuity Fund amounts to ₹.481.56 Crore as on 31.03.2023. Books of accounts are maintained for the transactions and separate final accounts are prepared.

c. The General Provident Fund of the employees created before 01.01.2004 is managed by the Port and the fund balance stood at ₹.810.79 Crore as on 31.03.2023.

d. As per the actuarial valuation done by SBI Life the liability of Leave Encashment Fund amounts to ₹.230.28 Cr. Leave Encashment Fund has been fully utilised and there is balance of ₹.28.82 lakh in investment of the fund. No further funding has been made to the fund during the current financial year and the expenditure on leave encashment fund is met from Revenue Account of MbPA.

15. National Pension System:

National Pension System (NPS) introduced by the Central Govt. is made applicable to the employees who have been recruited on or after 01.01.2004. Board by TR No. 88 of 13.09.2012 accorded sanction for implementation of NPS in MbPA Employees' contribution and Employers matching contribution was remitted to PFRDA during 2022-23.

16. The Port has renewed its insurance policy of port properties with The New India Assurance Co. Ltd. from 12.10.2022 till 11.10.2023 for an insurance premium of ₹.16.48 crore (including GST) paid during the year. Appropriate ITC on GST (₹.2.51 Crore) has been claimed. Amount of proportionate insurance premium of ₹.6.54 crore paid for the period from 01.04.2023 to 11.10.2023 has been charged to the pre-paid expenses.

In F.Y. 2022-23 port has received an amount of ₹.22.30 lakh towards settlement of insurance claims.

17. Bank Guarantees amounting to ₹3.50 crore have been issued by MbPA in favour of Maharashtra Pollution Control Board (MPCB).

18. Assets retired from active use-

As per para C (ii) of the management letter No. PD(S)/CA.II/Accounts/MbPA/2020-21/346 dated 15.03.2022 Assets retired from active use and held for disposal are to be stated at the lower of net book value or net realizable value.

The following assets have retired for active use and action is being taken for their disposal.

Sl. No.	Name of the asset	Acquisition Cost(₹.)
1	Hindel Hammer Blind Valves on oil pipe connection, Sewri -Wadala (778/161/45)	1.00
2	Salt water firefighting pipeline 10" dia. – FOB Salt water pump house to front side of Dock Master's office (774/161/2)	1.00
3	Yokohama Pneumatic Rubber Fender No.18 (744/235/23)	1.00
4	M.L. 'SAFAL' AND M.L. 'SAHAYAK' (731/221/35)	1.00
5.	Ultrasound-sonography Machine with Color Doppler, Model Philips HDI-5000	1.00

19. Wadala-Kurla dedicated goods line Project-

MBPA has paid an amount of ₹77.38 Cr. to the Central Railway for laying a dedicated railway line between Wadala and Kurla for the speedy clearance of Cargo of the Port. The MOU in clause-1(I) states that Central Railway will give precedence to traffic of MbPA for the use of the said dedicated line. As over the years, the cargo traffic has come down, the project is kept in abeyance. However, the project is not abandoned yet. The project will be revived once the cargo traffic increases. The Port has retained the status of the subject work as CWIP.

20.

The schedules form an integral part of the Balance Sheet and Revenue Account.

(Madhuri Varade)
FINANCIAL ADVISER AND
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
____ May 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार और सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन मुंबई पत्तन प्राधिकरण (मुंपप्रा) की 31 मार्च 2023 के संलग्न तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखा की लेखा परीक्षा की है। इस वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बोर्ड के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा में लेखा व्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों का समावेश है जो सिर्फ सर्वोत्तम लेखा पद्धति के अनुपालन सहित वर्गीकरण, लेखा मानक तथा प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में है। विधि, नियम तथा विनियम (उपयुक्तता तथा नियमितता) के अनुपालन और सक्षमता-सह- निष्पादन पहलुओं, आदि के संबंधी वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा अवलोकन, यदि है, तो वह जांच रिपोर्ट / नियंत्रक एवं महालेखा के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए अलग से दीये गए हैं।

3. भारत में सामान्यत: स्वीकृत मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित तथा संपन्न करें जिससे हमें पर्याप्त आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण वस्तुगत गलत कथनों से मुक्त है। वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटीकरण और राशियों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सबूतों को परीक्षण आधार पर जांच करने का समावेश है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा पद्धति सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के निर्धारण एवं साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन का भी समावेश है। हम विश्वास रखते हैं कि, हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार देती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे अधिकतम विश्वास और जानकारी के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस रिपोर्ट के संबंधित तुलनापत्र तथा लाभ और हानि लेखा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के अधीन न्यासी मंडल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं।

(iii) जहां तक ऐसें बुकों की हमारी जांच का संबंध है, हमारी राय में महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के अधीन आवश्यकता के अनुसार लेखा बुकों को और अन्य संबंधित रिकार्ड को, जो लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था, मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा उचित रूप में रखा गया है।

iv) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

ए.	**तुलन पत्र** **निधियों का स्रोत**
ए.1	**आरक्षित तथा अधिशेष (अनुसूची-I)** **सांविधिक आरक्षित निधि-₹862.70 करोड़** **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु (सीएसआर)निधि:- ₹10.94 करोड़**
	उक्त में सीएसआर देयता के प्रति ₹3.44 करोड़ (सीएसआर देयता: ₹2.86 करोड़ और सीएसआर निधि निवेश पर ब्याज: ₹0.58 करोड़) शामिल नहीं हैं, जिसे टाटा मेमोरियल अस्पताल से प्राप्य ₹27.60 करोड़ के कल्पित लाभ के प्रति पहले ही समायोजित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सीएसआर हेतु देयताओं की निधि को कम बताया गया तथा परिसंपत्तियों (विविध देनदार) को ₹3.44 करोड़ कम बताया गया है।
ए.2	**से लिए गए अग्रिम:** **पोतघाट के पुनर्निर्माण हेतु एमएमआरडीए से प्राप्त अग्रिम राशि- ₹64 करोड़**
	मुं.प.प्रा. ने द्वीप शहर मुंबई को बंदरगाह के आर-पार की मुख्य भूमि के साथ जोड़ने के लिए मुंबई ट्रान्स हारबर लिंक (एमटीएचएल) के निर्माण के लिए 30 वर्षों की अवधि हेतु मुंबई मेट्रो रिजन डेवलपमेंट ऑथारिटी (एमएमआरडीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर (मई 2016 में) हस्ताक्षर किए। धारा 5 के अनुसार एमएमआरडीए पुरानी पीरपाव जेट्टी/पोतघाट को बंद करने के एवज में द्वितिय रसायन पोतघाट की निर्माण लागत के 50% हिस्से के प्रति ₹64 करोड़ के भुगतान द्वारा मुंपप्रा को क्षतिपूर्ति करेगा। मुं.प.प्रा. ने पुरानी पीरपाऊ जेट्टी/ पोतघाट को बंद कर दिया तथा दूसरे रसायन पोतघाट का निर्माण/ प्रचालनारंभ करके (अप्रैल 2015) ₹64.00 करोड़ की क्षतिपूर्ति (जुलाई 2019) प्राप्त की। तथापि उसको द्वितिय रसायन पोतघाट के प्रचालनारंभ की लागत के प्रति समायोजित करने के बजाय मुंपप्रा ने देयताओंके अंतर्गत ₹64 करोड़ को लेखा में दिखाया। परिसंपत्तियों के मूल्य के प्रति पूंजीगत लागत की प्रतिपूर्ति का असमायोजन के कारण देयताओं (लिए गए अग्रिम) तथा अचल परिसंपत्तियों (द्वितीय रासायनिक पोतघाट) को ₹64 करोड़ बढाकर बताया गया और संचित मूल्यह्रास और घाटा/हानि को भी ₹19.64 करोड़ से बढाकर बताया गया।
ए.3	**निधियों की प्रयोज्यता** **प्रगतिपथ पर पूंजीगत निर्माण कार्य-₹1028.09 करोड़**
	परियोजनाओं का विस्तृत विवरण, प्रारंभ तिथि, उनकी भौतिक प्रगति आदि जो प्रगतिपथ पर पूंजीगत निर्माण कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में शामिल किए जाते है उनकी अनुपलब्धता के कारण लेखा परीक्षा सीडब्ल्यूआईपी के तहत लेखा में दर्ज की जानेवाली राशि की यथार्थता के बारे में राय नहीं बना सकी।

ए.4	**चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम :**
ए.4.1	**वस्तुसूचियां-रु. 6.46 करोड़- लेखा पद्धति नीति नं. 4 के साथ पठित**
	लेखो में प्रकट की गयी महत्वपूर्ण लेखा पद्धति नीति के अनुसार (मद सं.4) वस्तुसूची पर कोई भी मूल्यह्रास तथा कोई भी पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है और बहीयोमें वस्तु सूची लागत पर ली जाती है| यह नीति वित्तिय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (सीएफएफआर) से भिन्न है जिसमें यह अनुबद्ध किया गया है कि वस्तुसूचियों का निम्नतर भारित औसत लागत अथवा निवल नकदीकरण मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए| इस प्रकार लेखा परीक्षा वस्तुसूचियों के मूल्य की यथार्थता (रु.6.46 करोड़) तथा लाभ और हानि खाते में दिखाए गए लाभ पर परिणामी प्रभाव के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ है| वर्ष 2017-18 से इसी प्रकार का अवलोकन लेखा परीक्षा द्वारा उठाया जा रहा है| तथापि, मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा अभी तक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है|
ए.4.2	**विविध देनदार-रु.1966.93 करोड़ (अनुसूची-IV)**
	ए.) विविध देनदारों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (सीएफएफआर) को पोर्ट द्वारा कुछ हद तक पालन नहीं किया गया है, जो निम्नवत है: (i) अशुद्ध तथा संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान करने संबंधी लेखा पद्धति नीति नहीं बनाई गई है तथा उसका खुलासा नहीं किया है, इस प्रकार लेखा परीक्षा द्वारा संदेहास्पद ऋणों के रूप में प्रदान की गई राशि(रु.20.26 करोड) की पर्याप्तता अथवा अन्यथा पर टिप्पणी करने में असमर्थ है| (ii) 'शोध्य समझे गए तथा पूर्णत: सुरक्षित ऋण','शोध्य समझे गए परंतु असुरक्षित ऋण' तथा 'संदेहास्पद अथवा अशोध्य समझे गए ऋण' जैसे विविध देनदारों को विभाजित कर ब्यौरा नहीं दर्शाया गया है|
	बी) संपदा किराए - संपदा विभाग से प्रस्तुत संपदा किरायों के बिल (आईईएफएमएस से उत्पन्न) की बकाया स्थिति दिनांक 31 मार्च 2023 को रु.2658.40 करोड़ का बकाया राशि दर्शाती है| तथापि वार्षिक लेखों में विविध देनदारों के अधीन संपदा विभाग के संबंध में राशि रु.2560.58 करोड़ चित्रित की गयी है, जिससे रु.97.82 करोड का फर्क पडता है| संपदा विभाग के विविध देनदारों के आँकडों तथा वार्षिक लेखोंमें मेल-मिलाप के अभाव में लेखा परीक्षा विविध देनदारों के अधीन लेखा बही में दर्ज आंकडों की यथार्थता के बारे में राय बनाने में असमर्थ है|

ए.4.3	**ऋण और अग्रिम** **नकद या वस्तु के रूप में अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम: ₹918.22 करोड़**
	उक्त में बृहन्मुंबई मनपा से अप्रैल 2006 से पहले संपत्ति कर पर दावा की गई छूट के संबंध में ₹14.57 करोड़ शामिल हैं। चूंकि इस दावे को 15 वर्षों से अधिक तक बृमुंमनपा द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, उसकी वसूली के संबंध में अनिश्चितता को मान्यता देने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। संपत्ति कर पर दावा की गई छूट का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप प्राप्तियों को बढाकर बताया गया तथा घाटा/हानि को ₹14.57 करोड़ कम बताया गया।
ए.5.1	**चालू देयताएं तथा प्रावधान- रु.4545.15 करोड़**
	सीएफएफआर के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति के लाभों की देयता का वित्त पोषण एक न्यास के सृजन के माध्यम से किया जाता है, तब वर्ष के दौरान लागत का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाएगा| मुं.प.प्रा. ने पेंशन निधि, उपदान निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है जैसे कि नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2023 को प्रदान की जाने वाली देयता	दि.31 मार्च 2023 के अनुसार शेष राशि	कमी
1	2	3	4
पेंशन निधि	11410.42	9354.82	2055.60
उपदान निधि	481.56	21.80	459.76
अवकाश नकदीकरण निधि	230.28	0.29	229.99
कुल	**12122.26**	**9376.91**	**2745.35**

₹2745.35 करोड़ की राशि का उक्त कम प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 के हेतु मुंपप्रा के घाटे/हानि (₹151.14 करोड़) के 1816 प्रतिशत के समान है। यदि खातों में पूर्ण प्रावधान किया जाता है, तो मुंपप्रा का शुद्ध मूल्य घट जाएगा तथा वह ₹2220.30 करोड़ से घटकर (-) ₹525.05 करोड़ हो जाएगा और वर्ष के लिए घाटा/हानि भी ₹2745.35 करोड़ बढ़ जाएगी।

देयताओं के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं को रु.2745.35 करोड़ कम बताया गया तथा तदनुरूप घाटा/हानि को उसी हद तक कम बताया गया है|

यद्यपि वर्ष 2012-13 से उक्त कमियों को लेखा परीक्षा द्वारा दर्शाया जा रहा है, तथापि प्रबंधन ने कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं किए है|

ए.5.2	**चालू देयताएँ - रु4441.89 करोड़** **विविध लेनदार** **उपार्जित व्यय रु.191.22 करोड़**
	ए) उपरोक्त में बृ.मुं.म.न.पा. के संबंध में देय रु34.26 करोड़ के संपत्ति कर का समावेश नहीं है. संपत्ति कर के बदले में रु.4.87 करोड़ प्रति वर्ष की दर से (मुं.प.प्रा. की संपत्ति के कर योग्य मूल्यों पर आधारित) बृ.मुं.म.न.पा. सामान्य प्रभारों का दावा करती है| तथापि मुं.प.प्रा. संपत्ति कर रु.3.91करोड़ प्रतिवर्ष मात्र की दर से अनुरक्षण लागत के संबंध में उनके दावे को समायोजित कर संपत्ति कर हेतु देयता का प्रावधान कर रहा है| बृ.मुं.म.न.पा. ने 31 मार्च 2023 तक ₹48.54 करोड़ के संपत्ति कर का दावा किया (फरवरी 2023), जिसमें से मुं.प.प्रा. ने (31 मार्च 2023) 3.91 करोड़ का भुगतान किया और 31 मार्च 2023 तक ₹10.37 करोड़ का प्रावधान किया। अत: अनुरक्षण लागत को समायोजित कर के संपत्ति कर की देयता के सांविधिक बकाया देयों के प्रति देयता को कम प्रावधान करने के परिणाम स्वरुप उपार्जित व्ययों तथा घाटा/हानि को रु.34.26 करोड कम बताया गया| यद्यपि उक्त टिप्पणी को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए उठाया गया है, अभी तक पोर्ट प्रबंधन ने उसमें कोई सुधारात्मक कार्रवाई नही की है|
	बी) व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से अग्रिम - ₹1705.53 करोड़ इसमें पट्टेदारों/किरायेदारों से वसूले गये ₹1108.29 करोड़ का संपदा किराया शामिल है - (संपदा विभाग फुटकर अग्रिम खाता) जिसे 'देनदार' खाता शीर्षक के सामने अंतिम रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है। यद्यपि वर्ष 2017 में तीन सीए फर्मों की टीम को शेष राशियों की पहचान तथा मेल मिलाप के लिए रखा गया है, अब तक मेल मिलाप का कार्य पूरा नहीं हो सका है| आगे, सीए फर्मों की संविदा जून 2021 को समाप्त हो चुकी है| तथा एक नये फर्म को लघुसुचीबद्ध किया जा रहा है। अत: लेखा के इस शीर्ष की यथार्थता लेखा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है| उक्त अवलोकन लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2015-16 से उठाया जाता रहा है| जबकि मेल-मिलाप की प्रक्रिया काफी पहले, वर्ष 2017 से शुरू हो चुकी है, उसे पूरा होना अभी बाकी है|
बी.	**लाभ और हानि खाता:** **प्रचालन आय** **संपदा किरायें: रु.314.74 करोड़ - भूमि से किराया: रु.269.88 करोड़**
	उपरोक्त में रु.17.69 करोड़ का समावेश नहीं है, जो विभिन्न पार्टियों से न्यूनतम गारंटी थ्रूपूट(एमजीटी) के कारण दंड के रूप में वसूले गए| पोर्ट ने (वर्ष 2002 से) अतिरिक्त मार्गाधिकार प्रभारों की निर्धारित एमजीटी में कमी को हासिल करने के लिए विभिन्न पार्टियों से (टीपीसीएल, एचपीसीएल, सीटीटीएल बीपीसीएल तथा एजिस) 25 सितंबर 1996 से 31मार्च 2015 तक रु.71.58

	करोड़ की मांग उठाई थी| बिल किये गए दंड पर उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कारणों से विवाद खड़ा किया गया तथा बोर्ड को प्रतिवेदन किया गया तथा दंड प्रभारों को नहीं अदा किया तथा एमजीटी उपनियम से छूट की मांग की गई| पोर्ट ने वसूली गई रु.17.69 करोड़ की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देने के बजाए फुटकर जमा में दिखाया है| यद्यपि इस मामले को 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए उठाया गया है, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तथा राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में असमायोजित होकर पडी है।
सी.	**लेखों पर टिप्पणियां**
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में वडाला से कुर्ला के बीच मालभाडा संचलन हेतु एक समर्पित मालगाड़ी लाइन से संबंधित परियोजना पर पूंजीगत व्यय के रु.77.38 करोड़ की राशि का समावेश है| परियोजना जून 2019 को स्थगित रखी गई तथा अगले 8 से 10 वर्षों तक दोबारा प्रचलित करने की संभावना नहीं रखी गई थी| परियोजना की संपूर्ण लागत रेलवे की भूमि पर वहन की गई थी जिस पर पोर्ट का न कोई कब्जा/नियंत्रण है न हीं पोर्ट अगले और 10 वर्षों तक कोई लाभ की अपेक्षा करता है| आगे, खाली की गई भूमि अथवा सृजित परिसंपत्ति को प्रबंधन के मूल रूप से ईरादे के अनुसार न हीं उपयोग किया जा सकता है न हीं किसी वैकल्पिक उपयोग की रेलवे ने सहमति जताई है| इस महत्वपूर्ण तत्व को एक नोट द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए था।
डी.	**प्रबंधन पत्र**
	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जो कमियां समाविष्ट नहीं की गई है, वह अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकरण को सूचित कर दी गई है v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में संबंधित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है| vi) हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा पद्धति नीतियों और लेखों की टिप्पणियों के साथ पठित कथित वित्तीय ब्यौरे और ऊपर उल्लिखित कुछ विशिष्ट मामलों तथा अनुलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में साधारण तया स्वीकृत की गई लेखा पद्धति के अनुसार सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं|

	ए) जहां तक तुलन पत्र से इसका संबंध है दि.31 मार्च 2023 की मुंबई पत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप की स्थिति है; और बी) जहां तक लाभ और हानि लेखा का इससे संबंध है, यह उस तिथि को समाप्त वर्ष की हानि है| vii) 31 मार्च 2023 को समाप्त 3 वर्षों के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण का सारांशित वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली लेखों की समीक्षा अनुलग्नक-II में दी गई है|
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से हस्ता./- (गुलजारी लाल) महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई स्थान: मुंबई दिनांक :19 अक्टूबर 2023.

अनुलग्नक -I

1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**
	वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए पोर्ट की आंतरिक लेखा परीक्षा मे. एससीएम एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को सौंपी गई थी. इस फर्म ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। आगे, यहां आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को की गई कार्रवाई की टिप्पणीयों के साथ बोर्ड के अवलोकन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था 2020 से नहीं है. यह अपर्याप्त प्रबंधन नियंत्रण को दर्शाता है।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**
	निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए बंदरगाह के आंतरिक नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता है: - ए) यथा दिनांक 31 मार्च 2023 को बैंक का मेल-मिलाप विवरण मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने 23 बैंक खातों का प्रचालन किया। दि. 31 मार्च 2023 को यथास्थिति केवल 14 बैंकों के बैंक मेल-मिलाप विवरण लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे. इन 14 बैंकों के खातों के बैंक मेल-मिलाप की जांच में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुई: (i) एक बैंक में शेष रु. 2483.691 करोड़ मूल्य के चैकों को घटाकर है, जो अप्रैल 2006 से पत्तन द्वारा जारी किए गए थे, तथा यथा दिनांक 31 मार्च 2023 को तीन महीनों से पुराने थे। उनको रद्द नहीं किया गया है और पुनरांकित नहीं किया गया है। (ii) रु. 2718.022 करोड अप्रैल 2006 से पत्तन की बहियों में बैंक में जमा किए गए ऐसे दर्शाए गए परंतु बैंक के विवरण (स्टेटमेंट) में नहीं दिखायी दे रहे हैं। (iii) रु. 1282.654 करोड बैंक द्वारा जमा किए गए (क्रेडिट) परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा लेखा में नहीं लिए गए। (iv) रु. 1282.973 करोड बैंक द्वारा नामे (डेबिट) लिखे गए परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई भी प्रविष्टियां पास नहीं की गई। आगे, नौ बैंको के खातों के मेल मिलाप न होने के कारण वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई शेष राशि पर लेखा परीक्षा कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ है।
B	**नकदी एवं बैंक शेष राशियाँ (अनुसूची V)** **शेड्यूल बैंकों में- ₹536.96 करोड़** **बैंकों के पास जमा राशि (डिपोजिट)- ₹165.04 करोड़**
	ए) उपरोक्त में ₹43.85 करोड़ (जीएल नंबर 23110250) की जमा शेष राशि शामिल है, जो संग्रहण किए गए राजस्व के बारेमें परंतु संबंधित पार्टियों को आवंटित न किये गए अनाबंटित तथा अज्ञात क्रेडिटों का प्रतिनिधित्व करती है। उपरोक्त क्रेडिट शेष को चालू देयताओं के रूप में मानने के बजाय नकदी और बैंक शेष के सामने समायोजित करने के परिणामस्वरूप 'व्यापारियों, संविदाकारों तथा अन्य लोगों से प्राप्त अग्रिमों को (चालू देयताओं के तहत) कम बताया गया और इसके परिणामस्वरूप नकदी और बैंक शेष को कम बताया गया। इसमें 'व्यापारियों, संविदाकारों तथा अन्य लोगों की ओर से सावधि जमा के संबंध में ₹33.52 करोड़ शामिल हैं। मुंपप्रा के पास केवल ₹32.39 करोड़ की भौतिक एफडीआर हैं, जिसमें से ₹30.63 करोड़

	मुल्य के एफडीआर 1985 से 2022 के दौरान परिपक्व हुए है, जो पार्टियों को नहीं लौटाए गए और न ही उनका भुगतान प्राप्त किया गया।
3.	**अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था:**
	पोर्ट द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार अचल परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन संचालित किया जाता है. पिछला वस्तुगत सत्यापन वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया गया था. अचल परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन से संबंधित कार्य मे. एससीएम एसोसिएट्स को सौंपा गया है तथा वह नियुक्त फर्म द्वारा अभी तक प्रक्रिया में है।
4.	**वस्तुगत वस्तुसूची की वस्तुगत सत्यापन प्रणाली**
	31 मार्च 2023 को यथास्थिति वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था. पत्तन ने न कोई मूल्यह्रास नीति को अपनाया है न हीं महापत्तनों के लिए सीएफएफआर में समाविष्ट दिशा निर्देशों के अनुपालन में परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन किया है. वस्तुसूची के वस्तुगत सत्यापन से संबंधित कार्य मे. एससीएम एसोसिएट्स को सौंपा गया है तथा वह नियुक्त फर्म द्वारा अभी तक प्रक्रिया में है।
5.	**सांविधिक देय राशियां**
	अविवादित सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने में पोर्ट नियमित रहा है।
	हस्ता./- (ज्योतिमोय बाइलुंग) उप निदेशक स्थान: मुंबई दिनांक: 19 अक्टूबर 2023

अनुलग्नक -II

31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा मुंबई पत्तन प्राधिकरण के लेखों की पुनरीक्षा

(खातों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग ऑडिट रिपोर्ट में शामिल ऑडिट टिप्पणियों/टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार की गई है)

1. **वित्तीय स्थिति**

दि. 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए तीन वर्षों के लिए मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है.

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
देयताएं			
पूंजी प्रारक्षित	1683.68	1592.68	1671.67
अन्य प्रारक्षित	985.98	1088.89	1008.88
उधार राशियां	193.74	375.86	481.91
आस्थगित कर देयताएं	0.00	0.00	0.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5512.42	5312.05	4545.14
कुल	8375.82	8369.48	7707.60
परिसंपत्तियां			
निवल अचल परिसंपत्तियां	1112.77	1032.53	958.04
कार्य प्रगति पर	698.48	871.33	1028.09
निवेश	1208.70	1407.08	1430.06
वर्तमान परिसंपत्तियां और ऋण तथा अग्रिम	4597.31	4268.22	3500.89
आस्थगित कर परिसंपत्ति	432.52	432.52	323.73
अन्य परिसंपत्तियां/ विविध व्यय			
बीओटी प्रचालक को सुपुर्द शेड	0.00	0.00	0.00
वि.स्वै.से.नि.यो. व्यय	0.00	0.00	0.00
फुटकर व्यय	3.81	6.88	6.54
संचित हानि	322.23	350.92	460.25
कुल	8375.82	8369.48	7707.60
कार्यशील पूंजी *	-915.11	-1043.83	-1044.25
निवल मूल्यमत्ता**	2766.68	2623.80	2220.30
प्रयुक्त पुंजी***	197.66	-11.30	-86.21
(विनियोजन पूर्व) निवल अधिशेष	152.12	49.67	-82.55
प्रयुक्त पूंजी पर प्रति लाभ**** (प्रतिशत)	76.96	-439.56	--
प्रयुक्त पूंजी (कार्य प्रगति पर सहित)	896.14	860.03	941.88
प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिलाभ (कार्य प्रगति पर सहित)	16.98	5.78	-8.76

*कार्यशील पूंजी चालू परिसंपत्तियों से चालू देयताओं घटाकर दर्शाता है.

**निवल मूल्यवत्ता-- पूंजी प्रारक्षित तथा अन्य प्रारक्षित राशि अधिक अधिशेष/ घाटा दर्शाता है;

***प्रयुक्त पूंजी निवल अचल परिसंपत्तियों अधिक कार्यशील पूंजी दर्शाता है;

****प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिलाभ कुल अधिशेष (विनियोजन से पूर्व) से प्रयुक्त पूंजी का प्रतिशत दर्शाता है.

2 **कार्य परिणाम**

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के कार्य परिणामों का सारांश निम्नानुसार है.

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व			
प्रचालन आय	1705.96	1896.96	2121.16
गैर प्रचालन आय	24.23	82.41	173.84
कुल	1730.19	1979.37	2295.00
व्यय			
प्रचालन व्यय	1122.09	1110.57	1087.80
गैर प्रचालन व्यय	511.08	926.57	1219.70
कुल	1633.17	2037.14	2307.50
असाधारण मद	0.00	0.00	0.00
पूर्वकालिक प्रभार	0.00	0.00	0.00
कर पूर्व निवल अधिशेष/ घाटा	97.02	-57.77	-12.50
घटाएं : कर के लिए प्रावधान अथवा जोड़े: पुनरांकित कर	0.00	41.00	0.00
जोड़े/ घटाएं : आस्थगित कर देयता/ परिसंपत्तियां	0.00	0.00	-108.79
जोडें: कल्याण निधि तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रारक्षित से आहरित	55.10	66.44	38.74
विनियोजन से पूर्व निवल अधिशेष/ घाटा	152.12	49.67	-82.55
घटाएं: अनिवार्य विनियोजन, प्रारक्षित निधियों, आदि में अंतरण	57.08	78.36	68.59
सामान्य प्रारक्षित में अंतरित अधिशेष/घाटा	95.03	-28.69	-151.14
निवल अधिशेष /घाटे का प्रतिशत			
(i) प्रचालन आय से	8.92	2.62	-3.89
(ii) निवल अचल परिसंपत्तियों से	13.67	4.81	-8.62
(iii) निवल मूल्य से	6.48	2.13	-3.72

3. **अनुपात विश्लेषण (चलनिधि तथा ऋण शोधन क्षमता)**

मुंबई पत्तन प्राधिकरण की चलनिधि तथा ऋण शोधन क्षमता के एवं वित्तीय क्षमता के कुछ महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार दिखाए गए हैं:

	विवरण	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
ए	चालू देयताओं से चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों सहित)	83.40	80.35	77.02
बी	चालू देयताओं से शीघ्र विक्रैय परिसंपत्तियों का प्रतिशत	103.85	99.32	58.00
सी	प्रचालन आय से विविध देनदारों का प्रतिशत	202.64	174.57	92.73
डी	पूंजी प्रारक्षित और सामान्य प्रारक्षित से ऋण का प्रतिशत	11.23	23.00	28.83
ई	कर पूर्व लाभ का प्रतिशत			
	ए) निवल मूल्य से	3.51	-2.20	-0.56
	बी)प्रयुक्त पूंजी से	49.08	511.24	14.50
	सी)परिचालन आय से	5.69	-3.05	-0.59

हस्ता./-

(ज्योतिमोय बाइलुंग)

उप निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 19 अक्टूबर 2023

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE MUMBAI PORT AUTHORITY, MUMBAI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

We have audited the attached Balance Sheet of the Mumbai Port Authority (MbPA) as at 31 March 2023 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act 1971, read with Section 44 (2) of Major Port Authority Act, 2021. These financial statements are the responsibility of the Port's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board of Trustees under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021;

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Mumbai Port Authority required under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021 in so far as it appears from our examination of such books which were produced to audit.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet
Sources of Funds

A.1 Reserves and Surplus (Schedule I)
Statutory Reserves- ₹862.70 crore
Fund for Corporate Social Responsibility (CSR):- ₹10.94 crore

The above do not include ₹3.44 crore towards CSR liability (CSR liability: ₹ 2.86 crore and interest on CSR fund investment: ₹ 0.58 crore) which was already adjusted against notional profit of ₹27.60 crore receivable from Tata Memorial Hospital.

This has resulted in understatement of Liabilities Fund for CSR and understatement of Assets (Sundry Debtors) by ₹3.44 crore.

A.2 Advances from:
Advance amount received from MMRDA for reconstruction of Berth- ₹64 crore

MbPA entered (May 2016) into an MoU with Mumbai Metro Region Development Authority (MMRDA) for construction of Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) for linking the island city of Mumbai with the main land across the harbour for the period of 30 years. As per Clause 5 MMRDA shall compensate MbPA by paying ₹64 crore towards 50% share of construction cost of Second Chemical Berth in lieu of decommissioning of Old Pirpau Jetty/ Berth.

MbPA decommissioned Old Pirpau Jetty/ Berth and constructed/commissioned (April 2015) SCB and received (July 2019) compensation of ₹64.00 crore. However, MbPA accounted ₹64 crore under Liabilities instead of adjusting the same against Commissioning cost of SCB.

Non-adjustment of reimbursement of capital cost against asset value resulted in overstatement of Liabilities (Advances from) and Fixed Assets (Second Chemical Berth) by ₹64 crore and also overstatement of Accumulated Depreciation and Deficit/Loss by ₹19.64 crore.

A.3 Application of Funds
Capital Works in Progress- ₹1028.09 crore

In the absence of details of projects, date of commencement, its physical progress etc. which are included in the Capital Work in Progress (CWIP), audit could not form an opinion on the correctness of the amount accounted under CWIP.

A.4 Current Assets, Loans and Advances
A.4.1 Inventories – ₹6.46 crore read with Accounting Policy No. 4

As per the Significant Accounting Policy disclosed in the Accounts (item no. 4), no depreciation and no revaluation is done on inventory and the inventory is taken at cost in the books. The policy is in variance with Common Framework for Financial Reporting (CFFR), which stipulates that inventories should be valued at lower of weighted average cost or net realizable value. As such, Audit is unable to comment on the correctness of value of

Inventories (₹6.46 crore) and consequent impact on the profit shown in the Profit and Loss Account.

Similar observation is being raised by Audit since 2017-18. However, corrective action is yet to be taken by Mumbai Port Authority.

A.4.2 Sundry Debtors- ₹1966.93 crore (schedule IV)

a) In respect of Sundry Debtors, the Common Framework for Financial Reporting has not been complied with by the Port, to the extent given below:

(i) The accounting policy regarding provisions for bad and doubtful debts has not been framed and disclosed. As such, Audit is unable to comment on the adequacy or otherwise of the amount provided (₹20.26 crore) as doubtful debts.

(ii) The split up details of Sundry Debtors such as 'Debt considered good and fully secured', 'Debts considered good but not secured' and 'Debts considered doubtful or bad' have not been depicted.

b) Estate Rentals –

The outstanding position of the Estate Rentals invoices from the Estate Department (generated through IFMS) showed an outstanding balance of ₹2658.40 crore as on 31 March 2023. However, the Sundry Debtors as per the Annual Accounts depicted an amount of ₹2560.58 crore in respect of Estate Department leading to a difference of ₹97.82 crore.

In absence of reconciliation of Sundry Debtors figures of Estate Department and Annual Accounts, Audit is not able to form an opinion on the correctness of the figures booked under Sundry Debtors.

A.4.3 Loans and Advances

Advances recoverable in cash or in kind or the value to be received: ₹918.22 crore

The above includes ₹14.57 crore in respect of rebate claimed on Property Tax from MCGM before April 2006. As the claim has not been accepted by MCGM for more than 15 years, provision should have been created to recognise the uncertainty regarding recovery of the same.

Non-provision of rebate claimed on Property Tax resulted in overstatement of Receivables and understatement of Deficit/Loss by ₹14.57 crore.

A.5.1 Current Liabilities and Provisions - ₹4545.15 crore

As per the Common Framework for Financial Reporting, if the liability for retirement benefits was funded through creation of a Trust, the cost incurred for the year shall be ascertained by actuarial valuation. MbPA has not made adequate provisions towards the

Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund as given below:

₹ in crore

Name of the Fund	Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31.03.2023	Balance in the Fund as on 31.03.2023	Shortfall
1	2	3	4 (2-3)
Pension Fund	11410.42	9354.82	2055.60
Gratuity Fund	481.56	21.80	459.76
Leave Encashment Fund	230.28	0.29	229.99
Total	**12122.26**	**9376.91**	**2745.35**

The above short provision amounting to ₹2745.35 crore is equal to 1816 per cent of the Deficit/Loss (₹ 151.14 crore) of MbPA for Financial Year 2022-23. In case the full provision is made in accounts, the net worth of MbPA would erode and decrease from ₹2220.30 crore to (-) ₹525.05 crore and Deficit/Loss for the year would also increase by ₹2745.35 crore.

Non-provision for this liability has resulted in understatement of Current Liabilities by ₹2745.35 crore and corresponding understatement of Deficit/Loss to the same extent.

The above deficiencies are being pointed out by Audit since 2012-13 but the management has not made adequate provisions.

A.5.2 Current Liabilities - ₹4441.89 crore
Sundry Creditors
Accrued Expenses- ₹191.22 crore

a) The above does not include ₹34.26 crore in respect of Property Tax payable to MCGM.

MCGM claims general charges in lieu of Property tax @₹4.87 crore p.a. (base rateable values of MbPA Properties). However, MbPA is providing liability for Property Tax @₹3.91 crore p.a. only by adjusting their claim in respect of maintenance cost. MCGM claimed (February 2023) Property Tax of ₹48.54 crore upto 31 March 2023, of which MbPA paid (31 March 2023) ₹3.91 crore and provided in the books for ₹10.37 crore upto 31 March 2023.

Thus, short provision of liability towards statutory dues of Property Tax liability by adjusting maintenance cost resulted in understatement of Accrued Expenses and Deficit/Loss by ₹34.26 crore.

Though the above comment has been raised through SAR for the year ended 31 March 2022, the same is yet to be rectified by the Port Management.

b) Advances from Merchants, Contractors and Others - ₹1705.53 crore

This includes ₹1108.29 crore being estate rentals recovered from the lessees/tenants-(Estate Departments Miscellaneous Advance Account) which needs to be finally adjusted against the head of account 'Debtors'. Though a team of three CA firms was engaged in the year 2017 to identify and reconcile the balances, the reconciliation has still not been completed. Further, the contract of CA firms expired in June 2021 and a new firm is being shortlisted.

Hence the accuracy of this head of account could not be ascertained by audit.

The above observation is being raised by audit since 2015-16. Though, the reconciliation process had started long back in the year 2017, the same is yet to be completed.

B. Profit and Loss Account:
Operating Income
Estate Rentals: ₹314.74 crore - Rent from Land: ₹ 269.88 crore

The above do not include ₹17.69 crore being the penalty on account of the Minimum Guarantee throughput (MGT) collected from various parties. The Port had raised (since 2002) a demand of ₹71.58 crore for additional way leave charges for the shortfall in achieving the prescribed MGT on various parties (TPCL, HPCL, CTTL, BPCL and Aegis) from 25 September 1996 to 31 March 2015. The users disputed the penalty billed for various reasons and made representation to the Board and did not pay penalty charges and sought waiver of the MGT clause.

The Port showed the amount recovered of ₹17.69 crore under Miscellaneous Deposits instead of recognising the same as Revenue.

Though the issue has been raised through SAR for the year ended 31 March 2022, no corrective action has been taken and the amount remains unadjusted in the Financial Year 2022-23.

C. Notes to Accounts

CWIP includes an amount of ₹77.38 crore being capital expenditure in respect of Project relating to Dedicated goods line between Wadala and Kurla for freight movement. The project was kept in abeyance since June 2019 and not envisaged to revive in the next 8 to 10 years. The entire cost of the project was incurred on railway land on which the Port neither enjoys any possession/control nor does the Port expect any benefit for another 10 years. Further, the land evaluated or asset created cannot be put to use as originally intended by Management and nor alternative use is concurred by Railways. This significant fact should have been disclosed by way of a note.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Authority through a Management letter issued separately for remedial/ corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of Account.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure-I to this Audit Report give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affair of Mumbai Port Authority as at 31 March 2023; and

b) In so far as it relates to the Profit and Loss Account, of the Loss for the year ended on that date.

(vii) A Review of Accounts showing the summarized financial results of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2023 is given in **Annexure –II.**

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Guljari Lal)
Director General of Audit (Shipping), Mumbai

Place : Mumbai
Date : 19 October 2023

Annexure I

1. Adequacy of internal audit system

The Internal Audit of the Port for the years 2022-23, 2023-24 & 2024-25 was entrusted to M/s SCM Associates, Chartered Accountants. The firm has not submitted Internal Audit Report for the F.Y. 2022-23 so far.

Further, there is no system of submission of Internal Audit Reports along with Action Taken Notes to the Board for their perusal since 2020. This indicates inadequate Management Control.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal control of the Port needs to be improved considering the following: -

A. Bank Reconciliation Statement as on 31st March 2023

Mumbai Port Authority operated 23 bank accounts. Bank Reconciliation statements as on 31 March 2023 of only 14 banks were furnished to audit. Scrutiny of the bank reconciliation of these 14 bank accounts revealed the following deficiencies:

i. The Bank Balance is after deducting ₹2483.691 crore in respect of Cheques which were issued from April 2006 and were more than 3 months old as on 31st march 2023. The same have not been cancelled and written back.

ii. ₹2718.022 crore shown as deposited in the Bank in the books of port since April 2006 but not appearing in the Bank Statement.

iii. ₹1282.654 crore credited by bank but not accounted by MbPA.

iv. ₹1282.973 crore debited by bank but no entries were passed by MbPA.

Further, in the absence of Reconciliation of balance nine Bank Accounts, Audit is not able to form an opinion on the balance shown in the financial statements.

B Cash and Bank Balance (Schedule V)
With Schedule Banks- ₹536.96 crore
Deposits with Banks- ₹165.04 crore

a) The above includes credit balances of ₹43.85 crore (GL No. 23110250) representing the unallocated and unidentified credits relating to revenue collected but not yet allocated to the parties concerned.

Setting off of above credit balances against Cash and bank balances instead of treating it as Current Liability resulted in understatement of 'Advances from merchants, contractors and others' (under Current Liabilities) and consequent understatement of Cash and Bank balances.

This includes ₹33.52 crore in respect of Fixed Deposits on behalf of Merchants, Contractors and Others. MbPA has physical FDRs only for ₹32.39 crore, of which FDRs worth ₹30.63 crore matured during 1985 to 2022 which neither returned back to the parties nor encashed.

3. System of physical verification of Fixed Assets

The Port conducts physical verification of Fixed Assets once in every 5 year Last physical verification was done in the FY 2017-18. The work regarding physical verification of fixed assets has been assigned to M/s. SCM Associates and the same is still in process by the appointed firm.

4. System of physical verification of Inventory

The physical verification of Inventory as on 31 March 2023 was not furnished to Audit. The Port has not adopted any depreciation policy nor done any revaluation of assets in compliance with the guidelines contained in the CFFR for major ports.

The work regarding physical verification of inventory has been assigned to M/s. SCM Associates and the same is still in process by the appointed firm.

5. Statutory Dues

The Port was regular in making payment of undisputed statutory dues.

(Jyotimoy Bailung)
Deputy Director

Place: Mumbai
Date: १९ October 2023

ANNEXURE – II

Review of accounts of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2023 by the Comptroller and Auditor General of India

(The Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)

1. Financial Position

The Financial Position of Mumbai Port Authority under the broad headings for three years ended 31 March 2023 is given below:

(Rs in crore)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
LIABILITIES			
Capital Reserves	1683.68	1592.68	1671.67
Other Reserves	985.98	1088.89	1008.88
Borrowings	193.74	375.86	481.91
Deferred Tax Libilities	0	0	0
Current Liabilities & Provisions	5512.42	5312.05	4545.14
Total	**8375.82**	**8369.48**	**7707.60**
ASSETS			
Net Fixed Assets	1112.77	1032.53	958.04
Works-in-Progress	698.48	871.33	1028.09
Investments	1208.70	1407.08	1430.06
Current Assets and Loans and Advances	4597.31	4268.22	3500.89
Deferred Tax Asset	432.52	432.52	323.73
Other Assets/Misc. Expenditure:			
Sheds handed over to BOT operator	0.00	0.00	0
SVRS Expenditure	0.00	0.00	0
Misc. Expenditure	3.81	6.88	6.54
Accumulated Loss	322.23	350.92	460.25
Total	**8375.82**	**8369.48**	**7707.60**
Working Capital *	-915.11	-1043.83	-1044.25
Net Worth **	2347.43	2330.65	2220.30
Capital Employed ***	197.66	-11.30	-86.21
Net Surplus (before appropriation)	152.12	49.67	-82.55
Return on Capital Employed **** (percentage)	76.96	-439.56	-
Capital Employed (including Work -in-Progress)	896.14	860.03	941.88
Return on Capital Employed (including Work -in- Progress)	16.98	5.78	-8.76

*Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities;
**Net worth represents Capital Reserves and other reserves plus surplus/loss;
***Capital Employed represents Net Fixed Assets plus Working Capital;
****Return on Capital Employed represents percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed.

2. Working Results

The working results of the Mumbai Port Authority for the last three years ending 31 March 2023 are summarized below:

(Rs in crore)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Revenue			
Operating Income	1705.96	1896.96	2121.16
Non operating income	24.23	82.41	173.84
Total	**1730.19**	**1979.37**	**2295.00**
Expenditure			
Operating expenditure	1122.09	1110.57	1087.8
Non operating expenditure	511.08	926.57	1219.7
Total	**1633.17**	**2037.14**	**2307.50**
Extra ordinary items	0	0	0
Prior period charges	0	0	0
Net surplus/(deficit) before tax	**97.02**	**-57.77**	**-12.50**
Less: Provision for Tax or Add tax writte back	0	41.00	0
Add/Less: Deferred tax liability/ assets	0	0	-108.79
Add: Withdrawn from Welfare Fund and	55.10	66.44	38.74
Net surplus/ (deficit) before appropriation	**152.12**	**49.67**	**-82.55**
Less: Mandatory Appropriations, Transfers to	57.08	78.36	68.59
Surplus/Deficit transferred to General Reserve	95.03	-28.69	-151.14
Percentage of net surplus/deficit to			
(i) Operating Income	8.92	2.62	-3.89
(ii) Net Fixed Assets	13.67	4.81	-8.62
(iii) Net Worth	6.48	2.13	-3.72

3. Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)

Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Mumbai Port Authority are shown below:

	Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
a	Percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	83.40	80.35	77.02
b	Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	103.85	99.32	58.00
c	Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	202.64	174.57	92.73
d	Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	11.23	23.00	28.83
e	**Percentage of profit before tax to:**			
	a) Net Worth	4.13	-2.48	-0.56
	b) Capital Employed	49.08	511.24	14.50
	c) Operating Income	5.69	-3.05	-0.59

(Jyotimoy Bailung)
Deputy Director

Place: Mumbai
Date: 19 October 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखों पर की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां।

क्रमांक संख्या	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
ए.	**तुलन पत्र** **निधियों का स्रोत**	
ए.1	**आरक्षित तथा अधिशेष (अनुसूची-I)** **सांविधिक आरक्षित निधि-₹862.70 करोड़** **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु (सीएसआर)निधि:-₹10.94 करोड़**	
	उक्त में सीएसआर देयता के प्रति ₹3.44 करोड़ (सीएसआर देयता: ₹2.86 करोड़ और सीएसआर निधि निवेश पर ब्याज: ₹0.58 करोड़) शामिल नहीं हैं, जिसे टाटा मेमोरियल अस्पताल से प्राप्य ₹27.60 करोड़ के कल्पित लाभ के प्रति पहले ही समायोजित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सीएसआर हेतु देयताओं की निधि को कम बताया गया तथा परिसंपत्तियों (विविध देनदार) को ₹3.44 करोड़ कम बताया गया है।	सुधार हेतु आवश्यक जर्नल प्रविष्टि को वित्तीय वर्ष 2023-24 में दस्तावेज़ संख्या 2900001009 के तहत पारित किया गया है।
ए.2	**से लिए गए अग्रिम:** **पोतघाट के पुनर्निर्माण हेतु एमएमआरडीए से प्राप्त अग्रिम राशि- ₹64 करोड़**	
	मुं.प.प्रा. ने द्वीप शहर मुंबई को बंदरगाह के आर-पार की मुख्य भूमि के साथ जोड़ने के लिए मुंबई ट्रान्स हारबर लिंक (एमटीएचएल) के निर्माण के लिए 30 वर्षों की अवधि हेतु मुंबई मेट्रो रिजन डेवलपमेंट ऑथारिटी (एमएमआरडीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर (मई 2016 में) हस्ताक्षर किए। धारा 5 के अनुसार एमएमआरडीए पुरानी पीरपाव जेट्टी/पोतघाट को बंद करने के एवज में द्वितिय रसायन पोतघाट की निर्माण लागत के 50% हिस्से के प्रति ₹64 करोड़ के भुगतान द्वारा मुंपप्रा को क्षतिपूर्ति करेगा। मुं.प.प्रा. ने पुरानी पीरपाऊ जेट्टी/ पोतघाट को बंद कर दिया तथा दूसरे रसायन पोतघाट का निर्माण/ प्रचालनारंभ करके (अप्रैल 2015) ₹64.00 करोड़ की क्षतिपूर्ति (जुलाई 2019) प्राप्त की। तथापि उसको द्वितिय रसायन पोतघाट के प्रचालनारंभ की लागत के प्रति समायोजित करने के बजाय मुंपप्रा ने देयताओंके अंतर्गत ₹64 करोड़ को लेखा में दिखाया। परिसंपत्तियों के मूल्य के प्रति पूंजीगत लागत की प्रतिपूर्ति का असमायोजन के कारण देयताओं (लिए गए अग्रिम) तथा अचल परिसंपत्तियों (द्वितीय रासायनिक पोतघाट) को ₹64 करोड़ बढाकर बताया गया और संचित मूल्यह्रास और घाटा/हानि को भी ₹19.64 करोड़ से बढाकर बताया गया।	सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि (संख्या 2900002056) पारित की गयी है।
ए.3	**निधियों की प्रयोज्यता** **प्रगतिपथ पर पूंजीगत निर्माण कार्य-₹1028.09 करोड़**	
	परियोजनाओं का विस्तृत विवरण, प्रारंभ तिथि, उनकी भौतिक प्रगति आदि जो प्रगतिपथ पर पूंजीगत निर्माण कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में शामिल किए जाते है उनकी अनुपलब्धता के कारण लेखा परीक्षा सीडब्ल्यूआईपी के तहत लेखा में दर्ज की जानेवाली राशि की यथार्थता के बारे में राय नहीं बना सकी।	प्रगतिपथ पर पूंजीगत निर्माण कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के लिए तीन जीएलसी हैं यानी जीएलसी संख्या 21200000, 21200001 और 21200002। ईबीएस के आगमन के साथ, सीडब्ल्यूआईपी एक्सेल प्रारूप में उपलब्ध नहीं है। हम इसे उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी टीम से परामर्श कर रहे हैं। जैसे ही यह उपलब्ध होगा इसे लेखा परीक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। इस कार्यालय के पत्र संख्या एफए/ए/आरएओ/वार्षिक लेखा 22-23 / ई-19737 /2105 दिनांक 31.07.2023 द्वारा

क्रमांक संख्या	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
		लेखापरीक्षा को यह पहले ही सूचित किया जा चुका है। हालाँकि, ऑडिट के दौरान ऑडिट टीम को बही-खातें उपलब्ध कराये गए, जिसके माध्यम से राशि की सत्यता की पुष्टि की जा सकती है।
ए.4	**चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम :**	
ए.4.1	**वस्तुसूचियां-रु. 6.46 करोड़- लेखा पद्धति नीति नं. 4 के साथ पठित**	
	लेखो में प्रकट की गयी महत्वपूर्ण लेखा पद्धति नीति के अनुसार (मद सं.4) वस्तुसूची पर कोई भी मूल्यह्रास तथा कोई भी पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है और बहीयोमें वस्तु सूची लागत पर ली जाती है| यह नीति वित्तिय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (सीएफएफआर) से भिन्न है जिसमें यह अनुबद्ध किया गया है कि वस्तुसूचियों का निम्नतर भारित औसत लागत अथवा निवल नकदीकरण मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए| इस प्रकार लेखा परीक्षा वस्तुसूचियों के मूल्य की यथार्थता (रु.6.46 करोड़) तथा लाभ और हानि खाते में दिखाए गए लाभ पर परिणामी प्रभाव के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ है| वर्ष 2017-18 से इसी प्रकार का अवलोकन लेखा परीक्षा द्वारा उठाया जा रहा है| तथापि, मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा अभी तक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है|	यहाँ यह कहा जाता है की , मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वस्तुसूची मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा सामान्य व्यापार के दौरान न हीं बिक्री के लिए रखी जाती है जाती है, न हीं उत्पादन की बिक्री की प्रक्रिया में निवेश स्वरूप उपयोग की जाती है। भंडार सामान्यतः यह अपने खपत के लिए रखे गए कलपुर्जे या अन्य चल सामग्री होता है. वस्तुसूची में विभिन्न राजस्व / स्टॉक वस्तुएं, नॉन स्टॉक वस्तुएं आदि शामिल हैं| अतः मुंबई पत्तन प्राधिकरण की खरीद को वस्तु सूचियों के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है| 2. आगे, निवल नकदीकरण मूल्य का प्राक्कलन, प्राक्कलन के समय उपलब्ध सर्वाधिक विश्वस्त प्रमाण पर आधारित होता है, जो संभव नहीं है| वस्तुसूचियों के कोई मूल्यह्रास की सिफारिश नहीं की गई है, क्योंकि यह गैर पूंजीगत वस्तुएं है|
ए.4.2	**विविध देनदार-रु.1966.93 करोड़ (अनुसूची-IV)**	
	ए.) विविध देनदारों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (सीएफएफआर) को पोर्ट द्वारा कुछ हद तक पालन नहीं किया गया है, जो निम्नवत है: (i) अशुद्ध तथा संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान करने संबंधी लेखा पद्धति नीति नहीं बनाई गई है तथा उसका खुलासा नहीं किया है, इस प्रकार लेखा परीक्षा द्वारा संदेहास्पद ऋणों के रूप में प्रदान की गई राशि(रु.20.26 करोड) की पर्याप्तता अथवा अन्यथा पर टिप्पणी करने में असमर्थ है| (ii) 'शोध्य समझे गए तथा पूर्णत: सुरक्षित ऋण','शोध्य समझे गए परंतु असुरक्षित ऋण' तथा 'संदेहास्पद अथवा अशोध्य समझे गए ऋण' जैसे विविध देनदारों को विभाजित कर ब्यौरा नहीं दर्शाया गया है|	इस संबंध में, यह कहा जाता है कि, भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) सभी पत्तनों पर लागू एक नया सीएफएफआर का ढांचा विकसित करने में सक्रिय है। यह नया सीएफएफआर संदेहास्पद अथवा अशोध्य समझे गए ऋणों के प्रावधान सहित विभिन्न वित्तीय पहलुओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश और नीतियां प्रदान करेगा। 2. अभी तक नया सीएफएफआर जारी नहीं किया गया है, जिससे संदेहास्पद अथवा अशोध्य समझे गए ऋणों के लिए एक विशिष्ट नीति को अंतिम रूप देने की हमारी क्षमता में बाधा उत्पन्न हो रही है। नये सीएफएफआर के जारी होते ही संदेहास्पद अथवा अशोध्य ऋणों के प्रावधान के लिए आवश्यक नीति का कार्यान्वयन तैयार किया जाएगा। 3. तब तक, पोर्ट पोत परिवहन मंत्रालय की पत्र संख्या पीजी-20021/2/98-पीजी दिनांक 06/11/2002 में दिए गए निर्देशों का पालन कर रहा है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, देनदारों को संदेहास्पद ऋण नहीं माना जा सकता है। इसलिए, जैसा कि लेखा परीक्षा में कहा गया है, विविध देनदारों का विभाजन मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं होगा।
	बी) संपदा किराए – संपदा विभाग से प्रस्तुत संपदा किरायों के बिल (आईईएफएमएस से उत्पन्न) की बकाया स्थिति दिनांक 31 मार्च 2023 को रु.2658.40 करोड़ का बकाया राशि दर्शाती है| तथापि वार्षिक लेखों में विविध	मेल-मिलाप प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए एक सीए फर्म को नियुक्त किया जा रहा है।

<table>
<tr><th>क्रमांक संख्या</th><th>पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट</th><th>की गई कार्रवाई की टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td></td><td>देनदारों के अधीन संपदा विभाग के संबंध में राशि रु.2560.58 करोड़ चित्रित की गयी है, जिससे रु.97.82 करोड का फर्क पडता है|
संपदा विभाग के विविध देनदारों के आँकडों तथा वार्षिक लेखोंमें मेल-मिलाप के अभाव में लेखा परीक्षा विविध देनदारों के अधीन लेखा बही में दर्ज आंकडों की यथार्थता के बारे में राय बनाने में असमर्थ है|</td><td></td></tr>
<tr><td>ए.4.3</td><td>ऋण और अग्रिम
नकद या वस्तु के रूप में अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम: ₹918.22 करोड़</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>उक्त में बृहन्मुंबई मनपा से अप्रैल 2006 से पहले संपत्ति कर पर दावा की गई छूट के संबंध में ₹14.57 करोड़ शामिल हैं। चूंकि इस दावे को 15 वर्षों से अधिक तक बृमुंमनपा द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, उसकी वसूली के संबंध में अनिश्चितता को मान्यता देने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था।
संपत्ति कर पर दावा की गई छूट का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप प्राप्तियों को बढाकर बताया गया तथा घाटा/हानि को ₹14.57 करोड़ कम बताया गया।</td><td>यह कहा जाता है कि, बृ.मुं.म.न.पा. से दावा की जा रही छूट मुं.प.प्रा. का राजस्व नहीं है। यह बृ.मुं.म.न.पा. द्वारा दावा किये गये कर में मात्र कमी है। एएस 9 इस मामले में लागू नहीं है|

2. इसके अलावा, मुं.प.प्रा. सक्रिय रूप से इस मुद्दे पर ध्यान देने और बृ.मुं.म.न.पा. के उच्च अधिकारियों के सहयोग से इसे हल करने में सक्रिय है। बृ.मुं.म.न.पा. अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान, यह आश्वासन दिया गया कि वे देनदारी/प्राप्य राशि को फिर से तैयार करने में पोर्ट की सहायता करेंगे। बृ.मुं.म.न.पा. को देय और उससे वसूली योग्य बकाया राशि के समाधान के बाद मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>ए.5.1</td><td>चालू देयताएं तथा प्रावधान- रु.4545.15 करोड़</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>सीएफएफआर के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति के लाभों की देयता का वित्त पोषण एक न्यास के सृजन के माध्यम से किया जाता है, तब वर्ष के दौरान लागत का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाएगा| मुं.प.प्रा. ने पेंशन निधि, उपदान निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है जैसे कि नीचे दिया गया है:
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>निधि का नाम</th><th>बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2023 को प्रदान की जाने वाली देयता</th><th>दि.31 मार्च 2023 के अनुसार शेष राशि</th><th>कमी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>पेंशन निधि</td><td>11410.42</td><td>9354.82</td><td>2055.60</td></tr>
<tr><td>उपदान निधि</td><td>481.56</td><td>21.80</td><td>459.76</td></tr>
<tr><td>अवकाश नकदीकरण निधि</td><td>230.28</td><td>0.29</td><td>229.99</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>12122.26</td><td>9376.91</td><td>2745.35</td></tr>
</table>
₹2745.35 करोड़ की राशि का उक्त कम प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 के हेतु मुंपप्रा के घाटे/हानि (₹151.14 करोड़) के 1816</td><td>इस संबंध में, निधि-वार उत्तर, क्रमश: नीचे दिया गया है:

(i) पेंशन फंड-
इस मामले मैं ऐसा कहा जाता है कि, 2021-2022 को समाप्त वर्ष तक निधि में कमी ₹5108.99 करोड़ थी। हालाँकि, इस विषय में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, और 2022-2023 को समाप्त वर्ष के लिए, कमी काफी कम होकर ₹2725.70 करोड़ हो गई है। यह सकारात्मक रुझान बताता है कि कमी बहुत तेजी से कम हो रही है, धनराशि को पूरी तरह से भरने में शुरुआती अनुमानित पांच साल से भी कम समय लग सकता है। अनुमान है कि दो साल के भीतर कमी पूरी हो जायेगी।

(ii) इस मामले का तुरंत समाधान करना पोर्ट प्रबंधन की अटूट प्रतिबद्धता है। इस प्रतिबद्धता को 04/05/2023 को बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके प्रदर्शित किया गया, जो कमी को जल्द से जल्द पूरा करने के महत्व पर जोर देता है।

(iii) पोर्ट की प्रतिबद्धता को और अधिक समर्थन देने के लिए, बहि-खातों में ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कमी को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए पोर्ट के समर्पण को दर्शाता है। साथ ही, अक्टूबर 2023 तक ₹600 करोड़ का</td></tr>
</table>

क्रमांक संख्या	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
	प्रतिशत के समान है। यदि खातों में पूर्ण प्रावधान किया जाता है, तो मुंपप्रा का शुद्ध मूल्य घट जाएगा तथा वह ₹2220.30 करोड़ से घटकर (-) ₹525.05 करोड़ हो जाएगा और वर्ष के लिए घाटा/हानि भी ₹2745.35 करोड़ बढ़ जाएगी। देयताओं के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं को रु.2745.35 करोड़ कम बताया गया तथा तदनुरूप घाटा/हानि को कुछ हद तक कम बताया गया है| यद्यपि वर्ष 2012-13 से उक्त कमियों को लेखा परीक्षा में दर्शाया जा रहा है| तथापि प्रबंधन ने कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं कीए है|	योगदान पेंशन निधि में और ₹88 करोड़ का योगदान उपदान निधि में बनाया गया है। 2. उपदान निधि - (i)चूँकि 31.03.2023 को उपदान निधि का निवेश ₹94.42 करोड़ है, कमी को सही ढंग से ₹387.14 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है। मुंपप्रा ने आज तक अपने कर्मचारियों की उपदान निधि के प्रति अपनी सभी देनदारियों का विधिवत भुगतान किया है। उपदान निधि के अनुमान और निवेश के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश की जा रही है| 3. अवकाश नकदीकरण निधि- कृपया ध्यान दें कि, अवकाश नकदीकरण निधि का शेष शून्य है। ₹0.29 करोड़ का मामूली निवेश शेष में बना हुआ है। चूंकि अवकाश नकदीकरण निधि का निवेश ₹0.29 करोड़ है, 31.03.2023 को, कमी को ₹229.99 करोड़ के रूप में सही ढंग से दर्शाया गया है|
ए.5.2	**चालू देयताएँ – रु4441.89 करोड़** **विविध लेनदार** **उपार्जित व्यय रु.191.22 करोड़**	
	ए) उपरोक्त में बृ.मुं.म.न.पा. के संबंध में देय रु34.26 करोड़ के संपत्ति कर का समावेश नहीं है. संपत्ति कर के बदले में रु.4.87 करोड़ प्रति वर्ष की दर से (मुं.प.प्रा. की संपत्ति के कर योग्य मूल्यों पर आधारित) बृ.मुं.म.न.पा. सामान्य प्रभारों का दावा करती है| तथापि मुं.प.प्रा. संपत्ति कर रु.3.91करोड़ प्रतिवर्ष मात्र की दर से अनुरक्षण लागत के संबंध में उनके दावे को समायोजित कर संपत्ति कर हेतु देयता का प्रावधान कर रहा है| बृ.मुं.म.न.पा. ने 31 मार्च 2023 तक ₹48.54 करोड़ के संपत्ति कर का दावा किया (फरवरी 2023), जिसमें से मुं.प.प्रा. ने (31 मार्च 2023) 3.91 करोड़ का भुगतान किया और 31 मार्च 2023 तक ₹10.37 करोड़ का प्रावधान किया। अत: अनुरक्षण लागत को समायोजित कर के संपत्ति कर की देयता के सांविधिक बकाया देयों के प्रति देयता को कम प्रावधान करने के परिणाम स्वरुप उपार्जित व्ययों तथा घाटा/हानि को रु.34.26 करोड कम बताया गया| यद्यपि उक्त टिप्पणी को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए उठाया गया है, अभी तक पोर्ट प्रबंधन ने उसमें कोई सुधारात्मक कार्रवाई नही की है|	लेखा परीक्षा के सुझाव के जवाब में, पत्तन प्रशासन ने तुरंत इस मुद्दे के समाधान के लिए बृ.मुं.म.न.पा. (एमसीजीएम) के अधिकारियों के साथ चर्चा शुरू की। अनुपालन की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, पत्तन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं: 1. ₹3.91 करोड़ का भुगतान: वित्तीय वर्ष 2022-23 में, पत्तन ने दस्तावेज़ संख्या 2200008471 के माध्यम से बृ.मुं.म.पा. को ₹3.91 करोड़ का भुगतान किया। 2. ₹2.48 करोड़ का प्रावधान: इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, दस्तावेज़ संख्या 2900019231 के माध्यम से संपत्ति कर देयता के लिए ₹2.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बृ.मुं.म.न.पा. अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान, यह आश्वासन दिया गया कि वे देनदारी को फिर से तैयार करने में पत्तन की सहायता करेंगे। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, पत्तन केवल उस राशि के लिए प्रावधान करेगा जो वैध रूप से देय है, न कि एमसीजीएम द्वारा मांगी गई राशि के लिए। हमारे आकलन के अनुसार, पत्तन की देनदारी ₹42 करोड़ की पूरी राशि नहीं है, जैसा कि एमसीजीएम ने दावा किया है। पत्तन संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए देनदारियों का सटीक और उचित प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पोर्ट प्रबंधन किसी भी विसंगति को हल करने के लिए एमसीजीएम के

क्रमांक संख्या	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
		साथ मिलकर काम करेगा और प्रावधान की जाने वाली वास्तविक देयता राशि का पता लगाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित वैध और सत्यापित राशि के लिए ही प्रावधान किए जाएं।
	बी) व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से अग्रिम - ₹1705.53 करोड़ इसमें पट्टेदारों/किरायेदारों से वसूले गये ₹1108.29 करोड़ का संपदा किराया शामिल है - (संपदा विभाग फुटकर अग्रिम खाता) जिसे 'देनदार' खाता शीर्षक के सामने अंतिम रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है। यद्यपि वर्ष 2017 में तीन सीए फर्मों की टीम को शेष राशियों की पहचान तथा मेल मिलाप के लिए रखा गया है, अब तक मेल मिलाप का कार्य पूरा नहीं हो सका है| आगे, सीए फर्मों की संविदा जून 2021 को समाप्त हो चुकी है| तथा एक नये फर्म को लघुसुचीबद्ध किया जा रहा है। अत: लेखा के इस शीर्ष की यथार्थता लेखा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है| उक्त अवलोकन लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2015-16 से उठाया जाता रहा है| जबकि मेल-मिलाप की प्रक्रिया काफी पहले, वर्ष 2017 से शुरू हो चुकी है, उसे पूरा होना अभी बाकी है|	इस संबंध में बताया जाता है कि, ऐसे मामले जहां आईईएमएस में क्रेडिट नोट्स का समायोजन किया जाता है, उनमें से कुल संख्या 694 मामले हैं, जिसके कारण विविध देनदारों से ₹98.41 करोड़ वापस ले लिए गए हैं और फुटकर अग्रिम खाते से राजस्व खाते में समायोजित राशि ₹19.15 करोड़ है। इसके अलावा, संपदा विभाग ने वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान ₹122.59 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान ₹13.98 करोड़ का समायोजन किया है। तीन सीए फर्मों का करार 07.06.2021 को समाप्त हो गया है। इस कार्य के लिए उपयुक्त नये सीए फर्म का चयन करने के लिए मई 2023 में एक निविदा जारी की गई है। सीए फर्म की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है| सीए फर्म नियुक्त हो जाने के बाद, वे सुलह प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हमारी आंतरिक टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे, विशेष रूप से संपदा किरायें और विविध देनदारों के बीच समायोजन पर ध्यान देंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वसूल की गई रकम का हिसाब-किताब उचित तरीके से किया गया है और किसी भी विसंगति को आवश्यक वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुसार ठीक किया गया है। पोर्ट, विशेष रूप से इस विषय में संपत्ति किराये जैसी महत्वपूर्ण राशियों के संबंध में सटीक समायोजन और समाधान सुनिश्चित करने के महत्व को समझता है। निश्चिंत रहें, हम इस मामले को तुरंत और आवश्यक वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुपालन में हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बी.	**लाभ - हानि खाता:** **परिचालन आय** **संपदा किरायें: 314.74 करोड़ – भूमि से किराया: 269.88 करोड़**	
	उपरोक्त में रु.17.69 करोड़ का समावेश नहीं है, जो विभिन्न पार्टियों से न्यूनतम गारंटी थ्रूपूट(एमजीटी) के कारण दंड के रूप में वसूले गए| पोर्ट ने (वर्ष 2002 से) अतिरिक्त मार्गाधिकार प्रभारों की निर्धारित एमजीटी में कमी को हासिल करने के लिए विभिन्न पार्टियों से (टीपीसीएल, एचपीसीएल, सीटीटीएल बीपीसीएल तथा एजिस) 25 सितंबर 1996 से 31मार्च 2015 तक रु.71.58 करोड़ की मांग उठाई थी| बिल किये गए दंड पर उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कारणों से विवाद खड़ा किया गया तथा बोर्ड को प्रतिवेदन किया गया तथा दंड प्रभारों को नहीं अदा किया तथा एमजीटी उपनियम से छूट की मांग की गई| पोर्ट ने वसूली गई रु.17.69 करोड़ की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देने के बजाए फुटकर जमा में दिखाया है| यद्यपि इस मामले को 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए उठाया गया है, सुधारात्मक कार्रवाई	इस संबंध में बताया जाता है कि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि (संख्या 2900001943) पारित कर दी गयी है।

क्रमांक संख्या	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
	नहीं की गई तथा राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में असमायोजित होकर पडी है|	
सी.	**लेखों पर टिप्पणियां**	
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में वडाला से कुर्ला के बीच मालभाडा संचलन हेतु एक समर्पित मालगाड़ी लाइन से संबंधित परियोजना पर पूंजीगत व्यय के रु.77.38 करोड़ की राशि का समावेश है| परियोजना जून 2019 को स्थगित रखी गई तथा अगले 8 से 10 वर्षों तक दोबारा प्रचलित करने की संभावना नहीं रखी गई थी| परियोजना की संपूर्ण लागत रेलवे की भूमि पर वहन की गई थी जिस पर पोर्ट का न कोई कब्जा/नियंत्रण है न हीं पोर्ट अगले और 10 वर्षों तक कोई लाभ की अपेक्षा करता है| आगे, खाली की गई भूमि अथवा सृजित परिसंपत्ति को प्रबंधन के मूल रूप से ईरादे के अनुसार न हीं उपयोग किया जा सकता है न हीं किसी वैकल्पिक उपयोग की रेलवे ने सहमति जताई है| इस महत्वपूर्ण तत्व को एक नोट द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए था।	पोर्ट स्वीकार करता है कि रुकी हुई परियोजना और संबंधित व्यय के विवरण सहित विषय वस्तु का उचित खुलासा लेखों पर टिप्पणियों में किया जाना चाहिए। भूलवश ऐसा किया जाना बाकी रह गया। अब इसे, वार्षिक लेखों की अंतिम प्रति में शामिल किया गया है, जो की गई कार्रवाई की टिप्पणियों के साथ है और मंत्रालय को भेजी जाएगी।
डी.	**प्रबंधन पत्र**	
	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जो कमियां समाविष्ट नहीं की गई है, वह अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकरण को सूचित कर दी गई है v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में संबंधित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है| vi) हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा पद्धति नीतियों और लेखों की टिप्पणियों के साथ पठित कथित वित्तीय ब्यौरे और ऊपर उल्लिखित कुछ विशिष्ट मामलों तथा अनुलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में साधारण तया स्वीकृत की गई लेखा पद्धति के अनुसार सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं| ए) जहां तक तुलन पत्र से इसका संबंध है दि.31 मार्च 2023 की मुंबई पत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप की स्थिति है; और बी) जहां तक लाभ और हानि लेखा का इससे संबंध है, यह उस तिथि को समाप्त वर्ष की हानि है| vii) 31 मार्च 2023 को समाप्त 3 वर्षों के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण का सारांशित वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली लेखों की समीक्षा अनुलग्नक-II में दी गई है|	-------
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से हस्ता./- (गुलजारी लाल) महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई स्थान: मुंबई दिनांक :19 अक्टूबर 2023	हस्ता./- (श्रीमती माधुरी अ. वराडे) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी मुंबई पत्तन प्राधिकरण स्थान: मुंबई दिनांक: _____ नवंबर 2023

अनुलग्नक –I

क्रमांक संख्या	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**	
	पोर्ट की आंतरिक लेखा परीक्षा मे. एससीएम एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए सौंपी गई थी. इस फर्म ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। आगे, यहां आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को की गई कार्रवाई की टिप्पणीओं के साथ बोर्ड के अवलोकन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था 2020 से नहीं है. यह अपर्याप्त प्रबंधन नियंत्रण को दर्शाता है.	मे. एससीएम एसोसिएट्स को एमबीपीए के लिए बाहरी-आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टें टिप्पणियों और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विभागों को भेजी जाती हैं। विभागों से प्राप्त टिप्पणियाँ मे. एससीएम एसोसिएट्स को ए.टी.एन. तैयार करने के लिए भेज दी जाती हैं। की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सालाना टेबल पेपर के रूप में बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**	
	निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए बंदरगाह के आंतरिक नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता है: - ए) यथा दिनांक 31 मार्च 2023 को बैंक का मेल-मिलाप विवरण मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने 23 बैंक खातों का प्रचालन किया । दि. 31 मार्च 2023 को यथास्थिति बैंक केवल 14 बैंकों के मेल-मिलाप विवरण लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे. इन 14 बैंकों के खातों के बैंक मेल-मिलाप की जांच में निम्नलिखित कमियाँ प्रकट हुई. (i) एक बैंक में शेष रु. 2483.691 करोड़ मूल्य के चैकों को घटाकर है, जो अप्रैल 2006 से पत्तन द्वारा जारी किए गए थे, तथा यथा दिनांक 31 मार्च 2023 को तीन महीनों से पुराने थे. (ii) रु. 2718.022 करोड अप्रैल 2006 से पत्तन की बहियों में बैंक में जमा किए गए ऐसे दर्शाए गए परंतु बैंक के विवरण (स्टेटमेंट) में नहीं दिख रहे हैं. (iii) रु. 1282.654 करोड बैंक द्वारा जमा किए गए (क्रेडिट) परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा लेखा में नहीं लिए गए (iv) रु. 1282.973 करोड बैंक द्वारा नामे (डेबिट) लिखे गए परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई भी प्रविष्टियां पास नहीं की गई. आगे, नौ बैंको के खातों के मेल मिलाप न होने के कारण वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई शेष राशि पर लेखा परीक्षा कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ है.	10996685430-एसबीआई मुख्य राजस्व खाता – दि.12.09.2023 तक चालू वर्ष का बुक डेबिट रु.485.06 करोड़ और रु.569.34 करोड़ का बुक क्रेडिट का समाधान कर दिया गया है। इसके अलावा चालू वर्ष के बैंक डेबिट की राशि रु. 20.19 करोड़ और बैंक क्रेडिट की राशि रु. 82.10 करोड़ का मिलान दि.12.09.2023 तक किया गया है। इस मामले में लगभग 55 फीसदी तक मेल-मिलाप का काम पूरा हो चुका है. खाता संख्या 10005255202, 10005255053, 10005255553 अग्रदाय खाते हैं। इन खातों के माध्यम से किए गए खर्चों की लेखापरीक्षा हमारी व्यय लेखापरीक्षा शाखाओं द्वारा की जाती है और स्वीकृत अग्रदाय सीमा के अनुसार खातों की वसूली की जाती है। इनमें से खाता 10005255053 जनवरी 2023 में बंद हो गया हैं। खाता संख्या 10996683421 और 10996685598 के लिए मेल-मिलाप विवरण पहले ही क्रमशः 24.07.2023 और 25.07.2023 को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जा चुके हैं। एसबीआई खाता संख्या. 10996687573 पेंशन फंड ट्रस्ट का बैंक खाता है और इसके लिए मेल-मिलाप विवरण पेंशन फंड ट्रस्ट के लेखा परिक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

		एसबीआई पीसीएस खाता संख्या. 32138880140 का उपयोग पोर्ट उपयोगकर्ताओं से आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एसबीआई पीसीएस खाते में प्राप्त राशि प्रतिदिन एसबीआई मुख्य राजस्व खाते में स्थानांतरित की जाती है। एसबीआई राजस्व खाते के लिए बीआरएस गतिविधि की जाती है। इसलिए, यह महसूस किया गया है कि एसबीआई पीसीएस के लिए मेल-मिलाप विवरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ₹.10,000/- का न्यूनतम शेष बनाए रखने के बाद राशि का हस्तांतरण बैंक स्वचालित है। खाता संख्या 10996687335 05 के लिए मेल-मिलाप विवरण सितंबर 2023 को लेखा परिक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। आईडीबीआई जीईएम पूल खाता संख्या. 0726102000012254 अग्रदाय खाता है। इसका उपयोग जीईएम पोर्टल के माध्यम से होने वाले खर्चों को करने के लिए किया जाता है। जीईएम के माध्यम से किए गए सभी खर्चों की लेखा परिक्षा हमारी व्यय लेखापरीक्षा शाखाओं द्वारा किया जाता है और फिर उसकी भरपाई की जाती है। इस प्रकार यह अनुरोध किया जाता है कि इन अग्रदाय खातों का मेल-मिलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
B	**नकदी एवं बैंक शेष राशियाँ (अनुसूची V)** **शेड्यूल बैंकों में- ₹536.96 करोड़** **बैंकों के पास जमा राशि (डिपोजिट)-₹165.04 करोड़**	
	ए) उपरोक्त में ₹43.85 करोड़ (जीएल नंबर 23110250) की जमा शेष राशि शामिल है, जो संग्रहण किए गए राजस्व के बारेमें परंतु संबंधित पार्टियों को आवंटित न किये गए अनाबंटित तथा अज्ञात क्रेडिटों का प्रतिनिधित्व करती है। उपरोक्त क्रेडिट शेष को चालू देयताओं के रूप में मानने के बजाय नकदी और बैंक शेष के सामने समायोजित करने के परिणामस्वरूप 'व्यापारियों, संविदाकारों तथा अन्य लोगों से प्राप्त अग्रिमों को (चालू देयताओं के तहत) कम बताया गया और इसके परिणामस्वरूप नकदी और बैंक शेष को कम बताया गया। इसमें 'व्यापारियों, संविदाकारों तथा अन्य लोगों की ओर से सावधि जमा के संबंध में ₹33.52 करोड़ शामिल हैं। मुंपप्रा के पास केवल ₹32.39 करोड़ की भौतिक एफडीआरर्स है, जिसमें से ₹30.63 करोड़ मुल्य के एफडीआरर्स 1985 से 2022 के दौरान परिपक्व हुए है, जो पार्टियों को नहीं लौटाए गए और न ही उनका भुगतान प्राप्त किया गया.	इस अंतर को दूर करने के लिए पत्तन सशक्त प्रयास कर रहा है। 1. ₹.33.52 करोड़ की एफडी में से ₹.0.48 करोड़ की राशि गलती से 22130008 को डेबिट हो गई थी, जिसे पहले ही ठीक कर दिया गया है। स्टेटमेंट में दिखाए गए ₹0.65 करोड़ के शेष अंतर का मेल मिलाप किया जा रहा है। 2. पार्टियों को एफडीआर की वापसी, एमबीपीए को पार्टी से मिली प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। जैसे ही पार्टियां इसके लिए मुंबई पोर्ट से संपर्क करेंगी, पार्टियों को एफडीआरर्स की वापसी की जाएगी । हालाँकि, इस कार्य में तेजी लाने के लिए उचित विवरण संबंधित विभागों को भेज दिया गया है।
3.	अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था	
	पोर्ट द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार अचल परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन संचालित किया जाता है. पिछला वस्तुगत सत्यापन वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया गया था. अचल परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन से संबंधित कार्य	वास्तविक

	मे. एससीएम एसोसिएट्स को सौंपा गया है तथा वह नियुक्त फर्म द्वारा अभी तक प्रक्रिया में है।	
4.	वस्तुगत वस्तुसूची की वस्तुगत सत्यापन प्रणाली	
	31 मार्च 2023 को यथास्थिति वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था. पत्तन ने न कोई मूल्यह्रास नीति को अपनाया है न हीं महापत्तनों के लिए सीएफएफआर में समाविष्ट दिशा निर्देशों के अनुपालन में परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन किया है. वस्तुसूची के वस्तुगत सत्यापन से संबंधित कार्य मे. एससीएम एसोसिएट्स को सौंपा गया है तथा वह नियुक्त फर्म द्वारा अभी तक प्रक्रिया में है।	वास्तविक
5.	सांविधिक देय राशियां	
	अविवादित सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने में पोर्ट नियमित रहा है।	वास्तविक
	हस्ता./- (ज्योतिमोय बाइलुंग) उप निदेशक स्थान: मुंबई दिनांक: 19 अक्टूबर 2023	हस्ता./- (श्रीमती माधुरी अ. वराडे) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी मुंबई पत्तन प्राधिकरण स्थान: मुंबई दिनांक: _____ नवंबर 2023

अनुलग्नक –II

31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा मुंबई पत्तन प्राधिकरण के लेखों की पुनरीक्षा

(लेखों का पुनरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मसौदा पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गये अवलोकनों / टिप्पणियों पर विचार किए बगैर तैयार किया गया है.

1.	**वित्तीय स्थिति** दि. 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए तीन वर्षों के लिए मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है.	तथ्यात्मक

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
देयताएं			
पूंजी प्रारक्षित	1683.68	1592.68	1671.67
अन्य प्रारक्षित	985.98	1088.89	1008.88
उधार राशियां	193.74	375.86	481.91
आस्थगित कर देयताएं	0.00	0.00	0.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5512.42	5312.05	4545.14
कुल	8375.82	8369.48	7707.60
परिसंपत्तियां			
निवल अचल परिसंपत्तियां	1112.77	1032.53	958.04
कार्य प्रगति पर	698.48	871.33	1028.09
निवेश	1208.70	1407.08	1430.06
वर्तमान परिसंपत्तियां और ऋण तथा अग्रिम	4597.31	4268.22	3500.89
आस्थगित कर परिसंपत्ति	432.52	432.52	323.73
अन्य परिसंपत्तियां/ विविध व्यय			
बीओटी प्रचालक को सुपुर्द शेड	0.00	0.00	0.00
वि.स्वै.से.नि.यो. व्यय	0.00	0.00	0.00
फुटकर व्यय	3.81	6.88	6.54
संचित हानि	322.23	350.92	460.25
कुल	8375.82	8369.48	7707.60
कार्यशील पूंजी *	-915.11	-1043.83	-1044.25
निवल मूल्यमत्ता**	2766.68	2623.80	2220.30
प्रयुक्त पुंजी***	197.66	-11.30	-86.21
(विनियोजन पूर्व) निवल अधिशेष	152.12	49.67	-82.55
प्रयुक्त पूंजी पर प्रति लाभ **** (प्रतिशत)	76.96	-439.56	--
प्रयुक्त पूंजी (कार्य प्रगति पर सहित)	896.14	860.03	941.88
प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिलाभ (कार्य प्रगति पर सहित)	16.98	5.78	-8.76

*कार्यशील पूंजी चालू परिसंपत्तियों से चालू देयताओं घटाकर दर्शाता है;
**निवल मूल्यवत्ता-- पूंजी प्रारक्षित तथा अन्य प्रारक्षित राशि अधिक अधिशेष/ घाटा दर्शाता है;
***प्रयुक्त पूंजी निवल अचल परिसंपत्तियों अधिक कार्यशील पूंजी दर्शाता है;
****प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिलाभ कुल अधिशेष (विनियोजन से पूर्व) से प्रयुक्त पूंजी का प्रतिशत दर्शाता है.

2	**कार्य परिणाम** दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के कार्य परिणामों का सारांश निम्नानुसार है. (रुपए करोड़ में)	तथ्यात्मक

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व			
प्रचालन आय	1705.96	1896.96	2121.16
गैर प्रचालन आय	24.23	82.41	173.84
कुल	1730.19	1979.37	2295.00
व्यय			
प्रचालन व्यय	1122.09	1110.57	1087.80
गैर प्रचालन व्यय	511.08	926.57	1219.70
कुल	1633.17	2037.14	2307.50
असाधारण मद	0.00	0.00	0.00
पूर्वकालिक प्रभार	0.00	0.00	0.00
कर पूर्व निवल अधिशेष/ घाटा	97.02	-57.77	-12.50
घटाएं : कर के लिए प्रावधान अथवा जोड़े: पुनरांकित कर	0.00	41.00	0.00
जोड़े/ घटाएं : आस्थगित कर देयता/ परिसंपत्तियां	0.00	0.00	-108.79
जोडें: कल्याण निधि तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रारक्षित से आहरित	55.10	66.44	38.74
विनियोजन से पूर्व निवल अधिशेष/ घाटा	152.12	49.67	-82.55
घटाएं: अनिवार्य विनियोजन, प्रारक्षित निधियों, आदि में अंतरण	57.08	78.36	68.59
सामान्य प्रारक्षित में अंतरित अधिशेष/घाटा	95.03	-28.69	-151.14
निवल अधिशेष /घाटे का प्रतिशत			
(i) प्रचालन आय से	8.92	2.62	-3.89
(ii) निवल अचल परिसंपत्तियों से	13.67	4.81	-8.62
(iii) निवल मूल्य से	6.48	2.13	-3.72

3.	**अनुपात विश्लेषण (चलनिधि तथा ऋण शोधन क्षमता)** मुंबई पत्तन प्राधिकरण की चलनिधि तथा ऋण शोधन क्षमता के एवं वित्तीय क्षमता के कुछ महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार दिखाए गए हैं:	तथ्यात्मक

	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
ए	चालू देयताओं से चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों सहित)	83.40	80.35	77.02
बी	चालू देयताओं से शीघ्र विक्रेय परिसंपत्तियों का प्रतिशत	103.85	99.32	58.00
सी	प्रचालन आय से विविध देनदारों का प्रतिशत	202.64	174.57	92.73
डी	पूंजी प्रारक्षित और सामान्य प्रारक्षिक से ऋण का प्रतिशत	11.23	23.00	28.83
ई	कर पूर्व लाभ का प्रतिशत			
	ए) निवल मूल्य से	3.51	-2.20	-0.56
	बी)प्रयुक्त पूंजी से	49.08	511.24	14.50
	सी)परिचालन आय से	5.69	-3.05	-0.59

	हस्ता./- (ज्योतिमोय बाइलुंग) उप निदेशक स्थान: मुंबई दिनांक: 19 अक्टूबर 2023	हस्ता./- (श्रीमती माधुरी अ. वराडे) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी मुंबई पत्तन प्राधिकरण स्थान: मुंबई दिनांक: ____नवंबर 2023

Action Taken Notes on the comments on Accounts raised in Separate Audit Report of Mumbai Port Authority for the year ended 31.03.2023.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
A.	**Balance Sheet** **Sources of Funds**	
A.1	**Reserves and Surplus (Schedule I)** **Statutory Reserves- ₹862.70 crore** **Fund for Corporate Social Responsibility (CSR):- ₹10.94 crore**	
	The above do not include ₹3.44 crore towards CSR liability (CSR liability: ₹2.86 crore and interest on CSR fund investment: ₹0.58 crore) which was already adjusted against notional profit of ₹27.60 crore receivable from Tata Memorial Hospital. This has resulted in understatement of Liabilities Fund for CSR and understatement of Assets (Sundry Debtors) by ₹3.44 crore.	Necessary JE has been passed vide Document No. 2900001009 in the F. Y. 2023-24 for rectification.
A.2	**Advances from:** **Advance amount received from MMRDA for reconstruction of Berth- ₹64 crore**	
	MbPA entered (May 2016) into an MoU with Mumbai Metro Region Development Authority (MMRDA) for construction of Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) for linking the island city of Mumbai with the main land across the harbour for the period of 30 years. As per Clause 5 MMRDA shall compensate MbPA by paying ₹64 crore towards 50% share of construction cost of Second Chemical Berth in lieu of decommissioning of Old Pirpau Jetty/ Berth. MbPA decommissioned Old Pirpau Jetty/ Berth and constructed/commissioned (April 2015) SCB and received (July 2019) compensation of ₹64.00 crore. However, MbPA accounted ₹64 crore under Liabilities instead of adjusting the same against Commissioning cost of SCB. Non-adjustment of reimbursement of capital cost against asset value resulted in overstatement of Liabilities (Advances from) and Fixed Assets (Second Chemical Berth) by ₹64 crore and also overstatement of Accumulated Depreciation and Deficit/Loss by ₹19.64 crore.	The necessary J/E (No.2900002056) has been passed in the F. Y. 2023-24 for rectification.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
A.3	**Application of Funds** **Capital Works in Progress-₹1028.09 crore**	
	In the absence of details of projects, date of commencement, its physical progress etc. which are included in the Capital Work in Progress (CWIP), audit could not form an opinion on the correctness of the amount accounted under CWIP**.**	There are three GLCs for Capital WIP i.e. GLC Nos. 21200000, 21200001 and 21200002. With the advent of EBS, CWIP is not available in excel format. We are consulting the technical team to make it available. As soon as the same is available it will be forwarded to the Audit. This has already been informed the Audit by this office letter number FA/A/RAO /Annual Accounts 22-23/E-19737/2105 dated 31.07.2023. However, the ledgers were made available to the Audit team during the Audit, through which, the correctness of amount can be verified.
A.4	**Current Assets, Loans and Advances**	
A.4.1	**Inventories - ₹6.46 crore read with Accounting Policy No. 4**	
	As per the Significant Accounting Policy disclosed in the Accounts (item no. 4), no depreciation and no revaluation is done on inventory and the inventory is taken at cost in the books. The policy is in variance with Common Framework for Financial Reporting (CFFR), which stipulates that inventories should be valued at lower of weighted average cost or net realizable value. As such, Audit is unable to comment on the correctness of value of Inventories (₹6.46 crore) and consequent impact on the profit shown in the Profit and Loss Account. Similar observation is being raised by Audit since 2017-18. However, corrective action is yet to be taken by Mumbai Port Authority.	This is to state here that, Inventory of MbPA is neither held by MbPA for sale in ordinary course of business nor used in as input in process of production for sale. The stores are generally spare parts or other running material meant for own consumption. This includes varied items of revenue / stock items, non-stock items etc. Therefore, procurement of MbPA cannot be termed as inventories. 2. Further, estimate of net realizable value is based on most reliable evidence available at the time of estimate which is not possible. No depreciation for inventories are recommended as this being non capital items.
A.4.2	**Sundry Debtors- ₹1966.93 crore (schedule IV)**	
	a) In respect of Sundry Debtors, the Common Framework for Financial Reporting has not been complied with by the Port, to the extent given below: (i) The accounting policy regarding provisions for bad and doubtful debts has not been framed and disclosed. As such, Audit is unable to comment on the adequacy or otherwise of the amount provided (₹20.26 crore) as doubtful debts. (ii) The split up details of Sundry Debtors such as 'Debt considered good and fully secured', 'Debts considered good but not	In this regard, it is stated that, the Indian Ports Association (IPA) has been actively engaged in developing a new CFFR framework applicable to all ports. This new CFFR will provide comprehensive guidelines and policies for various financial aspects, including provisioning for bad and doubtful debts. 2. As of now, the new CFFR has not been issued, which has hindered our ability to finalize a specific policy for bad and doubtful debts. The implementation of the necessary policy for provisioning for bad

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	secured' and 'Debts considered doubtful or bad' have not been depicted.	and doubtful debts will be framed as soon as the new CFFR is issued. 3. Till then, the Port is adhering the instructions given in the MOS letter No. PG-20021/2/98-PG dated 06/11/2002. According to these guidelines, the debtors cannot be treated as bad debt. Hence, the split up of Sundry Debtors as stated by the Audit will not be in line with the Ministry's directives.
	b) Estate Rentals - The outstanding position of the Estate Rentals invoices from the Estate Department (generated through IFMS) showed an outstanding balance of ₹2658.40 crore as on 31 March 2023. However, the Sundry Debtors as per the Annual Accounts depicted an amount of ₹2560.58 crore in respect of Estate Department leading to a difference of ₹97.82 crore. In absence of reconciliation of Sundry Debtors figures of Estate Department and Annual Accounts, Audit is not able to form an opinion on the correctness of the figures booked under Sundry Debtors.	A CA firm has been appointed to complete the reconciliation process.
A.4.3	**Loans and Advances** **Advances recoverable in cash or in kind or the value to be received: ₹918.22 crore**	
	The above includes ₹14.57 crore in respect of rebate claimed on Property Tax from MCGM before April 2006. As the claim has not been accepted by MCGM for more than 15 years, provision should have been created to recognise the uncertainty regarding recovery of the same. Non-provision of rebate claimed on Property Tax resulted in overstatement of Receivables and understatement of Deficit/Loss by ₹14.57 crore.	It is stated that, Rebate being claimed from MCGM is not a revenue of MbPA. It is a mere reduction in tax claimed by MCGM. AS 9 is not applicable in this case. 2. Further, MbPA is actively engaged in addressing the issue and resolving it in collaboration with the higher authorities of MCGM. During the discussions with MCGM officials, it was assured that they would assist the port in reworking the liability/receivable amount. The matter will be resolved soon after reconciliation of dues payable to and recoverable from MCGM.

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Separate Audit Report</th><th>Action Taken Notes</th></tr>
<tr><td>A.5.1</td><td>Current Liabilities and Provisions
₹.4545.15 crore</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>As per the Common Framework for Financial Reporting, if the liability for retirement benefits was funded through creation of a Trust, the cost incurred for the year shall be ascertained by actuarial valuation. MbPA has not made adequate provisions towards the Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund as given below:

₹ in crore
<table><tr><th>Name of the Fund</th><th>Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31.03.2023</th><th>Balance in the Fund as on 31.03.2023</th><th>Shortfall</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4(2-3)</td></tr><tr><td>Pension Fund</td><td>11410.42</td><td>9354.82</td><td>2055.60</td></tr><tr><td>Gratuity Fund</td><td>481.56</td><td>21.80</td><td>459.76</td></tr><tr><td>Leave Encashment Fund</td><td>230.28</td><td>0.29</td><td>229.99</td></tr><tr><td>Total</td><td>12122.26</td><td>9376.91</td><td>2745.35</td></tr></table>The above short provision amounting to ₹2745.35 crore is equal to 1816 per cent of the Deficit/Loss (₹151.14 crore) of MbPA for Financial Year 2022-23. In case the full provision is made in accounts, the net worth of MbPA would erode and decrease from ₹2220.30 crore to (-)₹525.05 crore and Deficit/Loss for the year would also increase by ₹2745.35 crore. Non-provision for this liability has resulted in understatement of Current Liabilities by ₹2745.35 crore and corresponding understatement of Deficit/Loss to the same extent. The above deficiencies are being pointed out by Audit since 2012-13 but the management has not made adequate provisions.</td><td>In this regard, fund-wise reply is given below ad-seriatim:

1.Pension Fund-
i. It is stated that, as on year ended 2021-2022, the identified shortfall was amounted to ₹5108.99 crores. However, significant progress has been made, and for the year ended 2022-2023, the shortfall has significantly reduced to ₹2725.70 crores. This positive trend suggests that the shortfall is diminishing very fast, it may take less than the initially projected five-year horizon to fully replenish the funds. It is anticipated that the shortfall will be replenished within a span of two years.
ii. It is an unwavering commitment of the port management to address this matter promptly. This commitment was demonstrated through the passing of a resolution by the Board on 04/05/2023, which emphasizes the importance of replenishing the shortfall as early as possible.
iii. To further support Port’s commitment, a provision of ₹200 crores has been made in the books of accounts, reflecting port’s dedication to addressing the shortfall effectively. Also, contribution of ₹600 Cr. is made for PFT and ₹88 Cr. in GGFT till October 2023.
2. Gratuity Fund-
i. As the investment of GGFT stands at ₹94.42 Crs. as on 31.03.2023, the shortfall is correctly depicted as ₹387.14 Crs. MbPA has duly paid all its liabilities towards Gratuity of its employees till date. Efforts are being taken to bridge the gap between the estimate and investments of the Gratuity fund.
3. Leave Encashment Fund-

It may please be noted that, the fund balance of LE Fund is Nil. A nominal investment of ₹0.29 Crs. is remained in the investment balance. As the investment of LE Fund stands at ₹0.29 Crs. as on 31.03.2023, the shortfall is correctly depicted as ₹229.99 Crs.</td></tr>
</table>

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
A.5.2	**Current Liabilities - 4441.89 crore** **Sundry Creditors** **Accrued Expenses- 191.22 crore**	
	a) The above does not include ₹34.26 crore in respect of Property Tax payable to MCGM. MCGM claims general charges in lieu of Property tax @4.87 crore p.a. (base rateable values of MbPA Properties). However, MbPA is providing liability for Property Tax @3.91 crore p.a. only by adjusting their claim in respect of maintenance cost. MCGM claimed (February 2023) Property Tax of ₹248.54 crore upto 31 March 2023, of which MbPA paid (31 March 2023) 3.91 crore and provided in the books for ₹10.37 crore upto 31 March 2023. Thus, short provision of liability towards statutory dues of Property Tax liability by adjusting maintenance cost resulted in understatement of Accrued Expenses and Deficit/Loss by ₹34.26 crore. Though the above comment has been raised through SAR for the year ended 31 March 2022, the same is yet to be rectified by the Port Management.	In response to the audit suggestion, the Port administration promptly initiated discussions with officials of the Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) to address the issue. As part of the commitment to compliance, the Port has taken the following steps: 1. Payment of ₹3.91 crores: In the fiscal year 2022-23, the port made a payment of ₹3.91 crores to the MCGM vide document No. 2200008471. 2. Provision of ₹2.48 crores: Additionally, in the same fiscal year 2022-23, a provision of ₹2.48 crores has been made towards the property tax liability vide document No. 2900019231. During the discussions with MCGM officials, it was assured that they would assist the port in reworking the liability. It is important to note here that, the port will only make provisions for the amount that is legitimately due, and not as demanded by the MCGM. According to our assessment, the port's liability is not the entire amount of ₹42 crores as claimed by MCGM. The port is committed to ensuring accurate and appropriate provision of liabilities, adhering to the regulations and guidelines set forth by relevant authorities. The Port management will work closely with MCGM to resolve any discrepancies and ascertain the actual liability amount that should be provisioned. It will be ensured that provisions are made only for the legitimate and verified amount as determined through this process.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	b) Advances from Merchants, Contractors and Others - ₹1705.53 crore This includes ₹1108.29 crore being estate rentals recovered from the lessees/tenants-(Estate Departments Miscellaneous Advance Account) which needs to be finally adjusted against the head of account 'Debtors'. Though a team of three CA firms was engaged in the year 2017 to identify and reconcile the balances, the reconciliation has still not been completed. Further, the contract of CA firms expired in June 2021 and a new firm is being shortlisted. Hence the accuracy of this head of account could not be ascertained by audit. The above observation is being raised by audit since 2015-16. Though, the reconciliation process had started long back in the year 2017, the same is yet to be completed.	In this regard, it is stated that, total no. of cases where credit notes adjustment are carried out in IEMS are 694 cases due to which ₹98.41 crores are retrenched from Sundry Debtors and amount adjusted from M.D. account to revenue account is ₹19.15 Crores. Further, Estate Department has adjusted ₹122.59 Crores during FY 2021-2022 and ₹13.98 Crores during FY 2022-2023. The contract of three CA firms has expired on 07.06.2021. A tender was floated in May 2023 to select the appropriate CA firm for this task. The process of appointment of CA Firm is in final stage. Once the CA firm is appointed, they will work closely with our internal teams to expedite the reconciliation process, specifically addressing the adjustments between the Estate Rentals and Sundry Debtors. This will ensure that the recovered amounts are appropriately accounted for, and any discrepancies are rectified in accordance with the required financial procedures The port understands the importance of ensuring accurate adjustments and reconciliations, particularly concerning significant amounts such as the Estate Rentals in question. Rest assured, we are committed to resolving this matter promptly and in compliance with the required financial procedures.
B.	**Profit and Loss Account:** **Operating Income** **Estate Rentals: 314.74 crore - Rent from Land: 269.88 crore**	
	The above do not include ₹17.69 crore being the penalty on account of the Minimum Guarantee throughput (MGT) collected from various parties. The Port had raised (since 2002) a demand of ₹71.58 crore for additional way leave charges for the shortfall in achieving the prescribed MGT on various parties (TPCL, HPCL, CTTL, BPCL and Aegis) from 25 September 1996 to 31 March 2015. The users disputed the penalty billed for various reasons and made representation to the Board and did not pay penalty charges and sought waiver of the MGT clause. The Port showed the amount recovered of ₹17.69 crore under Miscellaneous Deposits instead of recognising the same as Revenue.	In this regard, it is stated that, the necessary J/E (No.2900001943) has been passed in the F. Y. 2023-24.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	Though the issue has been raised through SAR for the year ended 31 March 2022, no corrective action has been taken and the amount remains unadjusted in the Financial Year 2022-23.	
C.	**Notes to Accounts**	
	CWIP includes an amount of ₹77.38 crore being capital expenditure in respect of Project relating to Dedicated goods line between Wadala and Kurla for freight movement. The project was kept in abeyance since June 2019 and not envisaged to revive in the next 8 to 10 years. The entire cost of the project was incurred on railway land on which the Port neither enjoys any possession/control nor does the Port expect any benefit for another 10 years. Further, the land evaluated or asset created cannot be put to use as originally intended by Management and nor alternative use is concurred by Railways. This significant fact should have been disclosed by way of a note.	The port acknowledge that proper disclosure of the subject matter, including the details of the stalled project and the associated expenditure, should be provided in the Notes to Accounts. The same remained to be done due to oversight. It has now been included in the Final copy of Annual Accounts with Action taken notes to be sent to the Ministry.
D.	**Management Letter**	
	Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Authority through a Management letter issued separately for remedial/ corrective action. (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of Account. (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure-I to this Audit Report give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India. a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affair of Mumbai Port Authority as at 31 March 2023; and b) In so far as it relates to the Profit and Loss Account, of the Loss for the year ended on that date. (vii) A Review of Accounts showing the summarized financial results of Mumbai Port	-------

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	Authority for three years ended 31 March 2023 is given in Annexure-II.	
	For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India Sd/- (Guljari Lal) Director General of Audit (Shipping), Mumbai Place: Mumbai Date :19 October 2023	 (Smt. Madhuri A. Varade) Financial Advisor and Chief Accounts Officer Mumbai Port Authority Place: Mumbai Date: _____November 2023.

Annexure I

Sr. No	Separate Audit Report	Action Taken Report
1.	**Adequacy of internal audit system**	
	The Internal Audit of the Port for the years 2022-23, 2023-24 & 2024-25 was entrusted to M/s SCM Associates, Chartered Accountants. The firm has not submitted Internal Audit Report for the F.Y. 2022-23 so far. Further, there is no system of submission of Internal Audit Reports along with Action Taken Notes to the Board for their perusal since 2020. This indicates inadequate Management Control.	M/s. SCM Associates have been appointed as External Internal Auditors for MbPA. Reports of Internal Audit are sent to department for comments and corrective action. Comments received from department are forwarded to M/s. SCM Associates for preparation of A.T.N. Internal Audit Report along with Action Taken Report are annually placed before the Board as Table Paper.
2.	**Adequacy of Internal Control System**	
	Internal control of the Port needs to be improved considering the following: - A. Bank Reconciliation Statement as on 31st March 2023 Mumbai Port Authority operated 23 bank accounts. Bank Reconciliation statements as on 31 March 2023 of only 14 banks were furnished to audit. Scrutiny of the bank reconciliation of these 14 bank accounts revealed the following deficiencies: i. The Bank Balance is after deducting ₹2483.691 crore in respect of Cheques which were issued from April 2006 and were more than 3 months old as on 31st march 2023. The same have not been cancelled and written back. ii. ₹2718.022 crore shown as deposited in the Bank in the books of port since April 2006 but not appearing in the Bank Statement. iii. ₹1282.654 crore credited by bank but not accounted by MbPA. iv. ₹1282.973 crore debited by bank but no entries were passed by MьPA. Further, in the absence of Reconciliation of balance nine Bank Accounts, Audit is not able to form an opinion on the balance shown in the financial statements.	10996685430-SBI Main Revenue Account - current year book debit of Rs.485.06 crores and Book Credit of Rs.569.34 crores has been reconciled as on 12.09.2023. Also Bank debit of current year amounting to Rs.20.19 crores and bank credit amounting to Rs.82.10 crores has been reconciled as on 12.09.2023. It has seen that, the reconciliation has been completed by almost 55%. Account no. 10005255202, 10005255053, 10005255553 are Imprest accounts. Expenses incurred through these accounts are audited by our expense audit branches and the accounts are recouped as per the sanctioned Imprest limits. Out of these 10005255053 account is closed in January 2023.

		BRS for account nos. 10996683421 and 10996685598 is already submitted to audit on 24.07.2023 and 25.07.2023 respectively. SBI account no. 10996687573 is bank account for Pension fund trust and BRS for the same was submitted during audit of Pension fund trust. SBI PCS account no. 32138880140 is used for receiving income from port users. The amounts received in SBI PCS account is daily transferred to SBI Main Revenue Account. BRS activity is carried out for SBI Revenue account. Therefore, it is felt that BRS for SBI PCS is not required as the transfer of amounts are bank automated after maintaining the minimum balance of ₹.10,000/-. BRS for account no. 10996687335 is submitted to audit on 05th September 2023. IDBI GEM Pool account no. 0726102000012254 is Imprest account. It is used for making expenses incurred through GEM Portal. All the expenses incurred through GEM are audited by our expense audit branches and then the same is recouped. Thus it is felt that there is no need to reconcile these Imprest accounts.
B	**Cash and Bank Balance (Schedule V)** **With Schedule Banks- ₹536.96 crore** **Deposits with Banks- ₹165.04 crore**	
	a) The above includes credit balances ₹43.85 crore (GL No.23110250) representing the unallocated and unidentified credits relating to revenue collected but not yet allocated to the parties concerned. Setting off of above credit balances against Cash and bank balances instead of treating it as Current Liability resulted in understatement of 'Advances from merchants, contractors and others' (under Current Liabilities) and consequent understatement of Cash and Bank balances. This includes ₹33.52 crore in respect of Fixed Deposits on behalf of Merchants, Contractors and Others. MbPA has physical FDRS only for ₹32.39 crore, of which FDRs worth ₹30.63 crore matured during 1985 to 2022 which neither returned back to the parties nor encashed.	The port is taking vigorous efforts to clear the difference. 1.Out of FD's worth ₹.33.52 crore, amount of ₹.0.48 crore erroneously debited to 22130008 which is already rectified. The balance difference of ₹ 0.65 crore shown in the statement are being reconciled. 2. The return of FDRs to the parties is depending upon the party's response to MbPA. The same will be done as soon as the parties approach the Mumbai Port for the same. However, the details have been forwarded to concerned department to expedite the work.

3.	**System of physical verification of Fixed Assets**	
	The Port conducts physical verification of Fixed Assets once in every 5 year Last physical verification was done in the FY 2017-18. The work regarding physical verification of fixed assets has been assigned to M/s. SCM Associates and the same is still in process by the appointed firm.	Factual
4.	**System of physical verification of Inventory**	
	The physical verification of Inventory as on 31 March 2023 was not furnished to Audit. The Port has not adopted any depreciation policy nor done any revaluation of assets in compliance with the guidelines contained in the CFFR for major ports. The work regarding physical verification of inventory has been assigned to M/s. SCM Associates and the same is still in process by the appointed firm.	Factual
5.	**Statutory Dues**	
	The Port was regular in making payment of undisputed statutory dues.	Factual
	Sd/- (Jyotimoy Bailung) Deputy Director Place: Mumbai Date: 19 October 2023	 (Smt. Madhuri A. Varade) Financial Advisor and Chief Accounts Officer Mumbai Port Authority Place: Mumbai Date: _____November 2023.

ANNEXURE-II

Review of accounts of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2023 by the Comptroller and Auditor General of India

(The Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)

1. Financial Position

The Financial Position of Mumbai Port Authority under the broad headings for three years ended 31 March 2023 is given below:

(₹ in crore)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
LIABILITIES			
Capital Reserves	1683.68	1592.68	1671.67
Other Reserves	985.98	1088.89	1008.88
Borrowings	193.74	375.86	481.91
Deferred Tax Labilities	0.00	0.00	0.00
Current Liabilities & Provisions	5512.42	5312.05	4545.14
Total	**8375.82**	**8369.48**	**7707.60**
ASSETS			
Net Fixed Assets	1112.77	1032.53	958.04
Works-in-Progress	698.48	871.33	1028.09
Investments	1208.70	1407.08	1430.06
Current Assets and Loans and Advances	4597.31	4268.22	3500.89
Deferred Tax Asset	432.52	432.52	323.73
Other Assets/Misc. Expenditure:			
Sheds handed over to BOT operator	0.00	0.00	0.00
SVRS Expenditure	0.00	0.00	0.00
Misc. Expenditure	3.81	6.88	6.54
Accumulated Loss	322.23	350.92	460.25
Total	**8375.82**	**8369.48**	**7707.60**
Working Capital *	-915.11	-1043.83	-1044.25
Net Worth**	2347.43	2330.65	2220.30
Capital Employed***	197.66	-11.30	-86.21
Net Surplus (before appropriation)	152.12	49.67	-82.55
Return on Capital Employed **** (percentage)	76.96	-439.56	-
Capital Employed (including Work-in-Progress)	896.14	860.03	941.88
Return on Capital Employed (including Work -in-Progress)	16.98	5.78	-8.76

*Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities;
**Net worth represents Capital Reserves and other reserves plus surplus/loss;
***Capital Employed represents Net Fixed Assets plus Working Capital;
****Return on Capital Employed represents percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed.

Factual

2	**Working Results** The working results of the Mumbai Port Authority for the last three years ending 31 March 2023 are summarized below:	Factual.

(Rs in crore)

Particulars	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
Revenue			
Operating Income	1705.96	1896.96	2121.16
Non operating income	24.23	82.41	173.84
Total	1730.19	1979.37	2295.00
Expenditure			
Operating expenditure	1122.09	1110.57	1087.80
Non operating expenditure	511.08	926.57	1219.70
Total	1633.17	2037.14	2307.50
Extra ordinary items	0	0	0
Prior period charges	0	0	0
Net surplus/(deficit) before tax	97.02	-57.77	-12.50
Less: Provision for Tax or Add tax write back	0	41.00	0
Add/Less: Deferred tax liability/assets	0	0	-108.79
Add: Withdrawn from Welfare Fund and	55.10	66.44	38.74
Net surplus/ (deficit) before appropriation	152.12	49.67	-82.55
Less: Mandatory Appropriations, Transfers to	57.08	78.36	68.59
Surplus/Deficit transferred to General Reserve	95.03	-28.69	-151.14
Percentage of net surplus /deficit to			
(i) Operating Income	8.92	2.62	-3.89
(ii) Net Fixed Assets	13.67	4.81	-8.62
(iii) Net Worth	6.48	2.13	-3.72

3.	Ratio Analysis (Liquidity and Solvency) Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Mumbai Port Authority are shown below:	Factual.

	Particulars	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
a	Percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	83.40	80.35	77.02
b	Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	103.85	99.32	58.00
c	Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	202.64	174.57	92.73
d	Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	11.23	23.00	28.83
e	Percentage of profit before tax to:			
	a) Net Worth	4.13	-2.48	-0.56
	b) Capital Employed	49.08	511.24	14.50
	c) Operating Income	5.69	-3.05	-0.59

Sd/-
(Jyotimoy Bailung)
Deputy Director
Place: Mumbai
Date: 19 October 2023



(Smt. Madhuri A. Varade)
Financial Advisor and
Chief Accounts Officer
Mumbai Port Authority
Place: Mumbai
Date: _____November 2023.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

परित्याग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों, उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विहित लेखा परीक्षा आपत्तियों / टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां केवल जानकारी के लिए अंग्रेजी मूल का अनुवाद है | किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी मूल प्रभावी होगा |

MUMBAI PORT AUTHORITY

D I S C L A I M E R

The Hindi version of the Annual Accounts for Financial Year 2022-23, Audit report thereon together with Action Taken Notes on Audit Objections/Observation contained in Audit Report Financial Year 2022-23 is a translation of the original in English for information purpose only. In case of the discrepancy, the English original will prevail.